राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का ३२वां दिवस [संख्या २३

शनिवार, २६ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, आबकारी एवं कर, नियुक्ति, गृह, स्वायत्त शासन, राजस्थान केनाल, आयुर्वेद, सार्वजनिक निर्माण, जन सम्पर्क, विद्युत, निर्वाचन तथा वन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न।

प्रश्न संख्या ६८३

श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६८४

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील में गुढ़ा एन्दला नदी पर बांध का निर्माण

६८५. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार ने पाली तहसील की गुढ़ा एन्दला की नन्दी को बांधने का इरादा किया था? यदि हां, तो इसे कब तक अमली रूप में लाया जावेगा?

(२) क्या सरकार को विदित है कि इस नदी ने बहुत से मकानों को धराशायी कर दिया है?

उप मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण):(१) गुढ़ा एन्दला की नदी बांधने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि इसका पानी जालोर के बांकली बांध में जाता है। केवल जुनी एन्दला के तालाब को मरम्मत करने और उसको ऊंचा करने की तजबीज है, जिसका तखमीना बना लिया गया है।

(२) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत ।

पाली जिले में काश्तकारों को एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स के अन्तर्गत नोटिसेज

६८६. **श्री बेनाराम गहलोत**(खारची) : क्या आबकारी तथा कर मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

पाली जिले में पिछले दो साल में एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स विभाग द्वारा कितने काश्तकारों को एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के नोटिसेज़ दिये गये व कितने काश्तकारों पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगाया गया ? तहसीलवार व साल वार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

आबकारी मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): पिछले दो साल क्रमशः १९५८-५९ व १९५९-६० में राजस्थान कृषि आय कर अधिनियम, १९५३ के आधीन दिये गये नोटिसेज़ की संख्या तथा कितने कर-दाताओं के ऊपर कर निर्धारण किया गया उनके आंकड़े तहसीलवार व सालवार सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री बेनाराम गहलोत : वर्ष ५८-५९ में ६६८ काश्तकारों को नोटिसेज़ दिये गये उनमें से एक पर भी इन्कम टैक्स लागू नहीं किया, इसका कारण क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस साल में दूसरे पीछे के नोटिसेज़ थे, उनकी मयाद निकल रही थी इसलिये इन नोटिसेज़ के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री बेनाराम गहलोत : किसी एक पर भी टैक्स नहीं लगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन्कम टैक्स असेस नहीं किया जा सका पीछे के सालों के ५३ से जब से एक्ट लागू हुआ । लेकिन इस बारे में स्टेप देरी से लिया गया ५८-५९ में जिनकी मयाद जा रही थी उन सब लोगों को नोटिसेज़ दिये गये । इस साल में असेस करने का काम नहीं किया जा सका ।

श्री बेनाराम गहलोत : तो फिर नोटिसेज़ जारी करने का क्या आधार माना गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिनकी ६ हजार की इन्कम हो या जिनके पास इर्रिगेटेड लैण्ड ६० एकड़ हो और अन इर्रिगेटेड १८० एकड़ उनको नोटिसेज़ जारी होते हैं । अब जिनकी आमदनी ४,०००) रु० सालाना हो या जिनके पास ४० एकड़ सिंचित या १२० एकड़ बारानी जमीन हो उनके नाम नोटिस जारी किये जाते हैं ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा(किशनगढ़) : इससे भी कम जमीन वालों को भी नोटिसेज़ दिये गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जी नहीं ।

श्री बेनाराम गहलोत : अब जो काश्तकारों को नोटिसेज़ दिये जा रहे हैं और १ अप्रेल से इन्कम टैक्स माफ हो रहा है तो उनका क्या होगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक अप्रेल,

Page No.3

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

सन् १६६० से तो लगाने का सवाल है नहीं; जहां तक एक्ट के अन्तर्गत पहले लग रहा है तब तक के नोटिसेज़ जारी होंगे ।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : नोटिसेज़ तो अब भी दिये जा रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक अप्रेल के बाद नहीं होंगे, इससे पहले का जिनमें बाकी है उनको ही दिये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : ५६-६० में जो कर निर्धारित किया गया वह किस आधार पर निर्धारित किया गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : छः हज़ार की इन्कम है, सहूलियत के लिये जमीन रखी है। जिनके पास ६० एकड़ सिंचित भूमि है और १८० एकड़ बारानी है उनके नाम नोटिसेज़ जारी किये गये । अब ४,०००) रु० आमदनी या ४० एकड़ नहरी व १२० एकड़ बारानी जमीन है उन पर नोटिज जारी हुए हैं । इस प्रकार भूमि के हिसाब से जारी कर दिये गये ।

श्री अध्यक्ष : नोटिस दिये, इसके फिगर ज्यादा दिये ६४३ और सिर्फ उनमें से ६६ सक्सैस हुए।

श्री शंकरलाल : इतने केस फैल हुए, इसका कारण तो यही है न कि ये नोटिस गलत दिये गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : गलत नहीं दिये गये । इनके देने के दो आधार थे । एक तो जिसकी छः हज़ार की आमदनी होगी उस पर इन्कम टैक्स लगेगा, दूसरा जिसके पास ६० एकड़ बारानी या इससे कुछ कम नहरी जमीन है उस पर टैक्स लगेगा । यह, किसान जो अनपढ़ होते हैं, उनकी सहूलियत के लिये किया गया और इन दो आधारों पर इन दो कैटेगरीज़ में आने वालों को सब को नोटिस जारी कर दिये गये । पर जब इन ६० एकड़ वालों ने यह साबित कर दिया कि इतनी जमीन होने के बाद भी आमदनी का जहां तक सवाल है उनकी आमदनी छ हज़ार नहीं हुई, तो हमने इस बात को मान लिया और जिनकी आमदनी छः हजार थी उन्हीं से टैक्स लिया ।

श्री शंकरलाल : आधार आप गलत मान गये । इसके लिये किसानों को बहुत परेशान होना पड़ा, काफी हैरानी उठानी पड़ी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह आधार तो सहूलियत के लिये बनाया गया था, गलत नहीं था । काश्तकार अनभिज्ञ थे, हिसाब-किताब की बात में ज्यादा नहीं समझ सकते थे इसलिये हमने यह रख दिया कि इतनी एकड़ जमीन जिसके पास होगी उसको इतनी आमदनी तो होनी चाहिये । पर एक्चुअली जब देखा गया तो इतनी आमदनी साबित नहीं हो सकी, उन पर टैक्स नहीं लगाया ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

जयपुर के एस. पी. श्री शीशराम शर्मा की शैक्षणिक योग्यता

६८७. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

Page No.4

(श्री भैरोंसिंह)

(क) जयपुर के एस. पी. श्री शोशराम शर्मा की शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि एस. पी. ने इस योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र पेश किये हैं ? यदि हां, तो कृपया ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) यह प्रमाण-पत्र कब कब पेश किये गये हैं ?

(घ) इन प्रमाण-पत्रों में कितने ओरिजिनल हैं तथा किन किन की Certified Copies शामिल की हैं ? उस पर 'True Copy' होने का सर्टिफिकेट किस ऑथोरिटी का और कब कब का है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) मैट्रिक।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने यह इत्मिनान कैसे कर लिया कि वे मैट्रिक पास हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गैर इत्मिनान की वजह क्या थी ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Because he did not produce the Certificate. Does the Minister mean to say that at that time, no certificate was issued to this gentleman ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I say, I never said that he did not produce certificate. The question was.

क्या यह सही है कि एस. पी. ने इस योग्यता के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र पेश किये हैं ? यदि हां, तो कृपया ऐसे प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।" इस तरह से कोई प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया। पर उन्होंने मैट्रिक पास किया और जब वैरिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री तैयार हुई थी तो सर्टिफाइड कॉपी पेश की थी।

श्री भैरोंसिंह : वही तो पूछा है मैंने कि सर्टिफाइड कॉपी पेश की उसको किसने सर्टिफाइड किया है कि ओरिजिनल कॉपी की ट्रू कॉपी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is Certified by the Registrar of the Punjab University.

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप चाहेंगे तो मैं पेश कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या इसके अलावा और कोई प्रकार का प्रमाण-पत्र किसी रूप में पेश नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह कॉपी कब तक पेश कर दी जावेगी ?

Page No.5

श्री दामोदरलाल व्यास : I will put it to-morrow or dayafter.

प्रश्न संख्या ६८८

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम ।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ६८९

श्री देवीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

गुप्तचर विभाग का महिला–संगठन

६९०. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : Will the Minister for Home be pleased to state :—

1. What is the sanctioned strength of the women organization in the Criminal Investigation Department and what is the present strength? Please state postwise.

2. Are there any rules for the establishment of this Organisation ? If yes, then please lay a copy of those rules on the table of the House.

3. Whether any Medical Examination is required before recruitment ? If so, what are the conditions which are prescribed for the fulfilment of the Medical Test ?

4. Whether the whole staff have been medically examined and found fit for recruitment ?

5. If not, how many of them have not been medically examined and how many of them were medically examined but found unfit ? Please lay a list of such women with reasons of their recruitment and the posts they hold at present.

6. Is it a fact that the file of 'Women Organisation' of the Department is missing ? If so, since when and who is responsible for it ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): 1. The sanctioned strength of Women Organisation in C. I. D. as sanctioned by Government is one Sub-Inspector, 2 Head Constables and 12 Constables, and the present strength is 1 Sub-Inspector, 2 Head Constables and 10 Constables.

2. There are no separate hard and fast Rules of raising this Organisation. This was raised to deal with the Female Criminals under Government order No. D. 4433/F1/(57) Home-I/58 dated 29.7.55.

3. Yes, Sir. According to Police Rules one should be declared Medically Fit by the Medical Officer, before one's appointment.

4. Yes, Sir.

5. Question does not arise.

6. Yes, Sir. The file of Women Organisation is missing since July, 1957. This file used to be kept in the custody of Shri Jagannathan

(श्री दामोदरलाल व्यास)

I. P. S., the then Superintendent of Police, Special Branch. It has been misplaced by him somewhere and it is not traceable since then. Since he is no more in Service, on further steps could be taken in this matter.

श्री भैरोंसिंह : इस फाइल के अन्दर किस प्रकार के कागज़ात रखे जाते थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस ऑर्गेनाइजेशन से सम्बन्धित कागजात ।

श्री भैरोंसिंह : किस प्रकार के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑर्गेनाइजेशन के बनाने के सम्बन्ध में, उसके ऑर्डर, प्लान क्या है, रिक्रूटमेंट कितने हुए वगैरह वगैरह ।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस फाइल में वे कागजात भी थे जो मैडकील सर्टिफिकेट के रूप में जिन जिन की नियुक्तियां की गई थीं, उनको डिपार्टमेंट के सामने पेश किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऑर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में जो कागज़ थे वे उसमें थे । सर्टिफिकेट के लिये मैंने नहीं कहा । वे तो इन्डिविजुअल की सर्विस बुक या उनकी पर्सनल फाइल में अलग हैं और मौजूद हैं ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जावे कि इस फाइल के साथ मेडीकल सर्टिफिकेट्स्‌ फायल नहीं हुए थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वे तो सर्विस शीट्स और पर्सनल फाइल्स वीमैन पुलिस पर्सनल्स की जो हैं उनमें हैं, उसमें नहीं थे । उनकी सर्विस शीट्स में नेसेसरी एन्ट्रीज़ हैं । यह तो ऑर्गेनाइजेशन की फाइल है । उनके रिक्रूटमेंट का उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह है कि फाइल के साथ सर्टिफिकेट्स्‌ तो गायब नहीं हुए हैं न ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Well, I Cannot say exactly.

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछना चाहता हूं, गायब हुए या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That I cannot say at the moment.

श्री भैरोंसिंह : मेडीकल एग्ज़ामिनेशन सर्टिफिकेट्स हैं वे उनकी पर्सनल फाइल में हैं या उस फाइल में हैं, आप यह स्पष्ट करें ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने कह दिया न कि इनका उस फाइल से कोई ताल्लुक नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : उस फाइल की बरामदगी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हर मुमकिन कोशिश कर ली गई, पर बरामद नहीं हुई । It was in the custody of Mr. Jagannathan who has been dismissed and who is no more in service. That file is not traceable and no action can now be taken.

Page No.7

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री जगन्नाथन् को जो चार्ज शीट दी गई उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उनके आधीन वीमन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की फाइल भी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He was charge sheeted in a different matter. Then this case was not brought to the notice of the authorites and hence not included in charge sheet.

श्री भैरोंसिंह : जिस समय उनको चार्ज शीट दी गई क्या सरकार की नॉलेज में नहीं था कि उनके पास यह फाइल थी और वह गुम हो गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मेरी नॉलेज में नहीं था।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जब यह बात गवर्नमेंट की नॉलेज में आई कि एक फाइल मिसिंग है तो क्या गवर्नमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किया कि ऐसे जो ऑफिशियल डॉकूमेंट्स मिस करके रिटायर हो जायं, तो क्या उसके अगेन्स्ट में सरकार आगे प्रोसीड कर सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लॉ डिपार्टमेंट को पूछने की जरूरत नहीं थी। जो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है या डिसमिस हो गया है उसकी केयरलैसनैस से कोई फाइल मिसप्लेस हो गई हो तो उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या श्री जगन्नाथन् से पूछा गया था इसके बारे में और उसका उन्होंने कुछ उत्तर दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : I don't know. Might have been asked. But at this moment this information is not with me.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही नहीं है कि यह बिल्कुल एक नया डिफेन्स बनाया गया है इस फाइल के गायब किये जाने का कि चूंकि वह डिसमिस हो गया है इसलिये चलो उसका नाम ले लिया जावे ? क्या सरकार यह बतावेगी कि ये जो नियुक्तियां हुई इन्सपेक्टर्स, सब इन्सपेक्टर्स की; तो इन नियुक्तियों को सलेक्शन बोर्ड द्वारा एप्रूव्ड कराया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is a different question. I what notice for this. This does not require the method of recruitment.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो इस सम्बन्ध में नियम बने हुए थे इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में, उनका पालन नहीं किया गया ? ये नियुक्तियां किन नियमों और किस कानून के मातहत हुई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, You have not heard my reply. I said there are no separate hard and fast rules of raising this Organisation. I never said that...

श्री भैरोंसिंह : आप आगे पढ़िये।

श्री दामोदरलाल व्यास : Second part of the question goes, 'Are there any rules for the establishment of this Organisation ? If yes,...

श्री भैरोंसिंह : And the Hon'ble Minister has said, "yes". I put the question whether these rules have been complied with in connection with the recruitment of the staff in this organisation.

श्री दामोदरलाल व्यास : I never said, "Yes". I said there are no hard and fast rules.

श्री भैरोंसिंह : दो के उत्तर में कहा है, "yes". दो के उत्तर में नहीं कहा है तो क्या यह समझा जावे कि एस्टेब्लिशमेंट के सम्बन्ध में कोई भी किसी तरह का नियम निर्धारित नहीं किया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Reply has already been given, Sir.

श्री भैरोंसिंह : हार्ड एण्ड फास्ट का कोई सवाल नहीं । डिस्क्रिशन हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट को आपने दे है, दिया ठीक है; पर भी फिर whether there are certain Rules or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There are no hard and fast rules for this Organisation. Police as a whole is covered by Service Rules.

श्री भैरोंसिंह : तो क्या ये जो आम नियम बने हुए हैं पुलिस विभाग के, उन नियमों के आधार पर ये नियुक्तियां हुई हैं और इनमें उन रूल्स में से भी किसी रूल को किसी तरह वायोलेट करने की कोशिश नहीं की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : As far as practicable those rules have been followed but at this time for what rules you are complaining ?

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराने को तैयार है कि पुलिस में इन नियुक्तियों में सामान्य नियमों का भी पालन नहीं किया गया है ? उनको सलेक्शन बोर्ड के सामने जाना जरूरी होता है पर इन नियुक्तियों में नियुक्त किये जाने वालों को वहां नहीं जाना पड़ा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कोई स्पेसिफिक बात बतावें । किस केस के लिये आप पूछ रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : रूल्स के अन्तर्गत क्या यह लाजमी है कि सलेक्शन बोर्ड बने ?

श्री भैरोंसिंह : सब-इन्सपेक्टर्स और इन्सपेक्टर्स की नियुक्तियें डाइरेक्ट नहीं कर सकते इन नियमों के अन्तर्गत या करते हैं तो कन्फर्म नहीं कर सकते जब तक कि सिलेक्शन बोर्ड में वे न जावें । अगर सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर को अपोइन्ट किया है तो नियमों के अन्तर्गत उनको सिलेक्शन बोर्ड के सामने जाना पड़ता है । पर जहां तक मेरी जानकारी है यह निश्चित है कि इन नियुक्तियों में से कोई भी सिलेक्शन बोर्ड के सामने नहीं गई । क्या सरकार इस बात की जांच कराने को तैयार है कि इन नियुक्तियों में जिनकी नियुक्तियां की गई हैं उनको सिलेक्शन बोर्ड में नहीं भेजा गया और डाइरेक्टर नियुक्ति किया है ? जिनकी नियुक्ति की गई है इस तरह उनके सम्बन्ध में क्या किया जावे और

Page No.9

(श्री भैरोंसिंह)

जिन्होंने नियुक्तियां की हैं उनके सम्बन्ध में क्या किया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर इन्क्वायरी नहीं होती। If there has been a breach of rule and some action has been taken contrary to the rules, any action for enquiry arises. You suggest what breach of rules has been made, and then the Government will consider.

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister in a position to state whether the Selection Board was constituted for the recruitment and selection of the Women Inspectors ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already said I am not in a position to say because this queastion does not get that information,

श्री श्रीभानसिंह : Whether the rules have been followed ? Whether the General Police Rules have been followed and whether there was such a Board or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This question requires only this, "Are there any rules for the establishment of this Organisation". This does not require any thing more. I said there are no hard and fast rules.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सोफ्ट रूल्स कौनसे हैं साहब ?

श्री भैरोंसिंह : क्या इस फाइल के गुम होने के सम्बन्ध में कोई चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not available and the file has been misplaced.

श्री श्रीभानसिंह : How can you say that it is not traceable uptil now ?

श्री दामोदरलाल व्यास : So many files are misplaced and they are at times not available...

श्री श्रीभानसिंह : If the Government maintains this then more files will be cleared from their tables.

श्री दामोदरलाल व्यास : Not necessary.

श्री श्रीभानसिंह : मैं कहूंगा कि this is a very vague reply, "there are no hard and fast rules..." अब इससे क्या कैल्कुलेशन हाउस लगाये कि हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं तो यह जवाब कहां तक ठीक है; either there are rules or no rules कि हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं। इससे क्या मतलब निकाला जाये ?

श्री अध्यक्ष : रिक्रूटमेंट के लिए कोई रूल्स नहीं हैं for lady Sub-Inspectors.

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) जब सी. आई. डी. की ही फाइलें खो जाती हैं तो उनकी तलाश कौन करेगा ?

Page No.10

श्री अध्यक्ष : सी. आई. डी. ही करेगा।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ६६१.

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६२

श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६६३

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री भैरोंसिंह ।

सवाईमाधोपुर जिले में केलादेवी के मेले में रिश्वत लेने के सम्बन्ध में मुअत्तिल कर्मचारी

६६४. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि इस वर्ष (१६५६-६०) सवाई माधोपुर जिले में केलादेवी के मेले में मोटर मालिकों से रिश्वत आदि लेने के मामले में कुछ पुलिस कर्मचारी मुअत्तिल किये गये थे ? यदि हां, तो कौन कौन और कब ?

(ख) इस मामले की जांच किसके द्वारा की गई और उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) एस० आई०, श्री जगदीशप्रसाद, एच० सी० श्री मनमोहनलाल, श्री कन्हैया लाल, श्री मोहम्मद शरीफ, श्री गफार खां और एल० सी० श्री भगवतीलाल तारीख १४-४-५६ को बस के मालिकों व ड्राइवरों से केलादेवी के मेले में रिश्वत लेने के आरोप पर मुअत्तिल किये गये थे।

(ख) एस० पी० सवाई माधोपुर ने इस मामले की विभागीय जांच की और डी० आई० जी० पी० अजमेर रेन्ज ने उसमें अन्तिम आज्ञा दी। सभी अपराधी अधिकारी उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से मुक्त किये गये।

प्रश्न संख्या ६६५

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई।

(अनुपस्थित)

श्रीमती सतवन्तकौर ।

तहसील अनूपगढ़ के राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को अलॉट हुई भूमि

६६६. **श्रीमती सतवंतकौर** (करणपुर): क्या राजस्थान कैनाल बोर्ड मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) तहसील अनूपगढ़ के राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को इस साल कितनी भूमि अलॉट की गई थी और उसमें कितनी खारिज कर दी गई ? खारिज करने का कारण क्या है ?

Page No.11

(श्रीमती सतवंतकौर)

(२) उपरोक्त भूमि खारिज किये जाने के कारण सरकार को कितनी धनराशि या कितनी पैदावार का नुकसान हुआ ? इसकी जिम्मेवारी किस पर है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): This reply will be given on my own turn; ofcourse after a week. This is not my question day.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

जोधपुर की आयुर्वेदिक रसायन शाला

६६७. श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर-१) : क्या आयुर्वेद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर में आयुर्वेदिक रसायन-शाला कब से है ?

(२) उसमें कितने कर्मचारी व मजदूर कार्य कर रहे हैं ?

(३) उक्त रसायनशाला में अधिक से अधिक किस वर्ष में कितने रुपयों की औषधियां बनाई गई हैं ?

(४) राज्य में कहां कहां ऐसी रसायन-शालायें हैं और वहां कितने कर्मचारी व मजदूर कार्य करते हैं और वहां औषधियां कितने रुपयों की अधिक से अधिक एक वर्ष में बनी ?

(५) जोधपुर से यह रसायनशाला क्यों हटाई जा रही है ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जोधपुर में आयुर्वेदिक रसायनशाला १ फरवरी, १९५६ से प्रारम्भ हुई है ।

(२) वर्तमान में निम्नांकित कर्मचारी व मजदूर कार्य कर रहे हैं:—

१. सहायक प्रभारी	१
२. कनिष्ठ लिपिक	१
३. चपरासी	१
४. हैडमेट	१
५. चौकीदार	१
६. स्थायी श्रमिक	६
७. अस्थायी श्रमिक	२३

प्रभारी का कार्य निरीक्षक, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर द्वारा निर्धारित किया जा रहा है ।

(३) सन् १९५८-५९ में ७९,४९१ रु० की औषधियां अधिक से अधिक बनाई गई ।

(४) राज्य में इस समय ऐसी रसायन-शालायें उदयपुर, अजमेर, जोधपुर व भरतपुर में हैं । उनमें कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । उदयपुर रसायनशाला में सब रसायन-शालाओं से अधिक वर्ष १९५७-५८ में १,७७,७८६ रुपयों की औषधियां बनाई गई हैं ।

(५) औषध निर्माण कार्य को समृद्ध बनाने हेतु एकीकरण: की दृष्टि से पूरे राजस्थान प्रान्त के लिए आवश्यक चूर्णों के निर्माण का कार्य जोधपुर रसायनशाला में रखा गया है । हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

Page No.12

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या यह सही है कि सेकण्ड फाइव इयर प्लान में जोधपुर में रसायनशाला रखने का प्रोविज़न था ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या सरकार रसायनशालाओं का एकीकरण करके अजमेर में केन्द्रीय रसायनशाला बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री भीखाभाई : अजमेर केन्द्रीय स्थान है इसलिए रखा है। भरतपुर और दूसरी जगह जो रसायनशालायें चल रही हैं उनमें विशेष प्रकार की औषधियों का निर्माण हो रहा है। उनके लिए ऐसा विचार है कि उनको तो यथावत् चलाया जाय पर केन्द्रीय रसायनशाला अजमेर में ही रहे।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आप रसायनशाला अजमेर में बनाने जा रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : अजमेर में इसलिए बनाई जा रही है कि वह स्थान बीच में पड़ता है और वहां से औषधियां सभी जगह पहुँच सकती हैं। फिर उसके लिए रिज़ोल्युशन भी था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इसका कारण क्या है कि सब को अजमेर में ही केन्द्रित की जाये ?

श्री भीखाभाई : मेरा ख्याल है कि आप मेरा अर्थ ही नहीं समझे। माननीय सदस्य, आपने ही अपना एक प्रस्ताव रखा था और सब जगह से प्रस्ताव आ रहे हैं कि समुचित ढंग से और स्टेन्डर्डइज़ होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास अच्छी रसायनशाला हो। उसके हेतु उसे ऐसी जगह पर बना रहे हैं जिससे सब जगह औषधियां पहुंचाई जा सकें और जो दूसरी रसायनशालायें हैं उनमें विशेष रूप से जो दवाइयां बनाने जा रहे हैं उनको यथावत् रखा जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या अन्य प्रकार से अजमेर में रसायनशाला का निर्माण नहीं हो सकता जिससे कि उसी तरह कार्य करती रहें ये और रसायनशाला; और नई रसानशाला अजमेर में कायम क्यों करना चाहते हैं ?

श्री भीखाभाई : यही अर्ज कर रहा हूं कि उसमें थोड़ा सा स्टाफ और रख कर उसे और समृद्ध बनाना है। जो केन्द्रीय रसायनशाला है उसको समृद्ध बनाने की दृष्टि से कुछ आवश्यक चीजें लेनी पड़ी वे लेकर और जो दूसरे सरकार की तरफ से प्रावधान हैं इस वर्ष उससे और भी उसे समृद्धिशाली बनाने जा रहे हैं और दूसरी जगह जैसी रसायनशालायें हैं उनको उसी तरह कन्टीन्यु कर रहे हैं।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : क्या यह सही है कि वहां जोधपुर रसानशाला से रात को सामान उठाया गया ?

श्री भीखाभाई : यह अलग सवाल है।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : रात को १२ बजे बाद चुपके से सामान उठाया गया ?

श्री अध्यक्ष : चुपके से वापिस भी आ गया।

(हंसी)

Page No.13

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : सामान वहां आया नहीं है और आधा सामान रास्ते से ही गायब हो गया है, क्या यह सही है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ६६८

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

अजमेर में अधिकारियों के बंगलों में लकड़ी की जगह सीमेन्ट की चौखटें

६६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि अजमेर में अधिकारियों के लिए जो बंगले बन रहे हैं उनकी लकड़ी की चौखटें लगाने का ठेका था परन्तु लकड़ी की चौखटों की जगह सीमेंट की चौखटें लगाई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) सीमेंट की चौखट लगाने का कॉन्ट्रेक्ट किस आधार पर किन दरों में दिया गया ?

(ग) क्या यह सही है कि लकड़ी की चौखटों में लगाने के लिये जो होल्ड फास्ट का टेन्डर स्वीकार किया गया था वे सारे होल्ड फास्ट खरीद लिये गये हैं ? यदि हां, तो कितनी कीमत के और कब तथा क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं मेटीरियल इकट्ठा करवा रहा हूँ, इसलिए इसे अगले टर्न पर रखा जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

प्रान्त के पत्रों को विज्ञापन

७००. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु०) : क्या जनसंपर्क मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान के कितने पत्रों को सार्वजनिक संपर्क कार्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा सन् १६५५-५६, ५६-५७व७७५८ में कितने कितने रुपयों का विज्ञापन प्रकाशित करने को दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) किन किन पत्रों के बिलों की उक्त रकम कितनी कितनी देनी बाकी है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) राजस्थान से निकलने वाले पत्रों को ५५-५६, ५६-५७ व ५७-५८ में जो विज्ञापन दिये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कार्यालय में बिलों के प्राप्त हुए बिना रकम का हिसाब बताना संभव नहीं है। जहां तक कितने बिलों का भुगतान हो चुका है, कितनों का नहीं, यह जानकारी सूची में दे दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु०) : मारवाड़ टाइम्स को कितना दिया गया है ?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : सूची में देख लें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सरकार विज्ञापन देती है उस समय पत्र निकल जाता है और बाकी रेग्युलरली पत्र नहीं निकलता है, क्या यह सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके लिए रूल्स बने हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि विज्ञापन देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई निर्धारित नियम नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : He can blow the hard and ...

श्री भैरोंसिंह : इतन इवेज़िव रिप्लाई देने की कोशिश क्यों करते हैं कि हाथ से हाथ पकड़ लिये जायं।

श्री दामोदरलाल व्यास : You know better. मैंने अर्ज किया की गवर्नमेंट ने तरीका रख रखा है। उसको फॉलो किया जाता है कि किस बेसिस पर दिया जाय, कितने अर्से के बाद दिया जाय। उसके सर्क्युलेशन को देखते हैं। जनता के अन्दर कहीं सर्क्युलेशन है या नहीं; यह सारी पोजीशन देखकर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जबाब देने में हार्ड एन्ड फास्ट नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह आप जानते हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या ऐसे पत्रों को जो कि विज्ञापन ले लेते हैं और निकाले नहीं जाते हैं, ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे जानकारी नहीं है। आप जानकारी दें तो मेहरबानी हो।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ऐसे कितने पत्र होंगे जो कि विज्ञापन के आधार पर निकलते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पत्रकारों से पूछिये कि कितने विज्ञापन के आधार पर निकलते हैं ?

श्री जनार्दराय नागर (मावली) : सरकार के स्टेन्डर्ड के नीचे के जो पत्र हैं उनको भी विज्ञापन देते हैं, इसकी कोई जांच नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, जानकारी रखी जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या सरकार ने इस बात की जांच करवा ली है कि कौन कौन से पत्र हैं जो केवल विज्ञापन निकलते हैं और समाचार ६ महीने पुराने निकलते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रकार की जांच नहीं की गई है। किसी खास अखबार पर एलिगेशन लगाया जाय कि किस ने सर्क्युलेशन गल्त देकर या उनका सर्क्युलेशन इतना नहीं है और विज्ञापन दिया गया है तो जांच करवाई जा सकती है; वैसे हर मामले में जनरल टाइप के एलिगेशन पर कोई इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट नहीं की जा सकती है।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार कब तक नियम बनाने का विचार करती है ? सदन में कई बार आश्वासन दिया है कि इस मामले में उचित नियम बनाये जायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, विज्ञापनों के मामले में काफी असंतोष है सदन को और स्वयं सरकार को भी।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, बिल्कुल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नियम तो हैं; उन्होंने कहा, मंत्री महोदय ने।

डॉ० बहादुरसिंह : कोई नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : साधारण तरीके के हैं कि वे रजिस्टर्ड करायेंगे। वैसे हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं, लेकिन रूल्स जरूर हैं।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स भी नहीं हैं।

प्रश्न संख्या ७०१।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

राजस्थान इंडियन मैडिसिन बोर्ड

७०२. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :

(१) राजस्थान इंडियन मेडिसिन बोर्ड के समक्ष इस समय कितने प्रार्थना-पत्र रजिस्ट्रेशन हेतु कब से विचारार्थ हैं ? उनकी सूची सदन में प्रस्तुत की जावे।

(२) ऐसे कितने प्रार्थनापत्र हैं जिनके निर्णयोपरान्त उनके प्रमाणपत्र नहीं दिये गये हैं ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि बोर्ड के रजिस्ट्रार ने त्यागपत्र दे दिया है ? यदि हां, तो अब कौन उस पद पर कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो कब तक नियुक्त किया जावेगा ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) २५८ प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) कोई नहीं।

(३) जी नहीं। भूतपूर्व रजिस्ट्रार ने पदोन्नति होने से गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर, में प्रोफेसर पद का कार्यभार सम्भाल लिया है। इस समय रजिस्ट्रार के पद पर वैद्य एन. पी. भारद्वाज कार्य कर रहे हैं। अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डॉ० बहादुरसिंह : सन् ५५ से साक्षात्कार के अभाव में प्रार्थनापत्र को रखे रखने का क्या कारण है।

श्री भीखाभाई : इसका सूची में विवरण दे दिया गया है कि बहुत सों ने शुल्क जमा नहीं कराया है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बुलाया था इन्टव्र्यु के लिए, वे नहीं आये, कुछ लोगों ने डिग्री के प्रमाणपत्र नहीं

(श्री भीखाभाई)

दिये हैं आदि आदि कारण हैं। मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को मालूम होगा, क्योंकि वे भी इन्डिया मेडिसिन बोर्ड के मेम्बर हैं और उसके बारे में बहुत कहते रहते हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न है कि ५५ से प्रार्थना-पत्र बाकी हैं और उनका निर्णय अभी तक नहीं किया गया है जब कि कई प्रार्थना-पत्र जयपुर के हैं।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया कि इन्डियन मेडिसिन बोर्ड जिसकी आप वकालत करते रहते हैं कि उसको परीक्षा बोर्ड बना दिया जाय वह बोर्ड का काम है उसका राजस्थान सरकार से कोई काम नहीं है। वह बोर्ड एक स्वतन्त्र बोर्ड है, वह ओटोनोमस बॉडी है। उन्होंने जैसा उचित समझा किया। लेकिन जो कारण बोर्ड से प्राप्त किये हैं कि दरअसल में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था, उनको इत्तिला दी गई थी; यह अन्तिम बार सब को सूचना दे दी है। यह सारी बोर्ड की जिम्मेदारी है जिसकी वकालत यहां माननीय सदस्य बहुत करते हैं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' (अकलेरा-सु०): क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि उन्होंने कहा कि वकालत करते हैं तो माननीय सदस्य को कितना पैसा मिलता है ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

झुंझुनूं नगर में हुई चोरियां व ठगी

७०३. श्री लादूराम सुलाणिया दूदू-सु.) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) झुंझुनूं नगर में १ जनवरी, १९६० से अब तक चोरी तथा ठगी की कुल कितनी घटनायें हुई है ?

(२) उक्त चोरी की घटनाओं में से कितनी चोरियां बरामद हुई ?

(३) यदि नहीं, तो क्या कारण है कि इतनी घटनाओं के बाद भी चोरियां बरामद नहीं हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): दिनांक १०-३-६० तक ६ चोरी की घटनयें हुई, ठगी की एक भी नहीं।

(२) चोरी का केवल एक मामला बरामद हुआ।

(३) काफी प्रयत्नों के बावजूद भी बाकी मामले अभी तक बरामद नहीं हो सके।

श्री लादूराम सुलाणिया : इसका क्या कारण है कि चोरियां बरामद नहीं हुई।

श्री दामोदरलाल व्यास : चोर का पता नहीं लगा, माल का पता नहीं लगा; इसलिए ट्रेस नहीं हो सकीं :

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या यह सही है कि ऐसी कई शिकायतें आपके पास आई हैं कि चोरियां होती हैं और उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है ?

Page No.17

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई शिकायात नहीं की गई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस संबंध में जनसंघ की सीकर शाखा ने प्रस्ताव पास करके भेजा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है कि भेजा हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मंत्री महोदय के पास भेजा है और मंत्री महोदय कहते हैं कि हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अलग से प्रश्न पूछिये कि जनसंघ के प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई। अभी तो केवल यह बात पूछी है कि कितनी चोरियां हुई और कितनी बरामद हुई। जनसंघ के प्रस्ताव पर जानकारी करना चाहते है तो अलग से प्रश्न पूछिये; तो आपको सूचना दी जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : (किशनपोल बाजार, जयपुर) : यह कहा गया है कि चोरियां बरामद नहीं हुई, तो क्या सरकार इस निर्णय पर पहुंच गई है कि वे बरामद नहीं होंगी?

श्री दामोरदलाल व्यास : बावजूद कोशिश के बरामद नहीं हुई। चोरियों की बरामदगी के लिए १०० वर्ष तक कोशिश जारी रहती है।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि एक नगर में अधिकाधिक चोरियां हों और वे चोरियां बरामद नहीं हों तो सरकार उसके लिए उचित कार्यवाही करे। स्पेशल पुलिस का इन्तज़ाम करके चोरियों का पता लगाने की कोशिश की है या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : बावजूद तमाम कोशिश के कहा गया है, उसका मतलब यह है कि तमाम मामलों में तफतीश की गई और कोशिश की गई बरामद करने की मगर बरामद नहीं हुई। एक बरामद हुई, वह अदालत में पेश कर दी गई।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या यह सत्य है कि पुलिस वाले चोरियों में मिले हुए हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपको जानकारी में होगा।

प्रश्न संख्या ७०४

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

हरिजन गंदी बस्तियों के सुधार हेतु योजना

७०५. **श्री रामचन्द्र** (डग सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने वर्तमान विकास योजना में हरिजन गंदी बस्तियों के सुधार हेतु कोई योजना अपनाई है?

(२) यदि हां, तो कौन कौन सी हरि-

(श्री रामचन्द्र)

जन गंदी बस्तियों का सुधार किया गया, कितना धन खर्च किया गया और केन्द्रीय सरकार ने इसमें कितना सहयोग दिया ?

(३) क्या अगली पंचवर्षीय विकास योजना में ऐसी कोई योजना अपनाना विचाराधीन है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री संपतराम): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता है।

(३) जी नहीं।

श्री रामचन्द्र : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार हरिजनों की गंदी बस्तियों का सुधार करना उचित नहीं समझती है ?

श्री सम्पतराम : राजस्थान सरकार हरिजनों की गन्दी बस्तियों में ही नहीं, बल्कि और भी जितनी गन्दी बस्तियां हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा प्रस्तुत है। लेकिन हरिजन समाज के लिए कोई अलग स्कीम बनाई गई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार की कोई स्कीम राज्य सरकार के सम्मुख रखी है और सहायता देने के लिए कुछ लिखा है ?

श्री सम्पतराम : समाज कल्याण विभाग से कुछ रुपया जरूर मिलता है, उसमें नगरपालिका कुछ मिला कर उसके जरिये कुछ हरिजन लोकेलिटीज़ के इम्प्रूवमेंट में खर्च होता है। वह रुपया अलगतरीके से नगरपालिका को दिया जाता है और उनसे भी यह कहा जाता है कि इतना पैसा वे कन्ट्रीब्यूट करें। इसके अलावा उनको जमीन देने में भी रियायतें की जाती हैं। लेकिन अलग से हरिजनों के लिए कोई योजना बनाई गई हो, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामचन्द्र : मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई है, उसके अनुसार राजस्थान सरकार को यह भी कहा गया है कि इतना धन मन्जूर हुआ है। यह मेरा प्रश्न था कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना भेजी है ?

श्री सम्पतराम : जहां लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है इस प्रकार की स्कीम की कोई जानकारी हमें नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई योजना बनाई हो और सरकार के पास भेजी हो।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या नगरपालिका के क्षेत्र में ऐसी योजना नहीं बनी है ?

श्री सम्पतराम : इसका मैं उत्तर दे चुका हूं।

डॉ० चन्द्रकला : आपने जवाब दिया कि समाज कल्याण विभाग से सहायता मिलती है और नगरपालिका क्षेत्र में उसका उपयोग होता है तो क्या नगर पालिका के क्षेत्र में ऐसी कोई योजना बनी हुई है ?

श्री सम्पतराम : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिए कि अलग से कोई योजना नहीं है। कहीं पर हरिजन बस्तियों में सड़क टूट गई है उसको बनाते हैं, कहीं पर

(श्री सम्पतराम)

पानी की व्यवस्था करनी है तो वह कर देते हैं। अलग से कोई योजना पर कुछ नहीं देते हैं। बेकवार्ड क्लॉसेज़ के विकास के लिए सोश्यल वेलफेअर बोर्ड के पास कुछ रुपया होता है वह मदद करता है, ताकि इम्प्रूवमेंट का ज्यादा काम हो सके।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु) : माननीय अध्यक्ष, मन्त्री महोदय को पता नहीं है और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लेकिन हरिजनों की गन्दी बस्तियों ने कितनी प्रगति की है, यह पता नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इतनी प्रगति की है कि मिनिस्टर बन गये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया।

कोटा जिले में गांधीसागर बांध से कृषि तथा औद्योगिक कार्य हेतु विद्युत

७०६. श्रीमती आनन्दी देवी जेलिया (बारां–सु०) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) सरकार द्वारा सर्वेक्षण के बाद चम्बल बांध (गांधी सागर) से उत्पादित विद्युत शक्ति को कोटा जिले की किन किन तहसीलों में कृषि कार्य व औद्योगिक कार्य के लिये दिये जाने हेतु विद्युत लाइन कायम किये जाने की योजना विचाराधीन है ?

(ब) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलों में, खास तौर से रामगंज मंडी व चेचट को उक्त सर्वेक्षण के समय सम्मिलित नहीं किया गया है, जब कि यह स्थान सबसे नजदीक है ?

(स) यदि हां, तो अब सरकार इस सम्बन्ध में आर्थिक व औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : सन् १९५६ के सर्वेक्षण में सिर्फ कोटा के ही विद्युत भार सर्वेक्षण के अंक उपलब्ध थे और अभी गांधी सागर पर अर्जित विद्युत कोटा को ही मिलने की योजना है।

(ब) सन् १९५९ के सर्वेक्षण में रामगंज मंडी और चेचट का भी विद्युत भार सर्वेक्षण किया गया है। भार सर्वेक्षण के पक्के अंक अभी उपलब्ध होने हैं।

(स) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि रामगंज मंडी और चेचट का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

गांव पंवालिया (सांगानेर) के श्री भूरा नामक व्यक्ति को मारने की चेष्टा

७०७. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर-सु०) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि सितम्बर, सन् १९५९ ई० के प्रथम सप्ताह में गांव

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

पंवालिया, थाना सांगानेर, जिला जयपुर के रहनेवाले श्री भूरा नामक एक चमार को कुछ लोगों ने गले में रस्सी डाल कर कुए में लटका दिया था और उसे जान से मारने की चेष्टा की थी ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में थाना सांगानेर में उक्त हरिजन द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और कुछ आवेदन-पत्र भी दिए गये थे ?

(ग) यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(घ) अब तक इस बारे में कितने व्यक्तियों का चालान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। श्री भूरा चमार ने इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस में दर्ज नहीं करवाई परन्तु उसने दिनांक ५—८—५६ को इत्तला दी कि उसकी दिनांक ४—६—५६ को ४ आदमियों ने लाठियों से मार पिटाई की, जब कि वह नोलखीवाली पट्टी के खेतों में लगा हुआ था।

(ग) शिकायत कुनिन्दा को हिदायत की गई कि वह अदालत में चाराजोई करे क्योंकि उसकी शिकायत से सिर्फ जेर दफा ३२३ ताजीरात हिन्द जुर्म बनता था, जो कि काबिल दस्तन्दाजी पुलिस नहीं है।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या उसने इस प्रकार का कोई आवेदन—पत्र पेश नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसने रोजनामचे में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वह दर्ज कर ली गई, मारपीट के बारे में।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू—सु०) : रिपोर्ट जबानी थी क्या ?

श्री हरिशंकरसिद्धान्त शास्त्री : क्या रिपोर्ट दर्ज करनेवाले अपराधी के रिश्तेदार थे इसलिये उन्होंने दर्ज नहीं की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रोजनामचे की कार्यवाही पुलिस में दर्ज है, आप चाहें तो पढ़ कर सुना सकता हूं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि उसने दूसरे दिन दर्ख्वास्त पेश की थी वह थाने में दर्ज नहीं हुई और गायब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी दर्ख्वास्त की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० बहादुरसिंह।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मोअत्तिल ओवरसियर

७०८. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने ओवरसियर मोअत्तिल हैं और कब से ? सूची सदन में प्रस्तुत करें।

Page No.21

(डॉ० बहादुरसिंह)

(२) बहुत समय से जो अभी तक मोअत्तिल हैं उनके विषय में निर्णय क्यों नहीं किये जा रहे हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) पांच, जिनकी सूची विवरण सहित संलग्न है।

(२) इनमें से दो बहुत समय से मौअत्तिल हैं। पुलिस व कोर्ट में इनकी जांच चालू रहने के कारण निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

डॉ० बहादुरसिंह : १६५५ से जो लोग मुअत्तिल हैं किन कारणों से उनके खिलाफ जांच का परिणाम अब तक नहीं निकला ?

श्री हरिश्चन्द्र : कारण मेरे पास नहीं हैं, पुलिस के पास हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : What is the position of the rest 3 of which you have given in the list ?

श्री हरिश्चन्द्र : The question of K. Lal is sub-judice. The other has been reported on 29th February, 1960 and investigation are going in.

श्री श्रीभानसिंह : Whether the investigation is going in the C. I. D. or departmental investigation.

श्री हरिश्चन्द्र : In the Police.

डॉ० बहादुरसिंह : सन् ५५ से जो केस पेन्डिंग हैं उनके बारे में पुलिस को रिमाइन्ड किया गया है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।

प्रश्न संख्या ७०६

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री गोवर्धनसिंह।

भरतपुर नगर में कम्पनी बाग से सूरजपोल होती हुई केतन दरवाजे जाने वाली सड़क का निर्माण

७१०. (४८ पी. डब्ल्यू. एम.) **श्री गोवर्धनसिंह कैन** (बयाना-सु०) क्या निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) भरतपुर नगर में कम्पनी बाग से सूरजपोल होती हुई केतन दरवाजे जाने वाली सड़क अब तक कितनी निर्मित हो चुकी है ?

(२) उक्त सड़क का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया है ?

निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब मिनिस्टर-इन-चार्ज एल० एस० जी० अपने अगले टर्न पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मनरूपराम परिहार।

अनुसूचित जाति के घोषित क्षेत्र-फलोदी तथा शेरगढ़-में जन जातियों की जन-संख्या

७११. **श्री मनरूपराम परिहार** (खारची-सु०): क्या निर्वाचन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में फलोदी व शेरगढ़ तहसीलें अनुसूचित जाति का क्षेत्र घोषित हैं ? यदि हां, तो इन तहसीलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों की जन-संख्या अलग अलग कितनी कितनी हैं और किस किस प्रतिशत से हैं ?

(श्री मनरूपराम परिहार)

सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

आयुर्वेद मन्त्री (श्री भीखाभाई) : जी हां। फलोदी व शेरगढ़ तहसीलें फलोदी निर्वाचन क्षेत्र में हैं जो अनुसूचित जाति का क्षेत्र घोषित हैं। इन तहसीलों की जन-संख्या प्रश्नोत्तर में १९५१ की जनगणना तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति आदेश, १९५० के आधार पर नीचे लिखे अनुसार है :

(१) तहसील	(२) जनसंख्या	(३) संख्या अनुसूचित जाति
फलोदी	८७,०२३	२,९१६
शेरगढ़	८३,८०७	४५३

(४) संख्या अनु० जनजाति	(५) सं० पि० जाति	(६) प्रतिशत संख्या
,,	उपलब्ध नहीं है	३.४
,,	,,	४.००

सन् ५१ की जनगणना के पश्चात् अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। लेकिन ये आंकड़े गलत मालूम होते हैं। २,९१६ के बजाय २९,००० होने चाहिये।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : आंकड़े गलत हैं, तो क्यों जवाब दे रहे हैं?

श्री भीखाभाई : जो फैक्ट्स हैं वे सदन के सामने रख देना चाहता हूँ, मैं गलत जवाब नहीं देना चाहता। जो सूचना है वह १९५० के जन-जाति व अनुसूचित जाति आदेश के अनुसार है। करेक्ट फिगर्स मिलेंगे तो दुरूस्ती कर ली जायेगी। अनुसूचित जन जाति के आंकड़े नहीं बताये हैं क्योंकि १९५१ में सम्मिलित नहीं थे।

श्री मनरूपराम परिहार : कितने पर्सेन्ट पर अनुसूचित जाति के लिये सीट घोषित करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ये थोडे ही करते हैं।

श्री भीखाभाई : डीलिमिटेशन कमीशन इसको तय करता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर-सु०) : क्या यह बता सकते हैं कि कौन कौनसी जातियें चेन्ज कर दी गई हैं?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, सन् १९५० के बाद शिड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत सी दूसरी जातियों को शामिल किया गया है। १९५२ में जो जनरल चुनाव हुए थे तब फलोदी में रिज़र्व सीट नहीं थी। १९५७ में जो चुनाव हुए उस समय दूसरी जातियों को शामिल कर लिया गया था, इससे काफी तादाद बढ़ी; जिसके फिगर्स मालूम नहीं हुए हैं। ये जो फिगर्स बताये गये हैं वे उस समय के हैं जब कुछ को माना गया था, कुछ को नहीं माना गया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

जोधपुर नगर में पीने के पानी की व्यवस्था

७१२. **श्री आनन्दसिंह कछवाहा**

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

(जोधपुर-१) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में पीने के पानी की भारी दुर्व्यवस्था वर्षों से है ?

(२) नई स्कीम के मुताबिक कब तक सब लोगों को पानी के कनेक्शन्स मिलने लग जावेंगे ?

(३) उक्त कार्य शीघ्र पूरा हो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) दुर्व्यवस्था नहीं, बल्कि पानी की कमी कई वर्षों से महसूस हो रही है ।

(२) नई स्कीम पूरी होने पर ।

(३) कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कार्यवाही चालू है ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : 'शीघ्रता' से क्या मतलब है ?

श्री हरिश्चन्द्र : पानी का क्वेश्चन इन्टररिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से । जब तक नया पॉवर हाउस नहीं होगा तब तक इसका हल भी कठिन है ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : इस गर्मी की मौसम तक ठीक हो जायेगा या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : पॉवर हाउस के लिये व्यवस्था की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रिज़र्व्ड एवं प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स में गायों की चराई-दर

७१३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में गायों की चराई रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स और प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स में किस किस शरह से लगती है ?

(२) क्या यह सही है कि प्रोटेक्टेड और रिज़र्व्ड फोरेस्ट्स में चराई की इस शरह में भिन्नता है ? अगर हां, तो क्या ?

(३) क्या यह सही है कि रियासत जयपुर में और जुरिस्डिक्शनल ठिकानों में गायों की चराई नहीं लगा करती थी ? अगर हां, तो क्या अब भी वह ही अमल जारी है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) रिज़र्व्ड व प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के अनुसार गाय की चराई की फीस नहीं लगती, ग्रेज़िंग युनिट के अनुसार ली जाती है । प्रचलित चराई फीस की सूची सदन की मेज पर रखदी गई ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जयपुर रियासत में और जुरिस्डिक्शनल ठिकानों में कहीं २ गायों की चराई लगती थी और कहीं कहीं नहीं लगती थी । जहां लगती थी वहां पर भी वसूल होती है और जहां नहीं लगती थी वहां पर भी नहीं लगती है ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

Page No.24

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): क्या उनको सरकार माफ नहीं करेगी जहां पहले नहीं लगता था और अब लगता है ?

श्री सम्पतराम : इसमें माफ करने का प्रश्न नहीं है। जहां नहीं लगती थी वहां पर भी लगाई है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ-नगर-सु०) : नहीं लगाते हैं तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ज्ञानचंद मोदी।

नीम का थाना तहसील में सड़कों का अभाव

७१४. **श्री ज्ञानचंद मोदी** (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि नीम का थाना तहसील में ८ वर्ष के अन्दर सिर्फ ५ मील नई सड़क बनी है ?

(२) यदि हां, तो इतनी कम प्रगति का क्या कारण है ?

(३) इस क्षेत्र में अब कौनसी नई सड़कें बनाने की योजना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह सही है।

(२) केवल नीम का थाना से पाटन तक की १२ मील की सड़क बनाने की योजना थी जिसका कार्य योजनानुसार चालू है।

(३) नीम का थाना से गांवडी होती हुई गनेश्वर तक की सड़क तथा चेला से मुहाता तक की सड़क।

श्री ज्ञानचंद मोदी : १२ मील की सड़क ८ मील में पूरी नहीं हुई, ४ मील ही बनी है, इस बीच में ५ मंत्री महोदय बदल गये हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आप क्या चाहते हैं ! मैं समझा नहीं।

श्री ज्ञानचंद मोदी : ८ साल में ४ मील बनी है।

श्री हरिश्चन्द्र : जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अक-लेरा-सु०) : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय बदल गये तो क्या इंजीनियर्स बीमार हो गये थे ?

प्रश्न संख्या ७१५

श्री अध्यक्ष : श्री नरोत्तमलाल जोशी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

भाखरा योजना के अन्तर्गत नीम का थाना को बिजली

७१६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या विद्युत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) नीम का थाना कस्बे को भाखरा योजना से बिजली कब तक प्राप्त हो सकेगी ?

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(२) इस क्षेत्र में बिजली गृह उपभोग व औद्योगिक उपभोग के लिये किन दरों में प्राप्त हो सकेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नीम का थाना के विद्युतिकरण की कोई योजना नहीं है।

(२) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

उदयपुर जिले के साप्ताहिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन

६१७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Public Relations Minister be pleased to state:—

1. How many weekly newspapers and magazines from Udaipur District are on the approved list of the Government for the purpose of giving Advertisements? The list giving the dates on which each of these weeklies were first published and the dates on which the names of each of them was included in the Approved list may be supplied.

2. what are the rates at which Advertisements are being given to each of these papers and what is the Certified Circulation of each of them?

3. How many Advertisements have been given to each of these weeklies annually from 1955 to 1959?

4. Is it correct that old bills of some of these Weeklies are not yet paid? If so, the reasons for not making payment in each case may be stated.

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

1. Ten Weekly News Papers and Magazines from Udaipur District are on the approved list of the Government for purpose of giving Advertisements. List marked 'A' is placed on the Table of the House.

2. A statement of circulation and rates of each Weekly is enclosed which may be seen at 'B'.

3. Statement, showing the amount of verified bills during the years may be seen at 'C'.

4. Yes. The bills could not be paid as they were under dispute or were not received.

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री पी. के. चौधरी : How is it that most of the weeklies have got the Government advertisements within a year of their publication?

श्री दामोदरलाल व्यास. पब्लिक में जिन अखबारों का ज्यादा स्वागत हुआ हो, अखबार ज्यादा लोकप्रिय बन गये हों, तो सरकार विचार करती है कि एडवर्टाइज़मेंट किस अखबार को देने से उसका ज्यादा प्रकाशन होगा।

श्री अध्यक्ष : साल भर का हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अर्ज कर चुका हूं।

श्री पी. के. चौधरी : सक्युलेशन के जो फिगर्स दिये हैं वे स्वागत के यार्ड-स्टिक हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी ?

श्री पी. के. चौधरी : सक्युलेशन के जो फिगर्स दिये हैं, वे स्वागत के यार्ड-स्टिक हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां। कॉन्ट्रेरी प्रूव न हो जायं तब तक।

श्री अध्यक्ष : श्री गोर्वधनसिंह केन।

खेडली (अलवर) में बिजली घर की योजना

७१८. **श्री गोवर्धनसिंह केन** (बयाना-सु०) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या निकट भविष्य में जिला अलवर के क्षेत्र खेडली में बिजली घर लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : जी हां, खेडली में जहां कि नगरपालिका पॉवर हाउस स्थापित करना चाहती है; इसके लिये नगरपालिका की दर्ख्वास्त पर आदेश दिनांक १९. ११. १९५९ को जारी किये गये थे और उसकी पालना में राजस्थान विद्युत मंडल ने सर्वे अभी कुछ ही दिन हुए करवाई है और सर्वे के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जावेगी और वह नगरपालिका को भेज दी जावेगी ताकि वह निर्णय कर सके कि पॉवर हाउस वहां लगाया जावे या नहीं। सरकार की तरफ से खेडली में कोई पॉवर हाउस लगाने का अभी प्रोग्राम नहीं है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : १९.११. १९५९ को क्या आदेश जारी किये गये ?

श्री हरिश्चन्द्र : सर्वे रिपोर्ट भेजी है उनके पास।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

चूरू जिले में ठेकेदारों तथा दुकानदारों में बकाया सरकारी रकम की वसूली

६८८. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या आबकारी तथा कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(ख) क्या यह सही है कि पिछले तीन सालों में चूरू जिले के बहुत से ठेकेदारों व दूकानदारों में सरकारी रकम बकाया पड़ी है ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों में, कब कब से, कितनी कितनी रकम बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) सरकारी रकम के बकाया रहने का क्या कारण है तथा सम्बन्धित अधिकारियों

Page No.27

(श्री किशनाराम)

द्वारा सरकारी रकम की वसूली में इस प्रकार की ढिलाई करने पर सरकार ने अब तक क्या एक्शन लिया तथा अब बकाया रकम की वसूली के लिये क्या विचार रखती है ?

आबकारी तथा कर मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (ख) जी हां। पिछले तीन सालों से चूरू जिले में किसी भी ठेकेदार में किसी भी प्रकार की रकम बकाया नहीं है । १५ दूकानदारों में बिक्री कर की रकम बकाया है जिसकी सूची संलग्न है ।

(ग) सरकारी रकम बकाया रहने का कारण यह है कि संलग्न सूची में अंकित क्र. सं. १ व २ के दूकानदारों का तो दिवाला निकल चुका है व अन्य लोग अपना कारोबार उठा चुके हैं । इस विषय में इस विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ढिलाई नहीं की गई है। बकाया रकम की वसूली के लिये उचित समय पर पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत जिलाधीश को उचित कार्यवाही के लिये लिख दिया गया। वसूली की कार्यवाही जारी है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

श्री किशनाराम : जिलाधीश को कब लिखा गया था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनमें बकाया रकम निकलती थी, उसकी इत्तला दे दी गई।

श्री किशनाराम : तारीख बता दीजिये, किस तारीख को लिखा गया ?

श्री मोहरसिंह (चुरू) : कौनसी तारीख को लिखा गया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री किशनाराम : तीन वर्ष से अधिकारियों ने जिलाधीश को नहीं लिखा; जब मैंने प्रश्न पूछा है उसके बाद लिखा है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पी. डी. आर. के तहत कार्यवाही करने के लिए पहले लिख दिया गया था । जिन लोगों में रकम बकाया है उनसे वसूली करने के लिए पहले लिख दिया गया था ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : क्या दूकानदारों की जमानत नहीं ली गई थी ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : लेने का कायदा नहीं था, इसलिए नहीं ली गई ।

श्री किशनाराम : किस तारीख को लिखा गया ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : तो बिना जमानत के माल दिया जाता है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणदास ।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के. चौधरी ।

Page No.28

पेय-जल समस्या सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही

६६३. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:-

Is it correct that the Committee on Drinking Water Problems has submitted its Report ? If so, what are its recommendations and what action the State Government propose to take thereon ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): Yes. A copy of the recommenations has been placed on the Table of the House. It is still under consideration of the Government.

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

श्री पी० के० चौधरी : How much time the Government will take to implement the recommendations of the Committee ?

श्री सम्पतराम : I cannot give the exact time, but the Government will give its consideration as soon as possible.

श्री पी० के० चौधरी : Since when it is under consideration ?

श्री सम्पतराम : Since its receipt. But the exact date when it was sent to the Government is not within my knowledge.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन ।

(अनुपस्थित)

श्री बी० एन० जोशी ।

(अनुपस्थित)

श्री नरोत्तमलाल जोशी ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, तारांकित प्रश्न संख्या ७१५ का उत्तर दिया जाय ।

प्रान्त की नगरपालिकाएं

७१५. श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुंझुनूं) [डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार,जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राजस्थान में कितनी म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनावों की अवधि पूरी हो चुकी है ? इनके चुनाव कब हुए, कब शपथ ली गई और कब तथा कब किस कारण से इनकी अवधि बढ़ाई गई ?

(२) किन म्यूनिसिपल बोर्डस् को भंग करने के लिए अनियमितताओं का नोटिस सरकार ने कब कब दिया और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) कितने म्यूनिसिपल बोर्ड राजस्थान सरकार ने अनियमितताओं के कारण पिछले तीन वर्षों में भंग किए हैं ? उनका नाम और भंग करने की तारीख देने की कृपा करें ।

Page No.29

१२.५ म० प०

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम): I have already sought postponement of this question because the information relates to many quarters which will take time.

डॉ० चन्द्रकला : कब ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट वीक में दे दीजिये।

प्रश्न समाप्त हुए।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६०

(विचार विमर्श एवं पारण)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग विधेयक, सन् १९६०, सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। पिछले सात आठ दिनों में राजस्थान के अलग अलग विभागों के सम्बन्ध में सदन के सामने अलग अलग रूप में मांगें प्रस्तुत हुई थीं और उस सम्बन्ध में सदन के कई माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्तावों के द्वारा सदन का ध्यान उन विभागों से सम्बन्धित बातों की ओर दिलाया था। अध्यक्ष महोदय, उन सारी बातों से ऐसा अन्दाज लगता है कि राजस्थान सरकार बजट को लाकर जिस प्रकार से सदन के सामने प्रस्तुत होती है उसी प्रकार में धीरे-धीरे एक प्रकार का डेटीरियोरेशन आता है। वह यह हो सकता है कि राजस्थान में घटनेवाली घटनाओं का असर हमारी राज्य सरकार के बजट के ऊपर पड़े और यह भी हो सकता है कि जितना असर जिस प्रपोर्शन में पड़ना चाहिए था वह सरकारी मशीनरी की ढिलाई के कारण उससे ज्यादा प्रभाव बजट सम्बन्धी बातों के ऊपर पड़ा। बजट के आम वाद-विवाद के सम्बन्ध में जिस समय सदन में चर्चा हुई थी, सदन के कई माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा किये जानेवाले खर्च की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कुछ अहम बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाया था। मैं समझता हूं कि आज के मौके का प्रयोग, यदि मैं खर्च की तरफ न जाकर सरकार के जो आमदनी के विभाग हो सकते हैं उनकी ओर करके सदन का ध्यान आकर्षित करूं तो मैं ऐसा समझूंगा कि यदि सरकार ने उनके ऊपर तुरन्त कार्यवाही करने की ओर थोड़ा कदम बढ़ाया तो आमदनी के जरियों के ऊपर उसका काफी प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान के अन्दर राजस्व की आमदनी और उसमें विशेष तौर से लैंड रेवेन्यू की आमदनी बाकी अन्य मदों से ज्यादा है लेकिन आज कोई यह नहीं कह सकता कि ऐसे भी कुछ विभाग हैं, ऐसे भी कुछ उद्योग हैं, जिन उद्योगों या विभागों की तरफ सरकार सर्तकता से ध्यान दे तो उनकी भी आमदनी लैंड

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

रेवेन्यू से कम नहीं कर सकती । हम सुनते भी हैं, सरकार के द्वारा जो प्रचार किया जाता है उसको देखते भी हैं कि राजस्थान के अन्दर काफी मात्रा में खनिज पदार्थ हैं । उन खनिज पदार्थों का यदि एक्सप्लोइटेशन ठीक प्रकार से किया जाय और उसके द्वारा रॉयल्टी के रूप में मिलने वाली रकम की सुचारु रूप व्यवस्था की जाय तो राजस्थान में काफी आमदनी हो सकती है । मैं यह बात कह सकता हूँ कि जिस तरह हमारी सरकार आंकड़े बताने को तैयार रहती है, मैं आंकड़ों के आधार पर नहीं, पर जो जनरल ट्रेन्ड है उसके आधार पर कह सकता हूं कि पिछले वर्षों के मुकाबले में राजस्थान के अन्दर ज्यादा खनिज उपलब्ध हुए हैं और खनिज विभाग की आमदनी बढ़ी है । जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि इस बढ़ती हुई आमदनी की ओर सरकार सतर्क और होशियार होकर काम लेती तो मैं समझता हूं कि हमारे आमदनी के आंकड़े और ऊंचे जाते । लेकिन एक बात, जिसको शायद मुख्य मन्त्री सुनने को तैयार नहीं होंगे, खास तौर से सदन में, यदि मैं यह कहूँ कि इस विभाग के अन्दर कुछ ऐसी अनियमिततायें होती हैं, कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जिनके कारण जो आमदनी होनी चाहिए वह नहीं हो सकती । माननीय मुख्य मन्त्रीजी को याद होगा कि पिछले सेशन के अन्दर मैंने इस सदन में एक प्रश्न पूछा था और सरकार से जानकारी चाही थी कि सरकार जिस समय प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेन्स देती है, तो प्रॉस्पेक्टिंग के पीरियड के अन्दर जो माल निकलता है उस माल को केवल एक्सपेरीमेंटल बेसिस पर लाइसेन्सी या लीज़ होल्डर ले जा सकता है, इसके अलावा कॉमर्शियल बेसिस पर माल को ले जाकर कोई फायदा उठाना चाहे तो वह फायदा नहीं उठा सकता है । मुझे इस सदन में इवेज़िव सा रिप्लाई मिलता है । सरकार की ओर से इस बात की चेष्टा की गई थी कि प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के समय में जो माल निकलता है वह माल सरकार का है । पर प्रोस्पेक्टिंग पीरियड में जो माल निकाला जाता है वह माल सरकार को नहीं मिलता है । मैंने जांच की तो पता चला कि प्रोस्पेक्टिंग के समय का माल जिन लोगों ने निकाला वे लोग ही निकाल कर ले गये और इस तरह जो माल सरकार को मिलना चाहिये था वह माल सरकार को नहीं मिला और सरकार को नुकसान हुआ । मैं स्वयं भीलवाड़ा गया और तस्दीक की कि वास्तव में प्रोस्पेक्टिंग के टाइम का माल सरकार को सौंपते हैं या निकालने वाले उसे अपने कब्जे में लेकर उससे फायदा उठाते हैं, तो मुझे वहां एक नई चीज़ मिली । वह यह है कि प्रोस्पेक्टिंग टाइम के समय में लाईसेंसी को हर महीने स्टेटमेंट पेश करने पड़ते हैं, एक तो वहां के माइनिंग इन्जीनियर को और दूसरा डाईरेक्टर माइन्स को । हर महीने कितना माल निकला इस बात की सूचना इस स्टेटमेंट के जरिये देनी पड़ती है । यह इस विभाग में अजीब व्यवस्था है कि दो स्टेटमेंट बनाये जाते है । एक डाइरेक्टर माइन्स के पास जाता हैं जिसमें खाना माल में लिख दिया जाता है "निल" और दूसरा स्टेटमेंट इन्जीनियार माइन्स के यहां भेजा जाता है उसमें खाना माल में इतने माउन्ड्स या इतने टन्स इस तरह की मात्रा लिख दी जाती है और वह स्टेटमेंट माइनिंग

(श्री भैरोंसिंह)

इन्जीनियर के ऑफिस में वहीं तक पड़ा रहता है जब तक कि वह लाइसेंसी प्रोस्पेक्टिंग पीरियड में निकले हुए उस माल को निकाल नहीं देता है। जब उस माल को वह लाइसेंसी निकल देता है तो उस माल को निकालने के बाद वह इस बात की कोशिश में फिरता है कि जो उसने पुराना स्टेटमेंट माइनिंग इन्जीनियर के यहां दे रखा है जिसके खाना माल में उसने इतने माउन्ड्स या टन्स की मात्रा में माल दर्ज कर रखा है उसकी कॉपी माइनिंग इन्जीनियर के ऑफिस से ली जाय और उसके अगेन्स्ट में "निल" करके दूसरा स्टेटमेंट दे दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : किस किसके पास जाते हैं वे स्टेटमेंट ?

श्री भैरोंसिंह : एक तो डाइरेक्टर माइन्स के पास और दूसरा इन्जीनियर माइन्स के पास। इन्जीनियर माइन्स के पास जो स्टेटमेंट जाता है उसको प्रोस्पेक्टिंग पीरियड में निकल हुए माल को लाइसेंसी जब निकाल देता है, उस माल से मुनाफा उठा चुकता है तो चैंज कर देता है, बदल दिया जाता है। इसके प्रमाण मेरे पास हैं। यदि माननीय मुख्य मंत्री चाहेंगे तो नम्बर बताऊंगा फाइल्स के। ३७ फाइल्स पिछले महीने की ६ तारीख को गायब थीं, माइनिंग इन्जीनियर के ऑफिस से।

१२. १५ म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

वे फाइल्स किनकी हैं ? वे फाइल्स हैं बड़े बड़े लोगों की, खनिज विभाग के जो अच्छे अच्छे सेठ हैं उनकी उन फाइल्स के नम्बर हैं ब्लॉक्स के साथ, मुख्य मंत्रीजी देखना चाहें तो मैं फाइल्स सहित नम्बर देने को तैयार हूं। मुझे सूचना मिली है, मैंने एक प्रश्न पूछा था शायद विभाग इस बात की कोशिश कर रहा है यह उत्तर देने की, कि वे फाइल्स मिल गई हैं, वह उत्तर आ जाने के बाद या मुख्य मंत्रीजी जानकारी देंगे उसके बाद मैं प्रमाण पेश करूंगा कि कितनी फाइलें गायब हैं और वे कहां, किसके पास हैं, अगर वे चाहेंगे तो बरामद भी कर वाऊंगा।

सभापति महोदय, इस स्थिति में और लोगों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि यह तो आम प्रेक्टिस है; इन्जीनियर के ऑफिस में पता नहीं चले इसलिये टन्स और माउन्ड्स माल के खाने में लिख कर मुगालता देते हैं। अगर ऐसा नहीं करें तो उस माल को निकालने के पहले ही लोग पकड़वा दें। माल निकल जाने के बाद "निल" लिख कर देते हैं, इससे फिर कभी पकड़ में आने की गुंजायश नहीं रहती। तो इस तरह ३७ फाइल्स आपके विभाग से गायब थीं; उनके नम्बर मुख्य मंत्रीजी के चाहने पर पेश करूंगा। तो यह आमदनी का महकमा है, इसके सम्बन्ध में इस तरह की बातें होती हैं तो ऐसा समझना पड़ेगा कि हमारे आमदनी के रिसोर्सेज़ सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह सरकार को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाया जाता है। भीलवाड़ा में कुछ क्षेत्रों में जाकर, खास तौर से माइका के कुछ क्षेत्रों में जाकर मैंने देखा कि एक तरह हम ऐसे विभागों को डीसेंट्रलाइज करना चाहते हैं, माइनर मिनरल रूल्स के आधार पर लोगों

(श्री भैरोंसिंह)

को छोटे छोटे टुकड़ों का लाइसेंस देने की व्यवस्था है; पर आज उस व्यवस्था के खिलाफ कार्य होता है। राजगडियाजी की फर्म है उसने कई प्रकार के लाइसेंस ले रखे हैं। एक नहीं बल्कि लोगों से अपने रिश्तेदारों के नाम से. करीब १० ऐसे स्थान हैं, जिनको अपने रिश्तेदारों के नाम से दूसरे लोगों ने खरीद लिया है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम १० माइल से ज्यादा एरिया किसी को भी देने को तैयार नहीं हैं और दूसरी तरफ राजगदियाजी को इतना दिया है। मेरे पास पूरी जानकारी है कि किस तरह उन्होंने इन १० स्थानों पर कब्जा कर रखा है और गलत स्टेटमेंट देकर सरकार को उस आमदनी से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जिस माल की आमदनी सरकार को होनी चाहिये खुद निकाल देते हैं, खुद मुनाफा उठा लेते हैं और इस तरह जिस माल की आमदनी सरकार को होनी चाहिये वह सरकार को नहीं होती।

सभापति महोदय, वहां मजदूरों की स्थिति भी बहुत खराब है। एक ब्लॉक में मजदूर कार्य कर रहे हैं तो वहां से निकाल देने पर भीलवाड़ा से बाहर वे जा नहीं सकता। एक ही व्यक्ति की मोनोपोली हो जाती है तो मजदूरों के सामने भी विषम परिस्थिति होती है। वहां के मजदूर मुझ से मिले थे; उन्होंने बताया कि उन लोगों की स्थिति बड़ी खराब है। राजगदियाजी सर्विस किसी मजदूर को निकालते हैं तो उसके सामने रोजी का प्रश्न आता है। वे एक ब्लॉक से एक मजदूर को निकाल कर दूसरे ब्लॉक में भेजते हैं और कहते हैं कि वह उस ब्लॉक में काम करे। उसकी पिछली सब सर्विसेज़ खत्म हो जाती हैं, उस ब्लॉक में काम पर जाने के बाद से उसकी नई सर्विस गिनी जाती है और इस प्रकार कई अच्छे अच्छे कारीगर वहां से निकाल दिये जाते हैं। इस प्रकार निकाले हुए मजदूर केबिनेट के सामने यदि इस प्रकार का रिप्रेजेन्टेशन करें कि हम इस प्रकार के कारीगर हैं, चाहे वे मेवाड़ टेक्स्टाइल से निकाले हुए हों चाहे दूसरी खानों से तो हमारे मन्त्री महोदय स्टेटमेंट दे देंगे कि ऐसे कारीगरों को सड़क कूट कर पेट भरना चाहिये। चार-चार, पांच-पांच और १०-१० रुपया रोज के कारीगर सड़क कूट कर अपना पेट भरें, यह स्थिति है आज हमारे राजस्थान में राजस्थान के खनिज विभाग की। इस सबके पीछे कारण क्या है? इस सम्बन्ध में एक ही बात अर्ज करूंगा कि इस विभाग में जितनी भी की-पोस्ट्स हैं उन सब की-पोस्ट्स पर कुटुम्ब के आदमी रखे हुए हैं। ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट उस कुटुम्ब का, डिस्पेच क्लर्क उसी कुटुम्ब का सभी उस कुटुम्ब के आदमी हैं। मन्त्री महोदय के नहीं. जिन अधिकारियों के हाथ में काम है उनके कुटुम्ब के आदमी की-पोस्ट्स पर बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्रीजी जानकारी चाहेंगे तो उनके नाम मेरे पास हैं। मैं बात सकता हूं कि कौन किस किस की-पोस्ट पर काम कर रहा है, कितने अर्से से कर रहा है यह सब जानकारी दे सकता हूँ। एक तो शायद परिवार के नहीं, वे सुनते नहीं, उनको दिखता नहीं, सर्विसेज़ पूरी हो गई, पर हमारे अधिकारी इस बात की कोशिश करते हैं कि उनकी सर्विसेज रखी जायं, उनको एक्स्टेन्शन मिल जाय और वे काम करते रहें, चाहें तो मैं उनका नाम भी बात दूंगा।

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी स्थिति में सभापति महोदय हमें विचार करना पड़ेगा कि इस प्रकार की आमदनी के महकमें में जब कि वह महकमा मुख्य मंत्रीजी का है, गृह मंत्रीजी या भूतपूर्व यातायात मंत्रीजी के अन्दर में महकमा हो तो कोई चिन्ता की बात नहीं ; क्योंकि वहां सब बराबर है ; कहें तो या न कहें तो कोई असर नहीं....

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : उनकी आप चिन्ता नहीं करेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : धीरे धीरे उनकी चिन्ता करना छोड़ रहा हूं । अपनी आदत बना रहा हूं कि उनके विभागों की चिन्ता न करूं ।

(हंसी)

लेकिन जब यह विभाग मुख्य मंत्रीजी के अधिकार में है तो मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री इस विभाग के सम्बन्ध में कोई सख्त कार्यवाही करके जो आमदनी होने वाली है उसमें जो बाधा पहुँचाते हैं उनके साथ सख्ती से कार्यवाही करके हमारी आमदनी के रिसोर्सेज़ हैं उनमें किसी प्रकार की रोकथाम नहीं हो उसकी कोशिश करेंगे ।

दूसरी बात, सभापति महोदय, आज से कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन देखा था जिसमें सरकार ने जाहिर किया कि मुख्य मंत्री कोटन मिल्स भीलवाड़ा, विजयनगर और किशनगढ़; इन तीनों स्थानों पर जो मिले हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सभापति महोदय, इन्डस्ट्रीज़ की डिमान्ड तो कल डिस्कस हो चुकी है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं इस इम्प्रेशन में था कि इसमें मुझे चान्स नहीं मिला । मैं समझता हूं कि कुछ कट मोशन्स रह गये थे । गुलेटीन लग गया था ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): यह उनके खत्म होने के बाद हुआ था ।

एक माननीय सदस्य : गुलेटीन पहले ही लागू कर लिया गया था ।

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्रीज़....

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : आप क्या क्लेरिफिकेशन चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट पर कट मोशन रह गये थे इसलिये कुछ कहना....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि कट मोशन्स इस पर नहीं रहे थे। मैं समझता हूं कि हाउस भी कल जल्दी ही एडजोर्न हो गया था ।

(घंटी)

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : मैं उस समय चैयर पर था । कुछ कट मोशन्स रह गये थे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : दो कट मोशन्स रह गये थे ।

श्री भैरोंसिंह : सरकार की तरफ से इस प्रकार का नोटिफिकेशन निकला था कि यदि ये तीन मिलें जो बन्द पड़ी हैं इनको चालू करने के लिये लाइसेन्स लेना चाहें तो उनको सरकार आर्थिक सहायता देगी और लाइसेन्स दिलाने में सहायता देगी । मैं समझता हूं कि यदि मैं इसका विरोध करूं कि

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी सरकार नई मिलें चलाने वाली है तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा और मैं इसका विरोध करना वाजिब नहीं समझता। लेकिन हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि इन मिलों के बन्द होने के क्या कारण हैं जिन कारणों से हम इस प्रकार की व्यवस्था करने चले हैं, इससे पहले हमने उन कारणों को एग्ज़ामिन करा लिया है कि इसके बन्द होने के कारण क्या हैं या नहीं ? क्या ऐसे कारण हैं कि जिनको हम किसी प्रकार से दूर नहीं कर सकते ? सभापति महोदय, जहां तक मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स का सवाल है, मैंने सुना है कि उसकी जांच एडवर्ड मिल के साथ करा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर इसका स्पष्टीकरण करेंगे। वह टैक्सटाइल मिल बन्द है और इस मिल के बारे में जांच कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार एडवर्ड मिल में मिस-एप्रोप्रिएशन के कई चार्जेज़ हैं। इसके साथ साथ वाउचरों और गलत एकाउन्ट मैन्टेन करने की भी शिकायत थी। आज यह शिकायत आती है कि यदि कोई कमेटी इस प्रकार की रिपोर्ट पेश करती है दो मिलों के बारे में तो सरकार का क्या कर्तव्य है ? एक मिल के साथ जो व्यवहार होता है वही दूसरी के साथ होता है। तो आज मेवाड़ टैक्सटाइल मिल की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं वही स्थिति एडवर्ड मिल की बनती है। एडवर्ड मिल और मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के बारे में मेरी जो सूचना है, अगर वह गलत हो तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री मुझे करेक्ट करेंगे कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के लिये सरकार ने कन्ट्रोलर मुकर्रर कर दिया है और एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता के हाथ में वह काम दे दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दोनों के लिये एक ही व्यवस्था है। एडमिनिस्ट्रेटर दोनों के मुकर्रर करना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कन्ट्रोलर कहते हैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकारी किसी ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जावेगा, किसी राजनैतिक कार्यकर्ता को नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप किसी सरकारी ऑफिसर को मुकर्रर करेंगे। मेरी इन्फोर्मेशन सजेशन के तौर पर थी कि उन महोदय को कन्ट्रोलर मुकर्रर कर दिया है। उनका सजेशन था उनके सजेशन को नहीं माना गया। मुख्य मंत्रीजी ने जो इन्फोर्मेशन दी है उसके लिये धन्यवाद है। मुख्य मंत्रीजी ने जो सूचना दी है इससे मैं यह मान कर चलता हूं कि सरकार आखिर उनको कन्ट्रोल करेगी और सरकारी अधिकारी को कन्ट्रोलर बनाएगी। अब ऐसी स्थिति आती है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड टैक्सटाइल मिल के लिये कोई कन्ट्रोल होता है तो सरकार को सहायता देनी होगी और मैं यह कहूंगा कि उनको परवरिश देगी तो वह बड़ी मात्रा में धन-राशि होगी और लाखों रुपयों की सहायता देनी पड़ेगी।

अब दूसरा पॉइन्ट यह रह जाता है कि इस प्रकार का कदम उठाने के लिये सरकार ने अच्छी तरह से इसकी जांच करवाई है कि इस मिल को जहां तक मेवाड़ टैक्सटाइल

Page No.35

(श्री भैरोंसिंह)

मिल का जिक्र है उसके बन्द होने के बाद तुरन्त सहायता जो इस वक्त देनी है, दी जाती (मिल के मालिकों को) तो क्या मिल बन्द हो जाती और अब तक कपड़ों की प्रोडक्शन और मिल के मज़दूरों की बेकारी की समस्या जो पैदा हुई है उसका क्या समाधान नहीं हो सकता था ? मैं यह समझता हूं कि सरकार नई मिल के कन्ट्रोलर की व्यवस्था होने के बाद में बचन-बद्ध है। आगे भी किसी प्रकार से फाइनल इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही करना चाहे तो उसके पहले सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि चालू मिलों में यदि मिल मालिकों को कुछ आर्थिक संकट आया हो तो कुछ पैसों की आर्थिक सहायता उन मिल मालिकों को उस मिल की अच्छी सिक्योरिटी के एवज में देकर चालू रख सकती है ताकि मज़दूरों को किसी प्रकार की बेकारी की समस्या पैदा न हो।

सभापति महोदय, मुझे इस बात की ख़ुशी है, जैसी मेरी सूचना है उसके अनुसार कोटा में भवानी मंडी में या अन्य स्थान पर उद्योगपति से मिल कर मिल चालू करने का विचार किया है और सरकार ने इसके लिये निश्चय ले लिया है। मुख्य मंत्री इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि उनको कितने स्पिन्डल्स का लाइसेन्स मिल रहा है, किनको मिल रहा है और किन किन आधार पर मिल रहा है ? सरकार ने जो यह प्रयास किया है उसके लिये मैं सरकार की सराहना करता हूं और यह आशा करता हूँ कि इसके बाद, सभापति महोदय, इस सदन को आगे इस सम्बन्ध में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें खनिज और उद्योग विभाग के बारे में सदन में प्रस्तुत की हैं।

अब मैं मुख्य मंत्रीजी के सामने यह निवेदन करना चाहूँगा कि कई बार वे नाराज़ होते हैं कि यह बात सदन में कहने की नहीं है। अभी अभी सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाइजेशन करेंगे। २६ जनवरी से ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइजेशन की स्कीम थी और जैसा कि कैबिनेट में डिसिज़न लिया गया उसके अनुसार जल्दी से जल्दी गाड़ियें खरीदी जाएं, इसके लिये एक हाई पॉवर कमेटी मुकर्रर की और उसके चेअरमैन भूतपूर्व यातायात मंत्री को बनाया गया। उसके बाद यह तय हुआ कि १०० गाड़ियें खरीदी जावें जिनमें से ४० गाड़ियें लिलैन्ड (अअव्य) और ६० गाड़ियें मरसीडीज़, इस प्रकार १०० गाड़ियें खरीदी जावें। इसके बाद उनकी बॉडी बनाने का प्रश्न आया। सरकार ने उसके लिये टेन्डर मांगे और ८ फर्मों ने टेन्डर दिये। दो प्रकार के बॉडीज़ के लिये टेन्डर आये। एक तो कम्पोज़िट बॉडी और दूसरा ऑल स्टील बॉडी का था। ऑल स्टील बॉडी के लिये १३,५०० रु० का और कम्पोज़िट बॉडी के लिये १०,५०० रु० की कीमत का कोटेशन आया। सभापति महोदय, मुझे सबसे ज्यादा....

(घंटी)

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य रूल ६७ है, उस पर जरूर ध्यान देंगे। इसमें सिद्धान्त है:

'67. Discussion of principle of Bill-On the day on which any motion referred to in rule 66 is made, or on

Page No.36

(श्री सभापति)

any subsequent day on which the discussion thereof is postponed, the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally but the details of the Bill shall not be discussed further than is necessary to explain its principles'. यह गवर्न होता है सिद्धान्तों पर ।

श्री भैरोंसिंह : मैं जनरल डिस्कशन पर ही बोल रहा था ।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : जनरल डिस्कशन में अलग अलग से बहस न हो तो समय बच सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जनरल डिस्कशन पर ही मैं बोल रहा था और मैं यह बता रहा था कि आमदनी और खर्च में किस प्रकार का अनुपात रखा जाना चाहिये । किस प्रकार से कन्ट्रोल होता है या नहीं, मैं यह बता रहा था । यदि मैं हैड्स पर जिक्र नहीं करूंगा तो सदन को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी । तो मैं यह बता रहा था कम्पोजिट बॉडी के लिए एस्टीमेट कीमत १०, ५०० टेन्डर में दी गई थी और इसी में ऑल स्टील बॉडी के लिये १३,५००)रु० की । सरकार ने यह तय किया कि हम को तो ऑल स्टील बॉडी ही बनानी चाहिये । अब तय क्यों किया ? इसके विषय में यू. पी., पंजाब और मध्य प्रदेश इन तीनों से जानकारी प्राप्त की होगी कि कम्पोज़िट बॉडी अच्छी है या ऑल स्टील बॉडी । उनके जितने ट्रान्सपोर्ट विभाग हैं, रोड वेज़ के जितने साधन हैं उनकी नीति यह है कि हमारे लिए ही नहीं किन्तु राजस्थान के लिए कम्पोज़िट बॉडी ज्यादा फायदेबन्द है । उन्होंने अपनी ओपीनियन बनाली । उनके यहां वे भी ऑल स्टील बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं और उन्होंने कोटा बना लिया है कि धीरे धीरे कम्पॉजिट बॉडी की कर दी जाय । चूंकि उनके यहां ऑल स्टील बॉडी है, इसलिए १३,५००)रु. का ऑल स्टील बॉडी का टेन्डर राजस्थान ने स्वीकार कर लिया । इसमें दिक्कत यह हुई है । ब्यावर से अजमेर का जो रास्ता है उसके दोनों तरफ पेड़ हैं परन्तु ऑल स्टील बॉडी गर्मी के दिनों में इतनी गर्म हो जावेगी कि चाहे उनमें आप पंखे लगायें, चाहे उनको नीम के नीचे से निकालें, मुसाफिरों के साथ एक जबर्दस्त दिक्कत पैदा हो जायेगी । यदि आप प्रत्यक्ष में देखना चाहें तो मध्य प्रदेश और जिनका मैंने ऊपर नाम लिया है उनमें जाकर देख सकते हैं । राजस्थान में यदि कम्पोज़िट बॉडी की ही रखते और ऑल स्टील बॉडी की नहीं रखते तो आप तीन लाख की बचत कर सकते थे । वह कम और यह ज्यादा चलेगी इसमें भी अन्तर नहीं आता । दिखने में ऑल स्टील बॉडी की बसेज़ ज्यादा खूबसूरत दिख सकती हैं । जहां रिपेयर्स का प्रश्न आता है कम्पोज़िट बॉडी की रिपेयर्स राजस्थान में कोई भी वर्क शॉप में उनकी रिपेयर्स हो सकती है लेकिन ऑल स्टील बॉडी, जब कुछ दिनों बाद चर चर करने लग जाती है और उसकी मामूली रिपेयर्स जरूर करवा दीजिये लेकिन उनके पार्ट्स आदि तो आपको बाहर से ही प्राप्त करने पड़ेंगे क्योंकि उनके पार्ट्स आपको यहां किसी भी वर्क शॉप में नहीं मिलेंगे । वे बसेज चर चर करती जावेंगी और दिखावट की सुन्दरता भी नहीं टिक सकेगी ।

मुझे इस बात की तो खुशी है, सभापति

Page No.37

(श्री भैरोंसिंह)

महोदय, कि मुख्य मंत्री जी ने इन चीज़ों को प्रत्यक्ष देखा था और आपका चित्र भी कम्पोज़िट बॉडी के पास खड़े होते हुए मिलेगा। वह चित्र मेरे पास है। वे सराहना कर रहे थे कि गाड़ी बड़ी सुन्दर है। यह आपका फोटो है।

(फोटो दिखलाना)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : एल्बम में लगा लो।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो एल्बम नहीं रखता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं फोलो नहीं कर पाया। क्या फोटो है इसलिए उसको ऑर्डर मिल गया, यह कहना है आपका ?

श्री भैरोंसिंह : मैं यह नहीं कहता। इस चित्र से यह मतलब है मेरे कहने का कि आपने भी कम्पोज़िट बॉडी को अच्छा कहा है।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : आपने भी कम्पोजिट बॉडी की सराहना की है।

श्री भैरोंसिंह : यह जब आपका चित्र है और आपने यह कहा है। लेकिन मुझे खेद होता है कि उस स्थिति में मुख्य मंत्री महोदय कह सकते थे कि राजस्थान में कम्पोज़िट बॉडी बनाई जाय। कम्पोज़िट बॉडी बनाई जाती तो ३ लाख की राजस्थान सरकार को बचत हो सकती थी जो कि दूसरे अन्य कामों में काम में लाई जा सकती थी; अन्य कामों में उसका उपयोग हो सकता था।

सभापति महोदय, अब मैं उन बातों की ओर सदन का ध्यान तो नहीं दिलाना चाहता लेकिन राजस्थान सरकार को उन विषयों के बारे में संकेत जरूर करना चाहूंगा और इसलिए यह कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी उनकी स्वयं इन्क्वायरी करें तो और भी फैक्ट्स मैं उनके सामने रखूंगा। सदन में मैं उनको रखना उचित नहीं समझता, शायद जल्दी में किसी प्रकार का उत्तर दे दिया जाय और कमिटमेंट हो जाय और न भी हो।

रीजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथोरिटी, उदयपुर, की मीटिंग को ६ बार पोस्टपोन किया गया। यह छः बार मीटिंग पोस्टपोन क्यों हुई ? दो, तीन, चार बार तो सेक्रेटेरियेट से पोस्टमोनमेंट के लैटर्स गये। ट्रान्सपोर्ट की कुछ मीटिंग तो चलती रही लेकिन सवाल यह आता है कि उदयपुर में ही छः बार इस मीटिंग को क्यों पोस्टपोन किया गया ? मैं पिछले दिनों उदयपुर में गया। फतह मेमोरियल के बाहर कहीं पर भी होटलों में कोई जगह नहीं थी। पूछने के बाद मुझे मालूम हुआ कि छः महीने बाद मीटिंग हुई है। पोस्टपोन किया गया छः बार। क्यों पोस्टपोन हुई, इस विषय में मुझे और भी जानकारी प्राप्त हुई है जो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को देने के लिए तैयार हूं यदि वे एक इन्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हों तो। मुझे यह सूचना मिली है कि ऊपर के इन्टरफियरेन्स के कारण मीटिंग ६ बार पोस्टपोन हुई हैं। ऊपर के इन्टरफियरेन्स के जो कारण है मैं उनको सदन में नहीं बताना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा की जाने वाली इन्क्वायरी पर ही छोड़ूंगा। इसका जिक्र मैंने इसलिए किया है कि इन छः महीनों में चार बार मीटिंग को पोस्टपोन करने से नये रूट्स का परमिट

(श्री भैरोंसिंह)

मिल सकता था वह नहीं मिला और इससे टैक्स की जो आमदनी राजस्थान सरकार को हो सकती थी वह नहीं हुई ।

अब मैं उन पुराने मुद्दों की ओर माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । उन पुराने मुद्दों में सबसे पहले वह मुद्दा लूंगा कि एक पत्र में उनके बारे में बहुत कुछ तारीफ की बातें लिखी हुई हैं । यह मैं नहीं करता, इस पत्र से प्रेरित होकर मैंने यह उचित समझा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी में महाराणा प्रताप की सद्भावना है और वहां से प्रेरणा भी मिली है उनको । तो माननीय मुख्य मंत्रीजी अवश्य ही इस पर विचार करेंगे । इन तीन लाइनों को जो आपकी प्रेरणा का स्रोत है पढ़ कर सुना देता हूं :

(अश्रव्य)

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : श्री हरिप्रसाद यादव ।

श्री मोनहलाल सुखाड़िया : किसके लिए पढ़ा है ?

श्री भैरोंसिंह : आपके लिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : यह आपका है ।

(समाचार-पत्र दिखलाना ।)

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट ऑफ बिज़नेस की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ज्यादा जिक्र नहीं कर रहा हूं । मैंने केवल प्रेरणा ली है, इसलिये निवेदन कर रहा था ।

श्री सभापति : मैंने पहले ही जानकारी दी है और फिर जानकारी के लिए उनका ध्यान रूल १५४ के सब-रूल (४) की ओर आकर्षिक करना चाहूंगा :

"The debate on an appropriation Bill shall be restricted to matters of public importance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while the relevant demands for grants were under considera tion."

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इन चीजों में फालतू खर्चा कितना होता है वही बात रख रहा हूं । इस बात के द्वारा मुझे यह अनुमान हुआ कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने जब ऐसी बातें रखी जावेंगी तो निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होगी । मुझे यह जो प्रेरणा मिली थी वह मैं इस पत्र के जरिये जिसकी एक कॉपी मैं सदन में ले आया था, मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा था....

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : भविष्य के लिये भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह मैं पढ़ कर सुना देता हूं :

"The Speaker may, in order to

(श्री सभापति)

avoid repetition of debate require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may whithhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repetitions of the matters discussed on a demand for grant or as may not be of sdffi-cient public importance."

यह जो रेस्ट्रिक्शन है, इसको ऑब्जर्व करना है ताकि टाइम बच जाय और सब माननीय सदस्यों को अपनी बातें कहने का मौका मिल सके।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, बहुत पब्लिक इम्पोर्टेन्स की बात अब आ रही है।

पब्लिक इम्पोर्टेन्स इसलिए कि अभी माननीय राजस्व मंत्रीजी से प्रश्न पूछा गया था कि एडवर्टाइज़मेन्ट देने के सम्बन्ध में क्या प्रणाली है तो वे एक बार जल्दी में कह गये कि कुछ नियम बने हुए हैं और दूसरी बार उन्होंने यह कह दिया कि हार्ड एन्ड फास्ट इसके लिए कोई रूल्स नहीं हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस विभाग में कोई नियम नहीं बने हुए हैं, या नियम भी नहीं होते हुए कोई हार्ड एन्ड फास्ट रूल्स हो, ऐसी बात भी नहीं है और जो कन्वेन्शन एडवर्टाइज़मेन्ट देने के लिए होने चाहिये उन कन्वेन्शन्स का भी यहां पालन नहीं होता है। मैं कुछ पत्र इस समय लाया हूं जिनमें से दो पत्रों की प्रतियां ही लेता हूं। एक है 'अरावली'। आप देखियेगा कि इस पत्र के १ पेज पर समाचार हैं, दो, तीन और चार पेज पर कुल एडवर्टाइज़मेंट्स हैं। मेरे पास बहुत से पत्र हैं, मैं सब लाया हूँ। मैं इनके द्वारा यह बताना चाहूँगा कि सरकार की कौनसी एडवर्टाइज़मेन्ट देने की यह पॉलिसी है, कौनसे रूल्स हैं, कौनसे सरकार कन्वेन्शन्न को फोलो करती है? किन पत्रों को वह एडवर्टाइज़मेन्ट दे सकती है? किस चीज़ को उन पत्रों में देख कर अपने कन्वेन्शस, पॉलिसी और रूल्स के अनुसार सरकार एडवर्टाइज़मेंट देती है? 'अरावली' का एक पेज समाचार का है, बाकी के दो, तीन और चार पेज में क्या है? यह एडवर्टाइज़मेन्ट, यह एडवर्टाइज़मेन्ट, यह एडवर्टाइज़मेन्ट। चौथे पेज पर भी एडवर्टाइज़मेन्ट। एक पत्र है। एक ऊपर सामाचार छपा है और एक सदस्य का भाषण छपा हुआ है और कोई समाचार नहीं है।

इस पत्र के अन्दर चार पेजों में एडवर्टाइज़मेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त मैं ज्यादा पत्र तो आपको बताना नहीं चाहता। एक पत्र और बता देता हूँ। इसका नाम 'लोकजीवन' है। इसमें एडवर्टाइज़मेंट नहीं, इसमें एडवर्टाइज़मेन्ट देनेवाले विभाग के संचालक महोदय का फोटो है। मैंसमझता हूं हमारे मुख्य मंत्री महोदय जिनको दस साल का अर्सा हो गया मंत्री पद पर रहते हुए, उनका भी किसी पत्र के अन्दर पूरा फोटो अब तक नहीं छपा है, चप्पल से लेकर टोपी तक नहीं छपा होगा लेकिन इस लोकजीवन पत्र में जिसमें संचालक महोदय का फोटो छपता है वह भी पूरा का पूरा चप्पल से लेकर टोपी तक....

श्री चन्दनमल वैद : इसमें टोपी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसके साथ साथ २४ दिसम्बर का जो अखबार निकलता है उसमें भी इनका फोटो है; वह भी पूरा निकलता है इसके १५ दिन बाद वह फोटो फिर छपता है। इसमें भी टेन्डर नोटिस उसी तरह के हैं। इससे मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, कि इन चीजों के बताने से मेरा केवल मतलब यह है कि सरकार जो यह कहती है कि एडवर्टाइज़मेंट पॉलिसी हमने निर्धारित कर रखी है लेकिन जिन जिन पत्रों का हवाला मैंने दिया, और भी कई पत्र हैं उनको केवल इसलिये एडवर्टाइज़मेन्ट दिया जाता है कि उनको प्रोटेक्शन देना है, कुछ पत्रों को संरक्षण देना है। राजस्थान सरकार अपने प्रेसों के सम्बन्ध में अनाप–शनाप खर्च करती जा रही है। इस पर किसी प्रकार से कन्ट्रोल नहीं किया गया तो उचित नहीं होगा। अगर हम डाइरेक्टर महोदय के खिलाफ कुछ कहते हैं तो गृह मन्त्री महोदय कहते हैं कि हमें उनके खिलाफ जो जो भी एलीगेशन्स हों उनकी लिस्ट बना कर दें। मुझे जहां तक पता है गृह विभाग ने इसी प्रकार की एक लिस्ट बना कर सचिव मुख्य के पास भेज दी है और वह श्री आर० डी० माथुर के हवाले कर दी है। ऐसी आशा तो है कि अब जल्दी से जल्दी जांच हो जायेगी लेकिन मुझे सन्देह यह भी रहता है कि इसकी जांच होगी भी या नहीं? इस जांच के सम्बन्ध में जो एलीगेशन्स की लिस्ट बनाई गई थी उसमें एक एलीगेशन भूल से रह गया है, अतः मैं सदन की जानकारी के लिये उन एलीगेशन्स की लिस्ट में एक एलीगेशन और जोड़ने का निवेदन करना चाहता हूं और वह है मि० चोइली की रिपोर्ट जिसमें राजस्थान प्रदर्शनी के सम्बन्ध में हुई इर्रेगुलेरिटीज़ के सम्बन्ध में हवाला दिया गया है। यह उस एलीगेशन की लिस्ट में नहीं है अतः मेरा निवेदन है कि यह एलीगेशन्स भी उसी लिस्ट में शामिल कर दिया जाय; नहीं तो नया प्रकरण खोलना पड़ेगा; फिर हो सकता है इस सम्बन्ध में भी जांच की मांग की जायेगी।

इनके बारे में मैं सदन में कहता–कहता परेशान हो गया और शायद मेम्बर महोदय भी सुनते–सुनते परेशान हो गये होंगे अब केवल मुझे मुख्य मंत्री महोदय की जानकारी में लाना था और मुझे आशा है कि उनसे मुझे इस प्रकार का विश्वास मिलेगा कि वे इस सम्बन्ध में जांच करवा कर उचित कार्यवाही करेंगे।

अन्त में मैं एक बात की ओर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और उसका मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में बोलते हुए भी जिक्र किया था वह है बाफना कमेटी की रिपोर्ट। इसके अनुसार जुडिशियरी का एग्ज़ीक्युटिव से सेपरेशन होना चाहिये। इस सम्बन्ध में इस वर्ष तो सरकार की ओर से कोई कार्यवाही होती नजर नहीं आ रही है। मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे सदन को विश्वास दिलायें कि अभी तक सदन में उस कमेटी की रिपोर्ट पर विचार क्यों नहीं हुआ? सदन में विचार करने के लिये केबिनेट का डिसीज़न लेना आवश्यक हो सकता है लेकिन यह कोई नया विषय नहीं है। इस विषय में पहले

(श्री भैरोंसिंह)

भी सरकार द्वारा घोषणायें हो चुकी हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए यह कमेटी नियुक्त की थी। इसलिये मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में जल्दी से जल्दी इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि जिससे जस्टिस, कोर्ट्स आदि सेपरेट हो जायं और वह नहीं होता है तो इसका मजिस्ट्रेट्स पर असर पड़ता जाता है। अगर हम जुडिशियरी को एक्ज़ीक्युटिव से सेपरेट नहीं करते हैं तो हम, जो जुडिशियल अधिकारी हैं उनसे न्याय की उम्मेद नहीं कर सकते। आज राजस्थान में इस प्रकार की परिस्थितियां हैं जिनसे जुडिशियल ऑफिसरों के सामने यह प्रलोभन है कि अगर वे सरकार की मरजी के अनुसार चलें तो उनको रिटायरमेन्ट के बाद कहीं न कहीं फिर से लगा लिया जायेगा। इस बारे में सरकार कुछ भी कहे लेकिन इस सम्बन्ध में एक मामले की जानकारी देना कोई अनुचित नहीं होगा। जुडिशियल ऑफिसर को रिटायरमेन्ट के बाद भी टेम्पटेशन देना, यह बात उचित नहीं है। आज भी जुडिशियल ऑफिसर्स के दिमाग में यह बात है कि अगर वे सरकार की मरजी के अनुसार कार्य करते रहे तो रिटायरमेंट के बाद दो-ढाई साल फिर वे सरकार से तनख्वाह ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जुडिशियरी की सर्विसेज़ भी डिमोरेलाइज़ होती जा रही है।

प्रोमोशन के मामले को लेकर, अपोइन्टमेन्ट्स के मामले को लेकर हमारी जुडिशियल सर्विसेज़ में भी काफी असन्तोष व्याप्त है। १९५५ के अन्दर डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जजेज़ की जो सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित की थी उसके बारे में ऑब्जेक्शन्स इनवाइट किये गये थे। उन ऑब्जेक्शन्स को और रिप्रेजेन्टेशन्स को डिस्पोज़ ऑफ करने के लिये एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम राणावत कमेटी है तथा जिसके श्री राणावत और श्री भंडारी मेम्बर हैं, जिन्होंने अभी तक फाइनल डिसीज़न नहीं लिया है। इसी बीच हाईकोर्ट से एक सर्क्युलर निकलता है। उस सर्क्युलर में क्या था कि जो गवर्नमेन्ट ने सर्विसेज़ फिक्स की थी; किसी की २५ साल, किसी की २३ साल इस प्रकार के ऑफिसर्स के लिये हाईकोर्ट ने एक सर्क्युलर निकाल कर कहा है कि आपकी सर्विसेज २५ साल की है तो "Please treat it as service of 22 years without indicating any reason for it." इस तरह का सर्क्युलर निकाल दिया गया है और उस पर सभी ऑफिसर्स को नोट डाउन करवा कर वापिस भेजने के लिये कहा है; उसको रखने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता लगा है कि यह कॉन्फिडेन्शियल सर्क्युलर क्यों निकाला गया। इसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार से यह निकाला गया; सर्विसेज कम क्यों की गई? किसी एक व्यक्ति को सीनियर करने की गरज से जिसको राजस्थान हाईकोर्ट का जज बनाना है। वह वैसे जूनियर पड़ते हैं उनको सीनियर बनाने के लिहाज़ से यह मेनिपुलेशन किया गया है ताकि वे सीनियर होकर हाईकोर्ट के जज के स्थान पर लिये जा सकें; गवर्नमेंट की प्रेसक्राइब्ड लिस्ट के अनुसार तो वे जूनियर पड़ते हैं। इस तरह से आज जुडिशियल ऑफिसर्स में भी डिमोरेलाइजेशन आ रहा है। इस सम्बन्ध में मैं उदयपुर के डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज श्री गुर्टू का,

(श्री भैरोंसिंह)

उदाहरण प्रस्तुत करूंगा जिनका ट्रान्सफर केवल इस बिना पर किया गया कि कुछ लोगों ने उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया और उसमें कहा गया कि इनका यह ट्रान्सफर यहां से कर दिया जाना चाहिये। यह ठीक है कि यह प्रस्ताव बार एसोसियेशन के द्वारा पास किया गया है लेकिन आज के बार एसोसियेशन भी पोलिटीकल पार्टीज के हथकन्डे बने हुए हैं। आप जयपुर के बार एसोसियेशन को ले लीजिये। उसमें कांग्रेसी, प्रजा समाजवादी, जनसंघी सभी हैं। उसमें यदि किसी पार्टी के लोगों का बहुमत है तो वे चाहें जैसा प्रस्ताव पास कर सकते हैं। प्रोफेशनल इन्टेलीजेन्स के नाते वहां के इलेक्शन होते हों, ऐसी बात नहीं है। वहां भी पार्टी पोलिटिक्स काम करती है। मैं समझता हूं कि यदि किसी बार एसोसियेशन ने इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया है तो उस प्रस्ताव के अनुसार उसकी जांच होनी चाहिये। केवल बार एसोसियेशन ने प्रस्ताव पास कर दिया इसलिये इनका ट्रान्सफर कर दिया जाना चाहिये। यदि यही परिपाटी रही तो हमारी जुडिशियल सर्विसेज़ डिमोरेलाइज हो जायेंगी। आप प्रस्ताव के अनुसार इन्क्वायरी करते और उसके बाद गलती साबित होती है तो आपको सख्त से सख्त सजा देने का अधिकार है लेकिन केवल प्रस्ताव के पास करने पर मिड टर्म में ट्रान्सफर कर दिया जाय, मैं इसको कतई उचित नहीं समझता। इससे क्या होगा कि बाकी के जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वे यह कहेंगे कि हमें नेताओं का हुक्म मानना चाहिये; कहीं उन्होंने किसी प्रकार का प्रस्ताव पास कर दिया तो खैर नहीं। इस तरह से वे डरते रहेंगे। अगर वे उनका काम नहीं करेंगे तो उनको ट्रान्सफर का डर बना रहेगा। यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आज लोगों की बदकिस्मती है कि उनका विश्वास आज की हुकूमत से हटता जा रहा है। उनका विश्वास एक्ज़ीक्युटिव में कतई नहीं रहा है इसलिये वे समझते हैं कि अन्याय की पुकार केवल जुडिशियल डिपार्टमेंट्स में ही हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार का डिमोरेलाइजेशन हमारे जुडिशियल डिपार्टमेंट में हो रहा है जहां पर राजस्थान के हाई कोर्ट के जजेज़ के लड़के, बहनोई आदि प्रेक्टिस करते हों। प्रेक्टिस करना तो कोई पाप नहीं, उनको इजाजत है लेकिन इसका असर दूसरे लोगों पर अवश्य पड़ता है। कानून में कोई रुकावट हो या नहीं, लेकिन यह तो निश्चित रूप से कह सकता हूं कि लोगों में इस प्रकार का भ्रम तो है कि इस प्रकार के लोग तो प्रेक्टिस करते हैं उसका असर न्याय देने पर अवश्य पड़ता है। मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में...

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : इस प्रकार का प्रोसीजर है कि जिसका रिश्तेदार जिस कोर्ट के अन्दर हो उस कोर्ट के अन्दर वह प्रेक्टिस नहीं कर सकता, इस प्रकार का रिज़ोल्युशन है; लेकिन ऐसा कोई बार भी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन हो ताकि जज महोदय पर अनुचित दबाव न पड़ सके।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : इतना जरूर है कि एक जुडिशियल ऑफि-

Page No.43

(श्री सभापति)

सर है उसके कोर्ट में उसका रिश्तेदार तक नहीं जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : तो मैं........

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : यहां कोई रिश्तेदार तक नहीं जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : वह ठीक है, सभापति महोदय, जुडिशियल ऑफिसर अगर कोई छोटा है, सेशन जज है तो उसके कोर्ट में उसका रिलेटिव न जावे, यह तो ठीक भी हो सकता है पर वह ऑफिसर जो बाकी के जजों को कन्ट्रोल करता है उसका रिश्तेदार अगर वहां भी प्रेक्टिस करता है तो वह उनको काफी इन्फ्लुएन्स कर सकता है; तो उस स्थिति में उसका लड़का अगर सब जगह प्रेक्टिस करे तो शायद उसका असर बुरा हो सकता है । वह असर बुरा न हो, इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का मेरा निवेदन है । उसकी कार्यवाही के बुरे असर को रोकने के लिये मैंने निवेदन किया है ।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : That is a very difficult proposition. He cannot do legal practice, he cannot be appointed in the judiciary.

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिये तो निवेदन कर रहा था कि किसी भी प्रकार से इसको प्रश्रय नहीं मिलना चाहिये ।

इसलिये मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां इस प्रकार की जुडिशियरी की जो प्रतिष्ठा है वह उसी रूप में बनी रहे और आगे और भी बढ़ती जावे, इस सम्बन्ध में मैंने सरकार के समक्ष सदन में निवेदन किया है । मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस जानकारी के कारण सरकार भी सतर्क होगी और जुडिशियल ऑफिसर भी सदन की भावना से परिचित होकर इस प्रकार की भावनाओं से अवगत होंगे, और अवगत होकर सही न्याय प्राप्त कराने की ओर अग्रसर होंगे, अपने निर्णयों को इस तरह के रिश्तेदारों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देंगे ।

इसके बाद मैं सदन का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करते हुए माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने सदन में यह अपील की थी कि कुछ भ्रष्टाचार के यदि मामले हों तो सदन के बाहर कहे जावें । मैं उनको केवल अवगत कराता हूं और इसके बाद माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में यदि जानकारी करना चाहें तो जानकारी कर लें, जांच करना चाहें जांच कर लें, स्वयं करना चाहें स्वयं कर लें, इन्क्वायरी बैठाना चाहें इन्क्वायरी बैठा दें, जैसा वे चाहें वैसा कर लें । मैं केवल इतना विश्वास उनको दिलाना चाहता हूँ कि जो इन्फोर्मेशन मैं उनको दे रहा हूँ या जो संकेत कर रहा हूँ वह गलत नहीं हो सकती । हां, इतना फर्क निकल सकता है कि पांच आने की जगह तीन आने हों या तीन आने नहीं निकल कर एक आना निकल जावे । यह भी इस वास्ते हो सकता है कि मेरे पास या मेरे सामने रेकॉर्ड जो सरकार का है वह नहीं है । अगर सच्चाई और सिन्सियरली जांच की जावे तो जहां घाटे से सरकार बच सकती थी वहां हजारों रुपयों की बचत भी कर सकती थी । मैं बताऊं एनिमल हस्बेन्डरी

(श्री भैरोंसिंह)

के सामान के पर्चेजेज़ के बारे में यहां सदन में इतना कुछ कहे जाने के बाद में भी गड़बड़ियां हुई हैं, वे रुकी नहीं हैं।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : इसमें रूल है; Shall का शब्द है, "shall not be repeated". I think you will not repeat whatever you have already said.

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि खरीद-फरोख्त अब भी की गई और नियमों के विपरीत की गई; बीस हज़ार से ज्यादा की की गई है। जो जो चीजें मैंने बताई थी कि इस इस स्पेसिफिकेशन की खरीदी जावेंगी वे नहीं खरीदी गई। माननीय मुख्य मंत्रीजी जानकारी करना चाहें तो मैं उनको जानकारी देने को तैयार हूं। इसके साथ साथ इस डिपार्टमेन्ट में घास और दाना खरीद किया गया। उसकी खरीद में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं, इस सम्बन्ध में भी मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में अगर मुख्य मंत्रीजी जांच करना चाहें तो मैं इसकी भी जांच करवा सकता हूं।

इसके अलावा इस विभाग में लेबोरेटरी, औजार और रिसर्च ऑफिसर वगैरह की अपोइन्टमेंट वगैरह में दूसरे जिम्मेवार पद पर काम करनेवालों की नियमों के विपरीत नियुक्ति की गई, नियमों के विरुद्ध खरीदें की गई हैं। आप इस सम्बन्ध में जो भी जांच करना चाहें मैं आपको जांच कराने को तैयार हूं।

आप विशेष तौर से इन्कार करेंगे कि उनका सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है। वे कहेंगे कि यह उनके डाइरेक्ट कन्ट्रोल में नहीं है। मैं आपको और बताऊं वेटेरिनेरी कॉलेज है, उसका रिजल्ट हर साल गिरता जा रहा है। डाइरेक्टर इस विभाग के जो हैं वे ही इसके प्रिन्सिपल हैं। वे आज-कल कॉलेज अटेन्ड करते हैं महीने में तीन-चार दिन और यही कारण है कि वहां का रिजल्ट दिनों-दिन गिरता जा रहा है और यहां तक गिरा है कि जहां पहले उसका रिज़ल्ट ९५ परसेन्ट तक रहता था वहां अब गिरता गिरता ५० प्रतिशत रह गया है। इसमें सुधार लाने के लिये या तो आप किसी अन्य व्यक्ति की परमनेन्ट तौर पर इस प्रिन्सिपल पद पर नियुक्ति कर दें और यदि डाइरेक्टर को ही प्रिन्सिपल रखना है तो आप उसके लिये पी. एस. सी. से एप्रूवल लें। पर आप उसे रख नहीं सकते क्योंकि बार बार पी. एस. सी. ने उसको रिजेक्ट किया है। परन्तु मन्त्री महोदय की उनके ऊपर कुछ विशेष रूप से कृपा है, वे उनको राजस्थान से अलग नहीं करना चाहते। तो यही रास्ता निकाला उन्होंने कि इनको प्रिन्सिपल ही बना कर बैठा दो ताकि बुढ़ापे में वे अपना भी निर्वाह कर सकें और वेटेरिनरी डाइरेक्टर की हैसियत में भी बैठे रहें और लाभ उठावें।

इसके साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि पॉल्ट्री, बुल लेबोरेटरी, रिसर्च डिपार्टमेन्ट की नियुक्तियों के सम्बन्ध में मुझे डेफीनिट सूचना है कि किसी प्रकार यहां नियमों को वॉयलेट किया गया है। मैं वह सूचना आपको देने को तैयार हूं।

अन्त में सभापति महोदय, एक जानकारी और माननीय मुख्य मन्त्री जी आज

Page No.45

(श्री भैरोंसिंह)

यहां मौजूद हैं इसलिये उनको देने का प्रयत्न करता हूं। शायद गृहमन्त्रीजी होते तो मैं हिम्मत भी नहीं करता ; इसलिये नहीं कि उनका कोई मुझे डर लगता हो पर इसलिये कि उनके सामने मैं कितना भी कुछ कहूं कुछ सुनवाई नहीं होती; इस कारण नहीं कहता। पर चूंकि मुझे ऐसी आशा माननीय मुख्य मन्त्री महोदय से नहीं है इसलिये उनके समक्ष मै निवेदन करने का प्रयत्न कर रहा हूं, फिर वे चाहे उसे स्वीकार करें या न करें। आजकल पुलिस का जो विभाग है जिस पर हमने काफी कट मोशना नहीं दिये हैं, जिस पर ठीक से विचार नहीं किया है वह पुलिस का विभाग आजकल इस स्थिति में पहुंच गया है कि आज के जितने भी डिपार्टमेन्ट के ऊपर के अधिकारी हैं वे अपने आप को एक ऑटोनोमस इन्स्टीट्यूशन के रूप में मानते हैं। वे समझ चुके हैं कि हम पर किसी का कोई कन्ट्रोल नहीं है और उनके नीचे जितने सब इन्सपेक्टर्स हैं वे मानने लगे हैं कि हम पर कोई कन्ट्रोल नहीं है, हम भी इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स हैं। अब रहा हैड कान्सटेबल और सिपाहियों का सवाल। वे इसलिये डिस्सेटिस्फाइड हैं कि हमें तनख्वाह बहुत कम मिलती है, हमारा गुजारा नहीं होता उसमें। सब इन्सपेक्टर जिस प्रकार का स्टेन्डर्ड रखवाना चाहता है उसके अनुसार तनख्वाह नहीं मिलती है। इसके कारण हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनको जनता पसन्द नहीं करती। तो दो तबके तो हैं तनख्वाह के कारण दुःखी और एक इस कारण अपने आप में खुला है कि उसके ऊपर सख्त कन्ट्रोल नहीं है। जैसे एस. पी. का कन्ट्रोल नहीं होना चाहिये पर उनमें केपेसिटी नहीं और उन पर भी कोई कन्ट्रोल नहीं इसलिए एस. पी. वगैरह भी इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी के रूप में, इन्स्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहे हैं और यही कारण है कि आज कल न कहीं जनता की इज्जत सुरक्षित है न और किसी की। एम. एल. एज़. तक पीट दिये जाते हैं ; पोलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को पीट दिया जाता है पर कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई सरकार में हलचल नहीं ? विरोधी दल के एम. एल. ए. को या विरोधी दल की पोलिटिकल पार्टी के वर्कर को पीट दिया जावे तो भी कोई बात नहीं। पीट दिया गया क्योंकि वे विरोधी पक्ष के हैं; विरोधी पार्टी के हैं; पर कांग्रेस के आदमी को पीट दिया जावे और उसकी भी सुनवाई न होवे तो सभापति महोदय, यही कहना पड़ता है कि हम इस तरह कहां जाकर रुकेंगे, हम कहां जाकर किसी स्थिति में पहुंच जावेंगे ? कोई नहीं कुछ कह सकता। हमें ऐसा लगता है कि हमारा अन्त कहीं कल्याणकारी राज्य के बदले में पुलिस राज्य के रूप में या इस प्रकार के राज्य के रूप में न हो जावे जहां जिस राज्य में किसी व्यक्ति की इज्जत नहीं बच सकेगी। प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनका सही उत्तर नहीं मिलता, झूठे मामलों की पैरवी करते हैं, उन अफसरों को उनकी गलत हरकतों की मालूम होने के बावजूद भी डिफेन्ड करते हैं। जयपुर की एक खबर निकली। बड़ा लज्जाजनक समाचार था। 'राष्ट्रदूत' में खबर निकली। तीन महिलाओं ने एक व्यक्ति को लूट लिया ! समाचार सुन कर बड़ा अचम्भा हुआ, सोचने लगा कि राजस्थान में इस प्रकार की महिलाएं कहां से पैदा हो गई जो सरे आम लोगों को लूट लें, राजस्थान सरकार के इतने बड़े पुलिस प्रबन्ध के रहते इतनी हिम्मत कर

(श्री भैरोंसिंह)

जाये, यह न केरल है, न मद्रास है, न आन्ध्र है कि जहां इस तरह की औरतें निकल जाएं कि मर्द की जेब में से पाई निकाल लें, पैसा निकाल लें। इसका राज दूसरे दिन खबर जो निकली उससे निकला। वे लूटने का काम नहीं कर सकती थीं; यह तो उनकी इज्जत लूटने के लिये पुलिस वाले आये थे तो उन्होंने उनका सामना किया। तो उस सामना करने का बदला निकालने का पुलिस ने तरीका निकाला और हम सुन कर दंग रह गये कि बदला इस तरह से भी निकाला जा सकता है कि उनको डाकू बना कर गिरफ्तार किया जावे। आखिर उनको गिरफ्तार करके थाने में लाया गया। उनको वहां पीटा गया और इसके बाद में मजिस्ट्रेट से जमानत हुई। यह मन्त्रीजी से शिकायत भी की गई। तुरन्त ही उन्होंने कुछ एक्शन लिया। यह तो ठीक बात हो गई वर्ना उनकी तो शामत ही थी। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी किस तरह से ऐसी हिम्मत हो गई? वे क्यों ऐसा काम करते हैं, क्यों हिम्मत है उनको इस तरह के काम कर गुजरने की? इसका एक ही कारण है। वे यह समझे बैठे हैं कि हमारे ऊपर कन्ट्रोल करने वाले कोई हैं नहीं। कोई हमारे ऊपर कन्ट्रोल करने वाला नहीं हो सकता, वे स्वच्छन्द रूप से इसीलिए काम कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह की किसी के साथ ज्यादती कर जावे तो भी उनको चिन्ता नहीं, पर्वाह नहीं। वे समझे बैठे हैं कि हम ही सब कुछ हैं। रात-दिन लोगों को पीटा जाता है, सभापति महोदय, मेरे पास मेडिकल सर्टीफिकेट्स हैं जिन जिन लोगों को पीटा गया है पुलिस द्वारा राजस्थान में।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आपने भी पीटा है?

श्री भैरोंसिंह : मैंने नहीं, जिन जिन लोगों को राजस्थान में पुलिस द्वारा पीटा गया है उन उन लोगों से कइयों से मैं मिला हूँ और उनके मेडिकल सर्टीफिकेट्स लिये हैं। एक को पीटा, मामूली नहीं, ६.३ इन्च का घाव है, इतना कट है। मजिस्ट्रेट देखता है, कोतवाली थाने से जंगले में से उसको बुला कर मुआयना करता है, और वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, पड़ा रहता है। मजिस्ट्रेट कहता है इसकी जमानत ली जावे, इसका डॉक्टरी मुआयना कराया जावे। डॉक्टरी मुआयना कराया जाता है। तो आज ये सारी चीजें जो चलती हैं वे इस प्रकार की हैं कि जिनके कारण हमें ऐसा डर सा लगने लगा है कि यदि यहां विधान सभा में इनके खिलाफ कुछ बोलने की बात करेंगे तो कहीं ऐसा न हो, कहीं विधान सभा के बाहर निकलते ही कुछ भी इल्जाम लगा कर पकड़ लें और मारने की नौबत आ जावे।

श्री चन्दनमल वैद : You are privileged..

श्री भैरोंसिंह : वह प्रिविलेज़ है कहने भर का। आज तो बाहर उस प्रिविलेज पर आंच आने लग गई है। भीलवाड़े से आने वाले एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था इस सदन में। एस. पी. के सम्बन्ध में गलत धारणाएं थीं। सरकार से उसकी जानकारी करनी चाही। जानकारी मांगी गई सरकार द्वारा, तो वहां से गवर्नमेन्ट को यह पत्र मिला कि इस एम. एल. ए. की एक्टीवि-

(श्री भैरोंसिंह)

टीज़ को, चूंकि मैंने दबा दिया है, यह खुले रूप में काम करना चाहता है, वह खुली छूट मैंने नहीं दी, उसकी एक्टीविटीज़ को चूंकि मैं खत्म करना चाहता हूं इसलिये मुझ से बदला लेने की गरज से यह प्रश्न उसने पूछा है और इसके लिये मुझे उसके खिलाफ डिफेमेशन का सूट दायर करने की इजाजत दी जाय। विधान सभा के सदस्य को विपरीत सूचना हो सकती है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है तो प्रिविलेज्ड पोज़ीशन हमारी है कि उसका सही निर्णय निकालने के लिये उसको लेकर कुछ बात सदन में वे अपनी इच्छानुसार कह सकते हैं। अगर कुछ गलत बात वह कहता है तो सदन ही इसका निर्णय कर सकता है और वही उसे दंड दे सकता है। पर यहां की बातों के लिये अगर सरकार द्वारा उन पर इन्क्रोचमेन्ट होने लगे, यदि सरकारी अधिकारियों का प्रभाव काम में आने लगे तो हो सकता है कि आज जो बात कही कल कोई सदस्य न कहने के लिये मज़बूर कर दिया जावे। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं। मैं सभापति महोदय, सदन का इस समय ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन इतना मैं कहूंगा कि आज की उस स्थिति में हमें कुछ विचार करना पड़ेगा। आज के दो साल पहले इसी विधान सभा के सदस्य श्री जगदीशप्रशाद माथुर के साथ पुलिस ने कुछ ज्यादती की थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी भी उस घटना से परिचित हैं और माननीय गृह मंत्रीजी भी उससे परिचित हैं। उस समय दोनों ने कहा था कि इस मामले में हम कमिश्नर द्वारा जांच करवायेंगे। उस समय कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई और मुख्य मंत्री महोदय ने दो वर्ष पहले जिन कमिश्नर साहब की नियुक्ति की थी उसके लिए मैंने प्रश्न किया था कि उस जांच का क्या हुआ तो उसके बाद श्री जगदीशप्रसादजी को नोटिस दिया गया है कि उस मामले की जांच करेंगे इस लिए हमारे बंगले पर हाजिर होइये; हमारे अधिकारियों की उस मामले में दो वर्ष बाद आंख खुली और वह आंख इसलिए खुली कि प्रश्न आया और माननीय सदस्य के ऊपर ज्यादती हुई थी और उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने आदेश दिया था कि जांच की जाये, तो आपके हुकम की तामील दो वर्ष बाद होती है। तो इससे तो यह स्पष्ट है आई० ए० एस० ऑफिसर्स को कोई डर नहीं है। अगर उनके साथ सख्ती से बर्ताव नहीं किया तो इनकी कोई रोकथाम नहीं हो सकेगी और शासन-व्यवस्था में और भी खराबियां आती जायेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसके संबंध में कुछ बातें सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति (श्री आबिदअली) : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, इस एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर क्रिमिनल केसेज़ के इन्वेस्टीगेशन के सिलसिले में कुछ कहना चाहूँगा। सभापति महोदय, इस सदन के सामने ऐसे बहुत से केसेज़ आते हैं और क्वेश्चन अवर में हम देखते हैं कि क्रिमिनल केसेज़ में पुलिस की तरफ से इन्वेस्टीगेशन के समय फिज़िकल वॉयलेन्स का यूज़ किया जाता है। हम सोचते थे कि इन्डीपेन्डेन्स के बाद यह जो थर्ड डिग्री मैथड ऑफ इन्वेस्टीगेशन है

(श्री पी० के० चौधरी)

उसको छोड़ दिया जायेगा और साइन्टिफिक तरीके से इन्वेस्टीगेशन शुरू किया जायेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वह आज तक नहीं हुआ। नम्बर ऑफ केसेज़ ट्राइड का रेकॉर्ड देखें तो हम देखते हैं इसके लिए दूसरी स्टेट्स ने ज्यादा उन्नति की है बनिस्बत हमारी स्टेट के। हमारी स्टेट में क्रिमिनल केसेज़ के ट्रायल में उतनी प्रगति नहीं हो रही है। जैसे आंध्र में लगभग ३ लाख केसेज़ ट्रायल किये हैं उसके मुकाबले में राजस्थान में ७८ हज़ार ही हमने ट्राई किये हैं। बिहार, हैदराबाद, बॉम्बे सभी जगह का मैथड ऑफ इन्वेस्टीगेशन हमसे ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा प्रोग्रेसिव है और यहां पर हम थर्ड डिग्री मैथड यूज़ करने के बाद भी देखते हैं कि केसेज़ में प्रगति नहीं होती है। थर्ड डिग्री मैथड का जो क्वेश्चन है वह कल भी मैंने सवाल किया था उसमें भी इसके लिए अटेन्शन ड्रॉ किया था कि किस तरह से लोगों को बुला कर पुलिस मारपीट करती है और इस संबंध में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने जो लॉ कमीशन अपोइन्ट किया था उन्होंने इस सम्बन्ध में अपनी राय जाहिर की है कि जो मैथड ऑफ इन्वेस्टीगेशन है उसका इम्प्रूवमेन्ट करना चाहिए और लॉ कमीशन ने सिफारिश की थी कि हमें जो इन्वेस्टीगेशन के मैथड को इम्प्रूव करना है तो कम से कम जो इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर है और जो नॉर्मल पुलिस ऑफिशियल्स हैं who are entrusted with the work of maintaining law and order; इन दोनों सेक्शन्स को अलग कर देना पड़ेगा। आज यहां पर होता क्या है कि वह पुलिस इन्सपेक्टर जिसको कि लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करना है उसके हाथ में ही इन्वेस्टीगेशन का काम दिया जाता है। तो इस सम्बन्ध में लॉ कमीशन ने जो सिफारिश की है यह मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। लॉ कमीशन ने पेज़ ७३ में कहा है :

"Instances were given to us of investigating Police Officers not having taken even the elementary precaution of making a search for Finger-Prints or drawing a plan of the scene of occurence. The Senior Police Officials who appeared before us admitted that many Police Officers did not have sufficient training in the matter of investigation.

It was suggested that the Police personnels entrusted with the investigation of Crime should be separate and distinct from the Police Staff entrusted with the enforcement of law and Order and other miscellaneous functions. It was said that if this was done, the detection of Crime would get the exclusive attention it needs and that such a course would lead not only to greater specialisation in the art of investigation, but will also promote speedy detection of Crime.

We think, on the whole, that there is great force in the suggestion that as far as practicable the investigating agency should be distinct from the Police Staff assigned to the enforcement of law & order." लॉ कमीशन ने इसको महसूस किया है। उनकी रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि काफी एवीडेन्सेज़ ऐसी हैं कि इन्वेस्टीगेटिंग

Page No.49

(श्री पी० के० चौधरी)

ऑफिशियल और लॉ एण्ड ऑर्डर का एन्फोर्समेन्ट करने का एक ही आदमी होने की वजह से उसमें ऐसा होता है, यूजुअली करप्शन आता है, because they are not Scientifically trained. इसके अन्दर थर्ड डिग्री मैथड वे लोग यूज़ करते हैं। इसलिए इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिशियल और लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने के लिए सेप्रेट स्टाफ होना चाहिए। मेरी यह राय है, मिनिस्टर इन्चार्ज और गवर्नमेन्ट से निवेदन है कि हमें इस चीज को दूर करना है क्योंकि सदन में हम देखते हैं कि इस सैशन में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन किसी न किसी पुलिस एट्रॉसिटी का सवाल नहीं आया हो और उसमें डैथ नहीं हुई हो। ऐसा क्वेश्चन एण्ड ऑन्सर्स के टाइम पर सदन में पाया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि हमारा जो इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर है उसके ऊपर डाइरेक्ट accusation है कि वह अपना फंक्शन बराबर अदा नहीं कर रहा है। By using tortures वह लोगों से कन्फेशन ले लेता है।

दूसरी बात, लॉ कमीशन ने यह कही है कि प्रोसीक्यूटिंग ऑफिशियल्स हैं उनके लिए जरूरी होता है कि कोई भी स्टेटमेन्ट किसी भी विटनैस का या एक्यूज्ड का जो पुलिस की कस्टडी में लिया जाता है उसकी करेक्ट कॉपीज़ पार्टी कन्सर्न्ड को देनी चाहिए ट्रायल से पहले। लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इस प्रकार की कोई कॉपी नहीं दी जाती है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): दी जाती है।

श्री पी० के० चौधरी : नहीं दी जाती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा: दी जाती है।

श्री पी० के० चौधरी : नहीं दी जाती है। और दी जाती है वह इल्लीजीबल दी जाती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही लिखा हुआ है और वह दी जाती है।

श्री पी० के० चौधरी : अगर देते हैं तो इस तरह की देते हैं कि उसको पढ़ा नहीं जा सके। इस तरह की कार्बन कॉपी देते हैं कि पढ़ नहीं सकें और इस तरह की कॉपी देना और नहीं देना बराबर होता है। मैं जिस पॉइन्ट से कहना चाहता हूँ वह यह है कि कम से कम आज सीरियस स्टैप उठाना चाहिए कि फिज़िकल एट्रॉसिटी जो एक सस्पेक्टेड एक्यूज्ड के ऊपर किया जाता है, physical torture, violatance and atrocities; उनको इमीजियेटली हमें स्टोप करना चाहिए। मैं उसको सीरियस इसलिए मानता हूं कि बार बार सदन के सामने इस प्रकार का सवाल आता है और एक–दो नहीं, during the course of these 3 years I think at least 50-60 cases have been brought to the notice of this House. और वे तो ऐसे केसेज़ आये हैं कि जिस एक्यूज्ड कन्सर्न्ड की डैथ हो गई है और वह मारपीट से डैथ हो गई है तो उसका जवाब दिया जाता है कि छत के ऊपर से गिर कर मर गया, पेड़ के ऊपर से गिर कर मर गया, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आता है, वह तो कैद खाने में था लेकिन छत के ऊपर से गिर कर मर गया। किसी के लिए कहा गया कि पेड़ से कूद कर मर गया, किसी के लिए कहा गया कि कुंए में कूद कर मर गया।

(श्री पी० के० चौधरी)

मामूली क्रिमिनल्स को तफतीश के लिए अरेस्ट किया गया है। उनके लिए अक्सर सदन में जो जवाब दिया जाता है कि इस प्रकार की डेथ हो गई। अभी बीकानेर का सवाल आया था कि एक प्रिज़नर वहां पर दीवाल से सिर टकरा टकरा कर मर गया। He struck his head against the wall and committed suicide. यह जवाब आया था कि प्रिज़नर की, अपना सिर दीवाल से टकरा टकरा कर डेथ हो गई। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट देखी In other parts of his body, chest and other places, there were injuries. इस प्रकार के सवाल अक्सर सदन के सामने आते हैं। It is an indication कि पुलिस इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर जो है वह इन्डिस्क्रिमिनेटली सिर्फ केस को डिटेक्ट करता है, किसी न किसी एक्यूज्ड को प्रोसीक्यूट करता है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि किसी पुलिस ऑफिसर को जो केस दिया जाता है वह बराबर इन्वेस्टीगेट नहीं कर पाता है तो उसके प्रमोशन या तरक्की में शायद रुकावट आये या क्विक प्रमोशन नहीं मिलता है तो in any way they want to establish a case and prosecute some person. और उसके लिए कन्फेशन या फॉल्स एवीडेन्सेज़ क्रियेट किये जाते हैं।

एक सवाल जो मैंने पूछा था और कल वह व्यक्ति यहां भी आया था उसको ३ दिन तक पुलिस में किस तरह से मारा-पीटा गया कि उसके बाद उसको एक महीने भर तक के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। यह अजमेर का किस्सा मैं बतला रहा हूँ। तीन दिन तक मारपीट करने के बाद जो करेक्ट कल्प्रिट था He was arrested with the stolen goods and now he has been convicted और जो दूसरा आदमी था जो कि २०,२५ साल से रेलवे के कारखाने में काम करता था उसकी तीन दिन तक ठुकाई की गई और जवाब दिया जाता है मंत्री महोदय द्वारा कि उसको खाली बुलाते थे, he was called for questioning and then he was allowed to go.

सवाल ऐसा है कि कानून में ऐसा है कि २४ घन्टे के अन्दर उनको मजिस्ट्रेट के सामने जाकर रिमान्ड लेकर बाकायदा काम करना पड़ता है लेकिन वे लोग ३-४ दिन तक वैसे ही रख देते हैं। इस तरह से इन्वेस्टीगेटिंग ऑफिसर करता है और बताते हैं कि उन्होंने २४ घन्टे से ज्यादा नहीं रखा।

इसका दूसरा कारण लेक ऑफ सुपरवीजन है। ऑफिसरों का बराबर सुपरवीजन नहीं रहता है इसलिए जो इन्वेस्टीगेटिंग लोअर ऑफिसर होते हैं वे मनमाने तरीके से काम करते हैं। सुपरवीज़न का जो लैक है, लैक ऑफ सुपरवीज़न जो है इस सम्बन्ध मे भी लॉ कमीशन ने रिकमन्ड किया है :

"A large number of witnesses whom we examined were of the view that there was not only incompetence and negligence, but a great deal of corruption also among the Police Officials. Not only was investigation defective, but evidence was deliberately distorted and even a Dishonest Record of the evidences was prepared by the Police. Some of the lawyer witnesses went to the length of stating that the Daily Record of Investigation by the Police Officers

Page No.51

(श्री पी० के० चौधरी)

was usually written up at a later date. The rules did require that copies of this Record should be sent from time to time to the Magistrate through the immediate Superior Officer, but these rules were often disregarded."

यानी लॉ कमीशन ने इस बात को स्ट्रिक्चर पास किया है कि पुलिस ऑफिसर किस तरह से करते हैं, एवीडेन्सेज़ को बराबर रेकॉर्ड नहीं करते हैं और टाइम टू टाइम जो एवीडेन्सेज़ रेकॉर्ड करते हैं उनको इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड करना चाहिए। वह चीज नहीं करते हैं। इसलिए मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है। मैं किसी पर्टीक्यूलर पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो होल सिस्टम है, the whole thing can be improved only when the system is changed. तो सिस्टम को चेन्ज करने के लिए लॉ कमीशन ने सिफारिश की है कि इन्वेस्टीगेशन ऑफिसर जो हो और लॉ एन्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने के लिए जो रेग्युलर एन्फोर्समेंट हो पुलिस का, these two must be separated. जब तक सेपरेट नहीं करेंगे तब तक इस बात का, फिज़ीकल वॉयलेन्स का जो स्कोप है वह कम नहीं होगा, वह बढ़ता ही जायेगा।

अब इसके बाद, सभापति महोदय, मैं कुछ इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। अभी स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में चीफ मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था और गवर्नमेंट ने एक सक्युर्लर भी इश्यू किया था कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को जो पॉवर सप्लाई होगी उसमें २० हज़ार युनिट से जो ज्यादा यूज़ करेंगे उनको ६ पैसे पर-युनिट से दिया जायेगा और जो पॉवर २०,००० युनिट से कम यूज़ करेंगे उनको २ आने रेट से दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ और स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में यह जो डिस्टिन्क्शन है वह परमिशस डिस्टिन्क्शन है, वह डिस्टिन्क्शन नहीं रहना चाहिए। मेरा यह निवेदन है कि ये जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ हैं वे २०,००० युनिट से कम यूज़ करेंगी। तो आपने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया तो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ ने यह समझा कि उससे फायदा मिलेगा लेकिन इन-प्रेक्टिस the actually needy Small Industrialists जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ हैं, उनको इस कन्सेशन से फायदा नहीं मिलता है। उनको दो आने मिलते हैं और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ को ६ पैसे की रेट से देते हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में राजस्थान के स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और हैण्डीक्राफ्ट बोर्ड हैं उन्होंने भी इस बात के लिए सिफारिश की है कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ और लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीज़ के बीच में इस प्रकार का इनवीडियस डिस्टिन्क्शन नहीं रहना चाहिए।

सिर्फ यही नहीं, यह जो कन्सेशन दिया जाता है उसका ५० पर्सेन्ट यानी जो कुछ कास्ट पॉवर पर करनी पड़ती है और जिस रेट से सप्लाई करते हैं उसके बीच का जो लॉस है उसका ५० पर्सेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट बेअर करती है। इस तरह से ५० पर्सेन्ट गवर्नमेंट बेअर करती है और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर उन्होंने यह भी बात कही थी कि जिस रेट पर

(श्री पी० के० चौधरी)

हम सप्लाई कर रहे हैं those rates will continue till the loss is made up after the Hydel Power is made available. यानि चम्बल और भाखरा से चीप पॉवर मिल जायेगी उसके बाद भी ६ पैसे का रेट और २ आने का रेट हम चालू रखेंगे जब तक कि....

(गण-पूरक घंटी)

तो, सभापति महोदय, उन्होंने यह जो कहा था कि जब तक लोस मेक-अप नहीं हो जायेगा तब तक हाइडल पॉवर आने पर भी इसी रेट को कान्टीन्यु करेंगे, मैं समझता हूं कि वह गवर्नमेंट की एक प्रकार से नेरो पॉलिसी रहेगी, It is not a broad-minded policy, not even a fair policy. मैं समझता हूं कि हाइडल पॉवर आने के बाद भी रिकूप करने का सवाल करेंगे तो सारे का सारा पैसा रिकूप करेंगे यानि ५० पर्सेन्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा है उसको भी रिकवर करेंगे। मैं समझता हूं कि जहां तक इन्डस्ट्री को प्रोत्साहन देने का सवाल है, देश के विकास के लिए हम सोच रहे हैं और विकास के लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन रखती है कि इस लोस को यानी उसकी कॉस्ट और सप्लाई प्राइस में जो डिफरेन्स रहेगा उसको रिकवर करने के लिए हाइडल पॉवर के आने के बाद भी इन्हीं रेट्स को चालू रखेंगे तो यह उचित नहीं होगा। इसको चालू रखने से क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वह दूसरी स्टेट की इन्डस्ट्रीज़ हैं उनसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि दूसरी स्टेट में हाइडल पावर हम से चीप रहेगी। और मारकेट कम्पीटिशन में हमारी स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ जो हैं वे टिक नहीं पायेंगी क्योंकि आपने कह दिया कि हाइडल पॉवर आने के बाद भी इसी रेट से चालू रखेंगे। तो इसका नतीजा क्या होगा कि स्मॉल इन्टरप्रेन्योर यह सोचेगा कि आज चालू करेंगे तो २ साल के बाद हाइडल पॉवर आपके यहां आयेगी, यू० पी० और पंजाब में भी आयेगी तो पंजाब का जो इन्टरप्रेन्योर होगा उसको चीपर रेट से बिजली सप्लाई होगी तो (उसका) his cost of production will be lower. तो दो साल के बाद में उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोअर हो जावेगा मारकेट में। हम आज क्या यह मान कर चलें कि स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ का मारकेट राजस्थान तक ही महदूद हो? यह बात नहीं है। स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज का मार्केट will be an All India Market. राजस्थान को फीड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज in order to be economic and efficient, it will have to take specialised item of manufacture. स्पेशलाइज्ड आइटम्स ऑफ मेनुफेक्चर लेंगे उनका पूरा कंज़म्पशन राजस्थान में हो नहीं सकता। उसको ऑल इंडिया बेसिस पर जाना होगा और कॉम्पिटिशन करना होगा। अब यदि एन्टरप्रेनियर को यह कह दिया गया कि हम तो २ आना या ३ आना युनिट पर ही पॉवर सप्लाई करेंगे, दो साल के बाद भी तो कोई इसके लिए तैयार नहीं होगा। दो साल बाद यू. पी., पंजाब और मद्रास वगैरह में शायद ३ पैसा पर-युनिट पॉवर मिलने लगेगी। ऐसी हालत में मेरी नॉलेज में ५० हजार या १ लाख रुपया खर्च करके केपिटल

(श्री पी० के० चौधरी)

इन्वेस्ट करने के लिए राजस्थान में कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि after one year or two years भी आप यही रेट पॉवर की रखेंगे तो उस टाइम you will be at a loss in comparison with small enterpreneurs in other States.

मैं यह कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब ने या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डिक्लेअर की है कि हाइड्रो पॉवर आने के बाद भी यही रेट रखेंगे, यह गलत है। इसको गहराई से सोचना चाहिये क्योंकि जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में पैसा डालना चाहता है he will think it twice. इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो पॉलिसी डिक्लेरेशन दिया है उसको अमेन्ड करना चाहिये और यह कहना चाहिये की हाइड्रोलिक पॉवर आने के बाद if it is available at cheaper rates, they will be supplied at cheaper rates. यह क्लेरीफाई करना चाहिये।

दूसरी बात, सभापति महोदय, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के बारे में यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले कुछ मशीनरीज़ को सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है। सभापति महोदय, गवर्नमेंट ने मशीनरीज़ को सेल्स टैक्स से एग्जेम्प्ट करने के बारे में एक सर्क्युलर इश्यु किया है फर्स्ट जनवरी, १९६० को। उसमें कहा है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ के लिए जो मशीनरी मंगवायेंगे उनको सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस सर्क्युलर के वर्डिंग्ज़ इस प्रकार के हैं जो साफ नहीं हैं। एक स्मॉल स्केल इन्डस्ट्री चल रही है। उसमें दूसरी मशीनरी लगानी है या रिप्लेसमेन्ट करना है तो उस पर जो सेल्स टैक्स का एग्जेम्पशन दिया है वह नहीं मिलेगा। किस प्रकार से नहीं मिलता है यह मैं Notification के वर्डिंग्ज़ से बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है : The State Government, being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so, does hereby exempt from tax the sale of machinery for setting up in Rajasthan, a textile, ceramic, glass, cement, engineering, sugar and metal industries and industries based on minerals, with immediate effect on the following condition :-

The manufacturers so purchasing the goods gives to the seller a declaration in writing that the goods will be used in setting up the above mentioned industry."

In setting up the industry......' अब इसमें क्या होगा कि ये जो मेनुफेक्चरर्स हैं, जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रियेलिस्टस हैं वे एक्सटेन्शन करने के लिये या रिप्लेसमेन्ट करने के लिए मशीन खरीदने जाते हैं तो जो मशीन्स का सेलर है वह कहता है कि लिख कर दो कि आप जो मशीन ले रहे हो वह फॉर सेटिंग-अप न्यु इन्डस्ट्री ले रहे हों। तब वे कहते हैं कि हम तो एक्सपेन्शन करने के लिए या रिप्लेसमेन्ट करने के लिये ले रहे हैं तो वह कहेगा कि फिर सेल्स टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। एक बार स्माल स्केल इण्स्ट्रीज सेट-अप कर दीं उसके बाद रिपेअर या एक्सटेन्शन करना हो या रिप्लेसमेंट करना हो तो एग्जेम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिये मैं गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपका जो सर्क्युलर है उसमें सेटिंग-अप के लिए रखा

(श्री पी० के० चौधरी)

है उसको मोडिफाइ करना चाहिये । "For setting up of industry or for expansion of industry or for replacement of machinery or parts ..'ये तीन, चार बातें और एड होनी चाहिये ।

दूसरी बात है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की । आपने स्टेटमेन्ट इश्यू किया है उससे ऐसा खयाल जाता है कि अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पर्मिशन की जरूरत नहीं रहेगी । लेकिन सेल्स टैक्स के सक्युंलर को जब तक मोडिफाइ नहीं करते तब तक सेल्स टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं मिलता है । यह जो लेकुना सक्युंलर में रह गया है उसको ठीक करना चहिये । आपने जो एग्जेम्पशन दिया है उसका फायदा एग्ज़िस्टिंग इण्डस्ट्रीज़ जो एक्सपेन्शन या रिप्लेसमेन्ट करना चाहती हैं उनको भी देना चाहिये । यह साफ होना चाहिये ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उद्योग मंत्री) : The intention is that the existing industries, if they desire expansion, they should also get it. I agree that the wording of the Notification is defective. Necessary action will be taken.

श्री पी० के० चौधरी : क्योंकि मुझे इण्डस्ट्रियेलिस्ट्स से शिकायत मिली थी कि सेलर्स उनको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं इसलिये अर्ज किया । लेकिन मुझे खुशी है कि गवर्नमेन्ट ने इसको नोट कर लिया है और ऑर्डर को मोडिफाइ करेगी ।

इसके बाद में प्रोडक्शन-कम ट्रेनिंग सेन्टर्स गवर्नमेन्ट के हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । प्रोडेक्शन-कम ट्रेनिंग सेन्टर्स पर सेकिन्ड प्लान पीरियड में ६।। लाख रु० का बजट था । उससे हमने ३०४ आदमियों को ट्रेन्ड किया है सन् ५६ तक । किस प्रकार के लोगों को ट्रेन्ड किया है: जैसे ब्लेक स्मिथ हैं, कारपेन्टर्स हैं इसी तरह के तीन-चार तरह के ट्रेड्स में ट्रेन्ड किया है; लगभग ३०० आदमियों को और साढ़े नव लाख रुपये खर्च करके ट्रेन्ड किया है । मैं समझता हूँ, यह आपका एचीवमेन्ट ठीक नहीं है । मेरी राय यह है कि प्रोडक्शन-कम ट्रेनिंग सेन्टर्स नहीं रहने चाहिये । आपने ३०४ आदमियों को ट्रेन्ड किया । उनमें से आधे से कम आदमियों को एम्पलॉयमेन्ट मिल सका है । मैं यह मानता हूं कि इन लोगों को जो हेन्डिक्राफ्ट्स की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है वही ट्रेनिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन अपने बच्चों को खुद दे देता है इसलिए इस प्रकार की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ।

दूसरी बात, आपका जो आर्टिस्टिकल क्राफ्ट्स ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट है वह भी जरूरी नहीं है । इसलिये उसको भी बन्द करना चाहिये । इस प्रकार के इन्स्टिट्यूट के सम्बन्ध में जापान से एक मिशन आई थी, उसके एक्सपर्ट्स ने जो कहा है वह बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं : "Observations of Mr. Nuitaro Fukuoka, Chief of Technical Division of the Industrial Arts Institute of the Ministry of International Trade and Industry, Government of Japan, relating to various handicrafts centres and institutions that he visited during September-October, 1959' उन्होंने हमारा आर्टिस्टिकल

(श्री पी० के० चौधरी)

क्राफ्ट्स इन्स्टिट्यूट विज़ीट किया था। उसके सम्बन्ध में उन्होंने कहा है : "There is no point in having Training Courses for Crafts which are traditional and well established in the State." यहां पर जो क्राफ्ट्समैन हैं वे वैल सेट-अप हैं। उनके लिये कोई ट्रेनिंग सेन्टर चलाने की जरूरत नहीं है, वह खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे देता है। आप एक आदमी को जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वह सफिशियेन्ट नहीं होती, स्केच होती है; इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट की यहां पर जरूरत नहीं है, इसलिये इसे बन्द करना चाहिये। ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ट्रेनिंग के लिये ८-६ लाख रु० का खर्चा किया है वह ट्रेनिंग उसको घर में ही मिल जाती है।

इसके बाद, सभापति महोदय, मैं एक बात की तरफ सिर्फ गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह है रेप केसेज़ के सम्बन्ध में। सदन में रेप केसेज़ के सवाल काफी आते रहते हैं, कल भी आया, परसों भी आया। इस सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार जाहिर किये हैं। मैं भी मानता हूं कि रेप केसेज़ जो हैं उनमें विशेष तौर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्वड होते हैं। उनके विरुद्ध, मैं मानता हूं कि strictest measure, not only Legal measures but strictest measures लेने चाहिए। मैं चाहूँगा कि सदन के सामने रेप केसेज़ की मिसाल नहीं आवे, इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। कल मैंने कहा था और सरकार की तरफ से गृह मंत्रीजी ने भी स्वीकार किया है कि रेप केसेज़ में ऑर्डिनरी सिटीजन इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वोल्व्ड होते हैं, Government's attitude should be more strict towards its employees. गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वह पब्लिक सर्वेन्ट है। उसका कन्डक्ट एक आइडियल मॉडल कन्डक्ट हो। चाहे वह मजिस्ट्रेट हो, चाहे पुलिस ऑफिशियल हो, वह रेप केसेज़ में इन्वोल्व्ड हो जाता है, then the life and honour of the people become completely un-safe.

दूसरी बात यह है कि सदन के सामने रेप केस का सवाल आता है और उसको लाइटली लेकर टाल दिया जाता है, या इवेज़िव रिप्लाई देकर टाल दिया जाता है। ऑफिशियल्स कन्सर्न के विरुद्ध कोई स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यह डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। मैं चाहता हूं, जिस तरह सदन के सामने केसेज़ आफ क्वेश्चन आवर में आये, दूसरे-दूसरे समय पर गवर्नमेंट के ध्यान में आये, तो उन ऑफिशियल्स के विरुद्ध whoever he may be and however high he may be; चाहे जुडिशियरी का हो, चाहे एक्ज़ीक्युटिव का हो उसके विरुद्ध स्ट्रिक्टेस्ट-मेजर गवर्नमेंट को लेना चाहिए। चाहे कुछ भी रिप्लाई माननीय मंत्रीजी ने दे दिया हो सवाल के जबाब में they must make it a point that they should see that strictest measures are taken against them. मैं मानता हूँ कि इस प्रकार की बात जब होती है तो सिर्फ लोगों के सामने नहीं होती है, it brings a slur on the entire administration. जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अन्दर ऐसे उदाहरण हों और सदन में उसका जिक्र हो तो लोग हमसे कहेंगे कि स्टेट में इस प्रकार की बातें होती हैं और सदन में

(श्री पी० के० चौधरी)

जब लाते हैं तो उसको टाल दिया जाता है। तो मोरल पोइन्ट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेटिव पोइन्ट ऑफ व्यू से, दोनों व्यूज़ से मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लाईज रेप केसेज़ में इन्वॉल्व्ड हों, there should be strictest measures against them. इस प्रकार मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी आश्वासन देंगे कि जो केसेज सामने आये हैं, चाहे किसी प्रकार से उनका जवाब सदन में दे दिया हो लेकिन उसको आप पर्स्यु करेंगे and you will take the strictest measures against the culprits concerned. यह नहीं कि यह कह दिया जाय कि माननीय सदस्य द्वारा ऐसे केसेज़ हमारे सामने लाये जायं और उनको साबित करें तब एक्शन लेंगे। यह नहीं होना चाहिए, आपको पर्स्यु करना चाहिए। यह सदस्य की ड्युटी नहीं है, यह आपके एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं it is your own duty. इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जो रेप केसेज़ की मिसालें आती हैं और हम रोजाना अखबारों में देखते हैं, अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं, उनमें हम खास तौर से देखते हैं कि इन्वेस्टीगेशन के नाम से लोअर क्लास की महिलायें हैं people coming from the lower strata of the society उनकी जो महिलायें हैं, उनके साथ किया जाता है। जो अपर मिडिल क्लास की महिलायें हैं, एजुकेटेड क्लास की जो महिलायें हैं, उनके साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध गवर्नमेंट ऑफिशियल यह हिम्मत नहीं कर सकता है कि उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करें। जो इल्लिटरेट हैं, जो लोअर क्लास की महिलायें हैं उनको इन्वेस्टीगेशन के नाम से बुला कर उनके साथ किया जाता है। स्टेशन पर गाड़ी में अकेली मिल जाये तो रेल्वे एम्प्लॉईज़ ऐसा कर देते हैं। मैं समझता हूँ it is one of our sacred duties that we must see that these helpless people's Honour is protected and their Honour is as good as the Honour of our own mothers and sisters.

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : सभापति महोदय, मुझे एक बड़ा आश्चर्य और दुःख है कि हमारे वयोवृद्ध वित्त मंत्री को इस उम्र में तलाक की सूझी...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : तलाक की सूझी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : तलाक ?

श्री सभापति : डाइवोर्स ?

श्री रघुवीरसिंह : डाइवोर्स और वह किस बात का ? सभापति महोदय, पिछले बजट तक, पिछले वर्ष तक जब जब हमारे वित्त मंत्री का भाषण हुआ और जो बजट आया उसमें हमको यह आशा दिखाई दी कि शराबबन्दी का जो विषय है वह वित्त मंत्रीजी को बहुत प्रिय है; यह उनकी प्रेयसी है। बराबर यह कहा गया कि इसको पर्स्यु करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस साल अचानक क्या देखते हैं कि शराबबन्दी को बिल्कुल भूल गये जैसे उनके दिमाग में कोई चीज़ नहीं हो। पिछले साल शराब बन्दी के विरुद्ध प्रचार करने के लिए २० हज़ार की रकम प्रोवाइड की थी। वह प्रचार कैसे हुआ ? मैं समझता हूं, उस प्रचार के फलस्वरूप वे हताश हो गये, असंतोष उनको हो

(श्री रघुवीरसिंह)

गया। उनको पता लगा कि जिससे वे प्रेम कर रहे हैं वह ऐसी विश्वासघातिनी है जिसके साथ उनको प्रेम नहीं करना चाहिए या उससे उनको वैराग्य हो गया, यह समझ में नहीं आता। मुझे दुःख है, यह बहुत आवश्यक विषय था जिस पर हमारे वित्त मंत्रीजी समय समय पर आश्वासन देते रहते थे। हम आशा करते थे कि उनके शासन-काल में, उनके कार्य-काल में यह जो राजस्थान में बीमारी है, यह हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, यह दूर हो जायेगा। मुझे दुःख है कि इस साल के बजट में इस सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया गया है, कोई चर्चा नहीं की है। इससे पता लगता है कि आइन्दा यह खयाल उड़ जायेगा....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नाराज होकर चली गई।

श्री रघुवीरसिंह : नाराज होकर चली गई तो आपने उसको वापिस पकड़ने की कोशिश नहीं की....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : पसन्द नहीं किया इन्होंने।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हां।

श्री रघुवीरसिंह : दूसरा विषय, सभापति महोदय, मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह हमारी अदालतों में जो केसेज़ के डिस्पोज़ल में डिले होती है उसके सम्बन्ध में है मैं यह निवेदन करता हूं कि एक समय था जब दो महीने की क्रिमिनल केस में डिले हो गई तो उसके लिए हाई कोर्ट से ऑब्जेक्शन आता था, यह मालूम किया जाया करता था कि दो महीने पुराने कितने केसेज़ पेंडिंग हैं और जहां दो महीने से ज्यादा के केसेज़ पेंडिंग होते थे उसके लिए हाई कोर्ट ऑब्जेक्शन करता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑब्जेक्शन करता था और डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज ऑब्जेक्शन करता था। उसके लिए एक्सप्लेनेशन मांगा जाता था कि दो महीने से ज्यादा डिले क्यों की गई, क्या कारण है, क्या विशेष परिस्थिति है? तो मजिस्ट्रेट को देखना पड़ता था, उसको एक्सक्यूज़ लेना पड़ता था, उसके लिए कोई न कोई कारण देना पड़ता था कि क्यों केस के डिस्पोजल में देरी हुई। मैं आज देखता हूं कि यहां अगर छः महीने से पहले कोई केस डिसाइड हो जाय, उसके अन्दर फैसला हो जाय तो यह समझना चाहिए कि कोई न कोई एक्सेप्शनल बात है, विशेषता है वर्ना छः महीने तक साधारण केस की तो सुनवाई ही नहीं होती और डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में केसेज़ का दो-दो, तीन-तीन वर्ष तक पता ही नहीं लगता है। इसका क्या कारण है? मैंने भी कोर्ट में, अदालतों में फिर फिर कर पता लगाने की कोशिश की कि बात क्या है कि मजिस्ट्रेट मौजूद हैं कोर्टस में लेकिन डिस्पोजल नहीं होता है? तो देखता क्या हूं, असलियत यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर थर्ड क्लास, सेकिंड क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं उनके ऊपर एक्जीक्युटिव के काम का इतना भार लदा हुआ है, उनको इतना काम दियां हुआ है कि आज अमुक मीटिंग है, कल अमुक मीटिंग है, कल कॉम्युनिटी की मीटिंग में जाना है, परसों कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट की मीटिंग में जाना है, तरसों और दूसरी मीटिंग में

(श्री रघुवीरसिंह)

जाना है। इस प्रकार की मीटिंगों के कारण हमारे मजिस्ट्रेट, मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कभी क्रिमिनल काम की ओर ध्यान नहीं देते। उनको पता नहीं है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या होता है। क्योंकि उनका सारा समय मीटिंग और एक्जीक्युटिव के काम में व्यतीत हो जाता है। मैं निवेदन करूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसको सेशन का पिलर कहा जाता है, क्रिमिनल साइड में जिसका काम लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करना है उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पता नहीं होता और १०७, ११० के केसेज उसके पास छः-छः महीने, वर्ष-वर्ष और दो वर्ष तक अदालत में पड़े रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी केसेज़ यदि एक साल तक पेन्डिग पड़े रहे तो उनकी क्या अहमियत रह जाती है? इस तरह के सिक्योरिटी केसेज़ में यदि एक साल बाद या दो साल बाद सिक्योरिटी ली जाती है तो यह सोचने की बात है कि फिर सिक्योरिटी लेने की जरूरत ही क्या रह जाती है? पुलिस को इस तरह के मामले की खबर हुई या किसी पार्टी द्वारा खबर हुई कि अमुक मामले में फौरन सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिये तो ऐसे केसेज़ में तो फिर फौरन कार्यवाही की जानी चाहिये। जिसके खिलाफ़ शिकायत की गई है. उसकी जमानत फौरन ली जाय या उसके खिलाफ फौरन सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स चालू की जायं। पर इस तरह के सिक्योरिटी केसेज़ में हम देखते हैं कि तीन-तीन, चार-चार महीनों की पेशियां पटकी जाती हैं और एक-एक, दो-दो वर्ष तक सिक्योरिटी केसेज़ की कार्यवाहियां चलती रहती हैं। इसका कारण यह है कि जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव एक हैं। वे समझते हैं कि न रेवेन्यू मिनिस्टर सलाह देंगे, न चीफ मिनिस्टर सलाह देंगे। दुनिया की दिखावट में कहीं कोई मीटिंग अरेंज करवा दी, कहीं चन्दा इकट्ठा करवा दिया, कहीं श्रम-दान करवा दिया, कहीं सड़क बनवा दी। इससे वे समझते हैं कि हम मिनिस्टर्स की, सरकार की नजरों में आते हैं, हमारी कार्य-कुशलता सरकार की निगाह में आती है, हमारी कारगुजारी दिखाती है। पर उसमें उनकी कारगुजारी नहीं दिखती; क्योंकि सरकार यह नहीं देखती कि केसेज़ का डिस्पोज़ल किस तरह से होता है। जल्दी काम होता है कि नहीं, इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। यदि कोई ईमानदार मजिस्ट्रेट ईमानदारी से केसेज़ का जल्दी डिस्पोज़ल करता है; अपने काम को जल्दी निकालने में ही लगा रहता है तो उसकी कोई कद्र नहीं की जाती और उसके काम की कोई कीमत नहीं आंकी जाती।

इसलिये, सभापति महोदय, अब समय आ गया है कि हमारी जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव अलग की जानी चाहिये थी पर हम देखते हैं कि इस साल के बजट में भी इसका जिक्र नहीं। कहा यह जाता है कि हमारे पास फाइनेन्सेज़ नहीं हैं। शराब बन्द नहीं कर सकते, क्योंकि इससे सरकार को घाटा लगेगा। यदि घाटा है तो १ अरब, ४४ करोड़ रुपया इस साल कैसे खर्च कर रहे हैं? एक अरब, ४४ करोड़ का हमारा बजट है; वह रुपया कहां से खर्च कर रहे हैं? दो-तीन करोड़ का अगर घाटा शराब बन्दी से आ जायेगा तो क्या हो जायेगा? जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव को अलग कर देते

(श्री रघुवीरसिंह)

हैं तो इससे कोई भार खर्चे पर नहीं आयेगा। वही कचहरियां हैं, वे ही अदालतें हैं, वे ही मजिस्ट्रेट हैं और वही डिस्पोजल है, इनको अलग कर देते हैं तो कोई भार नहीं पड़ेगा। पर हां; यह बात जरूर होगी कि आज-कल जो टेलीफोन प्रेक्टिस होती है कि फलां को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो वह नहीं होगी। जुडिशियरी और एग्ज़ीक्युटिव अलग अलग होगी तो लोगों को न्याय मिलेगा। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि हमारी जुडिशियरी एग्जीक्युटिव से अलग हो, इन्डिपेन्डेन्ट हो और हाई कोर्ट के अन्डर में हो जिससे लोगों को न्याय मिले।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी !

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, जो यह विनियोग विधेयक हमारे सामने है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना है। सभापति महोदय, इस बात को तो सब स्वीकार करेंगे कि इस वर्ष के बजट में कितनी ही मदें ऐसी हैं जिनको काफी संतोष-जनक कहा जा सकता है। उनका उपयोग भी ठीक तरह से होगा; यह भी हमारी आशा है। विशेषतः शिक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ आंकड़े दिये गये हैं उनसे और भी आशा बंधाई गई है। इसको हम संतोषजनक कह सकते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में जो कुछ उत्तर मिला है उससे आशा बंधती है और दूसरी भी ऐसी मदें कही जा सकती हैं। पर मुझे जो कुछ असंतोष है वह पुलिस विभाग के प्रति है। हमारे राज्यपाल महोदय ने शान्ति और व्यवस्था का जिस प्रकार वर्णन किया उससे ही यह संदेह हो रहा था कि इस सम्बन्ध में शायद स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं रही है जितनी रहनी चाहिये। जहां वे पिछले वर्षों में हर दूसरे पैरा में शान्ति और सुव्यवस्था का जिक्र करते थे वहां इस बार अन्त में शायद ३५ वें पैरा में जिक्र किया है; दो-तीन लाइनें लिखी हैं। इसके बाद भी देखते हैं कि संतोष प्रकट किया गया होगा शान्ति और सुव्यवस्था के बारे में, राजस्थान के और भागों के बारे में पर जिस जिले से मैं आ रहा हूं मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि भरतपुर में शान्ति और सुरक्षा की स्थिति बद से बदत्तर हुई है और वह भी पिछले दो-तीन वर्षों से। पिछली साल भरतपुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि पिछले दो-तीन महीनों में कितनी चोरियां भरतपुर में हुईं? गृह मंत्रीजी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। उस उत्तर से स्पष्ट था कि वहां चोरियां पहले से बहुत बढ़ी हैं। मैंने पूछा था कि इन चोरियों के बढ़ने का क्या कारण है, तो उनका उत्तर था कि बाढ़ से। चोरियों के बढ़ने से बाढ़ का कोई सम्बन्ध नहीं। कोई लॉजिक नहीं बाढ़ से चोरियों के बढ़ने में। पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा गया था उसके उत्तर में राजस्थान के तुलनात्मक आंकड़े कुछ जगहों की चोरियों के बताये गये। तो कहीं दो हजार की चोरियां, कहीं ४ हजार की चोरियां हुईं बताई गईं, पर भरतपुर में दो लाख से ऊपर की चोरियां हुईं, एक तो उनमें से ६०-७० हजार की थी। मैंने भी अपनी कॉन्स्टीटयुएन्सी के बारे में प्रश्न पूछा था चोरियों की बाबत तो उसका जो उत्तर दिया उससे भी स्पष्ट था कि चोरियां बहुत ज्यादा हुईं और बरामदगी नगण्य हुई। चोरियों का जिस प्रकार का

Page No.60

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तरीका जो पिछले वर्षों में होती थीं उनसे भिन्न और नवीन रूप में सामने आया है, जो पहले कभी भरतपुर में नजर नहीं आया वह नजर में आने लगा। कभी भरतपुर के के इतिहास में नहीं सुना कि रेल को रोक कर व्यापारियों को लूटा गया हो। हैलक और नदवई के बीच में रेल को रोक कर व्यापारियों को लूटा गया। छुरा दिखा कर व्यापारियों को लूटा है, बस स्टेन्ड पर बसेज़ खड़ी रहती हैं। दिन दहाड़े दिन को चार, पांच बजे भरतपुर से जो डीग बस जाती है उस पर से बॉक्स उतार कर ले जाते हैं और उनको जाकर पकड़ते हैं। किसी भी दिन का अखबार पिछले दो-तीन महीनों से सुबह पढ़ते हैं तो भरतपुर की दो-तीन संगीन चोरियों, कत्ल और हत्याओं की खबर आती है। शहर में कोतवाली की नाक के नीचे कितनी ही ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये चीजें पुलिस विभाग और पुलिस से सम्बन्धित मन्त्री महोदय हैं उनके लिये शोभा की बात नहीं है। उत्तर हर चीज का दिया जा सकता है, कारण भी बताये जा सकते हैं परन्तु वस्तुस्थिति जो है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। डीग में पुलिस ने आतंक फैला रखा है, पुलिस के इन्सपेक्टर ने आतंक फैला रखा है, शराबखोरी और....

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : There is no quorum Sir.

(गण-पूरक घंटी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पुलिस, जो कि मैं समझता हूं, क्या पुराने शासन काल में और क्या आज भी जनता की जान-माल की रक्षक मानी जाती है। पर इस प्रकार की शिकायतें भी जगह जगह से मिलती हैं और मैं समझता हूं उन्हें १०० फी सदी गलत नहीं बता सकते। जो पुलिस जनता की जान-माल की रक्षक मानी जाती है वह जनता की जान-माल की भक्षक बनी हुई है। कितनी जगह ये पुलिस के द्वारा ही सारे काम होते हैं और काम नहीं होते हैं तो पुलिस कन्नाइव करती है और पुलिस कई मामलों में टालमटोल करती है और जो माल बरामद करना चाहिये हो नहीं सकता। मुझे तो याद है कि पुराने राजाओं के शासन-काल में जो ऊंचे अधिकारी होते थे उनके लिये क्या होता था कि जैसे किसी सब-इन्सपेक्टर के हलके में चोरी होती है और अगर उसका एक निश्चित पर्सेन्टेज बरामद नहीं कर पाते थे तो उस सब-इन्सपेक्टर को डिग्रेड कर दिया जाता था या उसकी तरक्की रोक दी जाती थी। इतना ही नहीं, एक सरकल इन्सपेक्टर को हिदायत होती थी कि अगर वह अपने हल्के में चोरियों को नहीं रोक पाता और उनको बरामद नहीं कर पाता या पकड़ नहीं पाता तो उसको पद से डिग्रेड कर दिया जाता था और उसको इसके लिये अपने हल्के में शख्त कदम उठाना पड़ता था। इस प्रकार के कठोर नियम थे और इस वजह से वे लोग अपने जान को जोखम में डाल कर और सिर को हथेली पर रख कर, कार्यवाही करके, उनका पता लगाते थे। हमारी सरकार भी कह सकती है कि डाकुओं की मुठभेड़ में हमारे सिपाही मारे जाते हैं। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ इतने ईमानदार और सच्चे देश भक्त और जनता के हितैषी हमारे यहां मौजूद हैं।

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि उनकी संख्या कम है और सबसे बड़ी बीमारी मुझे नजर आती है वह मैं कहूंगा कि पुलिस में शराबखोरी की है। शराबखोरी इतनी बढ़ गई है और खास तौर से पुलिस विभाग में इतनी शिकायतें आती हैं कि जिसकी संख्या नहीं। आज अगर मुझ से सबूत मांगना चाहें तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सबूत नहीं दे सकता! मगर इतना सबूत जरूर है कि पब्लिक से आप जाकर पूछ लें कि किस तरह से,पुलिस सब-इन्सपेक्टर और सर्कल इन्सपेक्टर शराब पीकर जनता के साथ व्यवहार करते हैं। तो मैं यह कहता हूं कि आप आज इस विनियोग को पास कर रहे हैं लेकिन सरकार इस बारे में ध्यान दे। जनतन्त्र में जनता को यह विश्वास होना चाहिये कि सरकार के रहते हुए उनकी जान, माल और सम्मान सुरक्षित हैं। यदि जनता को इस प्रकार का भरोसा नहीं रहता, यदि जनता को अपनी जान, माल और सम्मान की रक्षा का विश्वास नहीं रहता तो जनतन्त्र अधिक सफल नहीं माना जाता है। तो सबसे पहली चीज है पुलिस विभाग के सम्बन्ध में।

इसी तरह दूसरा प्रश्न बराबर मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि शराब बन्दी और मद्य निषेध में जितना कदम सरकार को उठाना चाहिये नहीं उठाया गया। मुझे भी इसका दुःख है कि राजस्थान में शराब बंदी और मद्य निषेध का जितना कदम उठाना चाहिये वह सरकार नहीं उठा सकी है। मुझे स्मरण है कि पिछली बार भी शराब के सम्बन्ध में बहस होते समय, जहां तक मुझे याद है, अगर मेरा खयाल गलत हो तो आप ठीक कर दें, वर्त्तमान वित्त मन्त्री ने कहा था कि हम पांच वर्षों में राजस्थान से शराब को खत्म कर देंगे। उस समय मैंने यह कहा था कि यहां राजस्थान में २५,२६ या २७ जिले हैं उनमें सब में शराब का पांचवां हिस्सा हर वर्ष कम करते जावेंगे तो ५ वर्षों में यह कम हो जावेगी। तो मैं नहीं कह सकता कि उसका क्या हुआ। वर्त्तमान मंत्री जिनके पास विभाग है वे बतावेंगे कि एक वर्ष में कितनी कमी हुई। जहां तक शराब की बात है मैं यह कहूंगा कि यह दो, तीन या चार गुनी नहीं बल्कि ७ गुनी बढ़ी है। मुझे एक महीने पहले गंगापुर जाने का मौका मिला था। डाक बंगले में ठहरा था। वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग पुलिस के कपड़े पहिने हुए आये हुए हैं। मैंने वहां के कर्मचारियों से पूछा कि ये कौन हैं तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर एक्साइज आदि हैं। मैंने पूछा कि ये यहां क्यों आये हैं, तो बताया गया कि शराब का ठेका देने के लिये आये हैं। मैंने पूछा कि शराब का ठेका हो गया तो मुझे बताया गया कि हो गया और यह भी बताया गया, अगर गलत हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे तो बताया गया कि पिछले साल ११ हजार का ठेका हुआ था वही अब की साल के लिये ४६ हजार का हुआ है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : पक्की बात है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने नहीं बताया था।

मुझे भरतपुर में भी बताया गया

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कि शराब में आमदनी बढ़ रही है। आंकड़े ठीक तरह से नहीं कह सकता लेकिन तीन, चार गुणा बढ़ोत्तरी हुई है; यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। शराब पर आमदनी दिनों दिन बढ़ रही है। आमदनी होना शुभकारी होता है। लेकिन बुरे जरियों से आमदनी होती है तो वह शुभकारी नहीं होती; जिस शराब के लिये हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने आन्दोलन किया था, वे शराब को एक अभिशाप समझते थे, सन् १६३० में उन्होंने लॉर्ड इर्विन के सामने ११ या १२ मांगें पेश की थीं उनमें सबसे पहली शराब बन्दी की मांग थी कि शराब बन्द होनी चाहिये। वे कहते थे कि जिस समय भारत में हमारा राज्य होगा उस समय देश से शराब खोरी चली जावेगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वही शराबखोरी आज हमारे देश में दिनों दिन बढ़ती जा रही है और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन जातियां में पिछले १० वर्षों में शराब की प्रथा नहीं थी और जो लोग इसको निषेध समझते थे उनमें यह शराबखोरी बढ़ती जा रही है। मगर यह भी खुशी की बात है कि हमारे यहां पर बहुत सी जातियों ने इसको छोड़ दिया है और उन जातियों ने छोड़ी है जिनमें यह शराबखोरी की प्रथा प्रचलित थी। वे इसको कम करते जा रहे हैं और दूसरे लोग जिनका कुछ स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग चढ़ा है, ऊपर उठा है, जिनकी आमदनी बढ़ी है उस आमदनी को वे दूसरे अच्छे कामों में उपयोग नहीं करके शराबखोरी में पड़ गये हैं। मेरे कहने का यह मतलब है कि हम किसी की आदतों को नहीं बदल सकते। हम किसी की सुख की चीजों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। लेकिन सरकार के हाथों में जो चीज है वह यह है कि शराब बन्दी के लिये जो सरकार ने संकल्प किया है और जहां तक मुझे याद है वित्त मंत्रीजी ने यह कहा था कि हम इसको पांच वर्षों में बन्द कर देंगे, मगर आज हम देखते हैं कि सड़कों से जब बसें गुजरती हैं तो रास्ते पर इसके बोर्ड लगे मिलते हैं।

यह कहा जा सकता है कि इससे सरकार की आमदनी बढ़ती है। यह ठीक है कि सरकार की आमदनी इससे बढ़ती है लेकिन लोगों का नैतिक स्तर तो इससे गिर रहा है और उनके चरित्र दूषित होते जा रहे हैं। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे अपनी आमदनी में घाटा उठा कर भी इसको रोकें। हमें अंग्रेजों के जमाने में कहा जाता था कि यह शराब से जो आमदनी होती है वह शिक्षा में खर्च होती है। यह हमारी उस अंग्रेजों के वक्त की धारणा है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार की गल्ती को न करे। कम से कम शराब के पैसों को शिक्षण जैसी पवित्र संस्थाओं के कार्य में खर्च न करें। वे चाहें तो इस पैसे को दूसरे कार्य में खर्च कर सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में यह शिक्षा पर खर्च करने की बात कही जाती थी उसकी आलोचना होती थी। महात्मा गांधी कहा करते थे कि यदि हमारे विद्यार्थियों को शराब के पैसों से शिक्षा दी जावेगी तो वे अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर यह पूरी की पूरी रकम हमारी शिक्षा की तरक्की में खर्च होगी तो देश के रक्षक जो बालक बननेवाले हैं उनके दिमाग में शराबखोरी के पैसे खतरा पैदा करेंगे। इसलिये इस आमदनी को आप इस शिक्षा के लिये तो बराये ताक

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हा रखें। अगर आपको शराब बन्द करने से कोई नुकसान भी होता है तो आपको चाहिये कि दूसरे टैक्स बढ़ाने की जरूरत हो तो बढ़ावें मगर लोगों के चरित्रों को खराब न होने दें। आज शराब का प्रयोग हमारे यहां सर्विसेज़ में होता है और वह क्यों होता है ? वह इसलिये होता है कि कुछ सभ्य लोगों की सोसाइटीज होती हैं उनमें शराब लेना आवश्यक अंग बन गया है। मैं समझ नहीं सका कि आखिर अंग्रेजों से हमने अवगुण ही अवगुण सीखे हैं क्या ? उनमें देश भक्ति, समय की पाबन्दी, देश के प्रति जो भावना थी उसको तो हमने कतई ग्रहण नहीं किया। जितनी बुरी से बुरी चीजें थी उनको हमने अपनाया। हो सकता है यह शराब उनका ठंडा मुल्क होने के कारण उनके लिये उपयोगी हो, पर इस देश के लिये उपयोगी नहीं हो सकती। हमारे पूर्वज इसको दूषित मानते थे। बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे आयुर्वेद और दूसरे ग्रन्थों में इसका जिक्र आता है। अगर उनको भी हम पढ़ें तो मालूम होता है कि यह आम स्तर पर प्रयोग नहीं की जाती थी। शराब तो उनके लिये है, राक्षसों का पेय रही है। लेकिन अब यह सभ्य समाज का पेय बन गई है। इसलिये हमारी सरकार को इस पर किसी तरह अंकुश रखना चाहिये और अवश्य रखना चाहिये।

२.०. म० प०

थोड़ी सी बात है; मुझे हमेशा शिकायत रहती है। हमारे कृषि और पशु पालन के नाम से यहां पर काफी विचार भी होता है। हम इन पर काफी पैसा भी खर्च करते हैं और यह आज भी आम शिकायत है कि हमारे यहां अब शुद्ध घी और शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं है। जो आज देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वह है शुद्ध दूध और घी। हमारे देश के लोग किस बात को मागेंगे ? शराब उनके लिए जरूरी नहीं है, मांस भी लेते हैं तो लें लेकिन मैं तो कहता हूं कि यह हमारे देश के लिए उपयुक्त भी नहीं है। उनका कोई न कोई सब्स्टीट्यूट हमारे देश में हो और वह हो सकता है शुद्ध घी और दूध। आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश में शुद्ध घी और शुद्ध दूध मिलता नहीं। अभी अखबारों में पढ़ा था कि मिलावट करने वालों को, खास कर ब्यावर और जयपुर के लिए पढ़ा कि मिलावट करने के आरोप में हमारे कुछ दंडनायकों ने उन लोगों को सजायें दीं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि इस सम्बन्ध में कानून में परिवर्त्तन भी करना हो तो करें और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा रखी जाय। सरकार को इस विषय में कड़ा से कड़ा कदम उठाना होगा। डालडा को तो शुद्ध वनस्पति कहते हैं लेकिन उसमें भी मिलावट होती है; तो इस प्रकार की मिलावट को तो जरूर रोकना चाहिये।

श्री मोहरसिंह (चुरू) : डालडा भी चाहेंगे ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं नहीं चाहूंगा। आज कोई डालडा बेचता है तो उसको रोक नहीं सकते लेकिन उसमें मिलावट को तो रोका जा सकता है जिससे कि वह शुद्ध हो। जहां पर बिक्री होती है, जहां "शुद्ध घी" लिखा हुआ होता है वहां जाकर इसकी

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जांच की जानी चाहिये, सर्प्राइज़ चैक किया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : भी संखिया भी शुद्ध नहीं मिलता।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : संखिया शुद्ध नहीं मिलता, मुझे तो जरूरत नहीं है, जो चाहें वे लें।

(हंसी)

मैं तो शुद्ध घी और दूध चाहता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सदस्य को जरूरत है।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : औषधियों में मिलावट होता है, जरूर बुरा है। यदि वनस्पतियों और औषधियों में मिलावट होती है तो उसको जरूर रोकना चाहिये। मैंने दो, तीन मुद्दे ही रखे हैं। मुझे आशा है कि हमारी राज्य सरकार अपनी जनता के स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए, चरित्र को दृष्टि में रखते हुए, जनता के हित को दृष्टि में रखते हुए अवश्य स्वीकार करेगी और केवल स्वीकार ही नहीं करेगी किन्तु उनको कार्यान्वित भी करेगी।

श्री सभापति : श्री आबिदअली।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर माननीय सदस्यों ने कई पॉइन्ट्स पर अपने विचार रखे हैं। चूंकि ग्रान्ट्स के समय पुलिस की ग्रान्ट हमारे सामने नहीं आई थी इसलिए कट मोशन के जरिये हाउस के सामने माननीय सदस्यों के विचार नहीं आ सके। मैं पुलिस के सम्बन्ध में कुछ बातें सदन के सामने रखूंगा और आपके द्वारा माननीय होम मिनिस्टर, जो यहां नहीं हैं, ट्रेजरी बेन्चेज है, उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा।

तो जो बात पुलिस के सम्बन्ध में मैं निवेदन करने जा रहा हूं उसमें आज मेजोरिटी का यह व्यू बन गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है, पुलिस डिपार्टमेंट मे फेवरिटिज्म है, पुलिस डिपार्टमेंट में इन दो अवगुणों के अलावा सबसे बड़ी चीज़ है वह है उनकी धांधली। बगैर सोचे-विचारे किसी आदमी को पकड़ लेना, उसको मारना-पीटना, यह तो आज पुलिस की एक साधारण चीज़ बन गई है। यहां हाउस में ही नहीं परन्तु बाहर भी जब दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं तो यही कहते हुए सुनते हैं कि पुलिस की ज्यादती जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। सभापति महोदय, एक बात कहने की होती है लेकिन जब उनके साथ इन्स्टॉन्सेज़ सामने आती हैं, नजीरें होती है, हाउस में इन्स्टॉन्सेज रखे जाते हैं तो राज्य सरकार से यह आशा करते हैं कि वह स्पष्टीकरण न करें, बगैर तमाम बातों को सामने रख कर जो उनको मिटाने के लिए हो सकती हैं, उनके कार्यान्वित करने के लिए हो सकती हैं। यह कोई खुशी की बात नहीं कि है आज पुलिस की ज्यादती बहुत हद तक बढ़ गई है उसको चैक नहीं किया जाता। यदि जरा पुलिस पर विजिलेन्स रखें, सर्पराइज़ इन्सपेक्शन के जरिये

(श्री आबिदअली)

से थानों को चैक कर लिया जाये तो यह मेरा निश्चित मानना है कि यह डिपार्टमेंट ऐसा है कि जिसका आसानी से करप्शन दूर किया जा सकता है और निहायत आसानी से पुलिस द्वारा बढ़े हुए इस जुल्म को दूर किया जा सकता है।

मिसाल के तौर पर मैं एक केस बताता हूं जो कि सबजुडिस नहीं है, जिस केस में फैसला हो चुका है मैं उस केस को आपके सामने रखता हूं। एक थाना है रवायना चोर। वहां का केस है। उसमें एफ. आई. आर. होती है। एक शख्स खाना खा रहा था। २५-३० आदमी चढ़ कर आये। उन्होंने कहा तूं फलां औरत को भगा कर लाया है। उसने कहा, यहां कोई औरत नहीं है। वे मारने आये और मारा। यह एफ. आई. आर. रवायना चोर में भेजी। एस. आई. का क्या इन्ट्रेस्ट है, क्यों केस रजिस्टर किया? यह इन्फोर्मेशन थी लड़की को भगाने के सिलसिले में। उनके सामने एक एब्डक्शन का, ३६६ का जुर्म था। उनके सामने यह आ चुका था। एस. आई. किसी लालच में हुआ। उसने तमाम लोगों को लेकर एक बाड़े में भर दिया। उस कम्प्लेनेन्ट की ओर से मारने-पीटने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। एस. आई. उसको रेकॉर्ड में ले आया था। लेकिन उसने बयान में यह लिखा कि चूंकि कम्प्लेनेन्ट डॉक्टरी मुआयना नहीं कराना चाहता इसलिये इसका डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। जब मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया। यहां एस. आई. को यह क्यों लिखने की जरूरत आई कि कम्प्लेनेन्ट डॉक्टरी मुआयना नहीं कराना चाहता? एस. आई. प्रेजुडिस्ड था, यह स्पष्ट था। लिखता है बयान में वह कि चूंकि कम्प्लेनेन्ट डॉक्टरी मुआयना नहीं कराना चाहता है इसलिये डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में यह फिर आया। उस कम्प्लेनेन्ट के औरत घर पर थी। १५१ में बयान था। उसने बयान में लिखाया कि यह औरत १०-१५ दिन से मेरे घर पर है और उसकी उम्र १५, १६ साल की है, वह मर्जी से मेरे यहां आई है। यह खुद कम्प्लेनेन्ट अपने बयान में बता रहा था। यह एस. आई. की ड्युटी थी कि वह केस रजिस्टर करता एब्डक्शन का। जो कम्प्लेनेन्ट ने इस तरह किया है वाकई तो इन्वेस्टिगेशन करके उस कम्प्लेनेन्ट के खिलाफ केस रजिस्टर करते हुए उसको पेश करता। जब कम्प्लेनेन्ट ने खुद ने अपने बयान में लिखाया कि औरत मेरे पास है, मर्जी से आई है लेकिन उसने किया यह कि उन लोगों के खिलाफ नाजायज़ केस बनाया, बलवे का केस बनाया। कम्प्लेनेन्ट आते ही पहले वह पूछता कि बताओ औरत कहां है? लेकिन नहीं। उनको बलवा में रोका गया। उनको ट्रेसपासर बनाया। उनके मकान में कूदे हैं, उनको मारा और लिखता है वह कि कम्प्लेनेन्ट चूंकि डॉक्टरी मुआयना नहीं कराना चाहता है इसलिए डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। जब एक्विटल हो गया तो यह केस मैंने बताया कि एस. आई. ने डेलिबरेटली चालान पेश किया। लेकिन इसको कौन सुनता है? इसको सुनने वाला कोई नहीं है। पुलिस में सबसे बड़ी बात जो मैं फील करता हूं वह यह है कि निश्चित रूप से बड़े

Page No.66

(श्री आबिदअली)

बड़े ऑफिसर्स अपने मातहत को प्रोटेक्ट करते हैं, ऊपर से नीचे तक प्रोटेक्शन होता है। यह प्रोटेक्शन की भावना को मैं फील करता हूं। हाउस में देखा जाता है कि किस प्रकार से बातें आती हैं। फौरन प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है। उनको प्रोटेक्शन न दिया जाकर वाकई अधिकारियों के प्रति आरोप है, कोजेन्ट सर्कमूस्टान्सेज हैं, तो हमारी यह ड्युटी हो जाती है कि उन हालतों को मालूम कर उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें।

मैं एक उदाहरण और देता हूँ। एक आदमी दूकान पर सो रहा था। एस. आई. शराब के नशे में था। यह सवाई माधोपुर का ही किस्सा है। उस एस. आई. ने उस आदमी को पकड़ लिया और कहता है कि तू चोरी करने जा रहा है। वह कहता है कि मुझको दूकानदार ने सुलाया है, वाच एन्ड वार्ड की हैसियत से सो रहा हूँ, यह देखिये मेरा बिस्तर पड़ा है। मगर इतना कहने पर भी उसको पकड़ लिया गया और थाने पर ले जाकर उसे खूब पीटा गया। उससे उसकी कॉलर बोन फ्रेक्चर हो गई। इस तरह से उसके खिलाफ ३२५ का जुर्म हुआ। उसको सुबह छोड़ दिया गया। आखिर उसने धारा ३२५ के अन्तर्गत प्राइवेट कंम्पलेन्ट अदालत में फाइल की। जब केस की प्रोसीडिंग्ज़ चल रही थीं तो उसमें थानेदार को बहैसियत मुलजिम के अदालत में उपस्थित होना था लेकिन उसको यह प्रोटेक्शन दिया जाता है एस० पी० की तरफ से, यह लिखा हुआ आता है कि इन्होंने ऑफिशियल-वे के अन्दर, कस्टडी के अन्दर रखते हुए यह कार्य किया इसलिये सब इन्सपेक्टर का जुर्म नहीं, अन्डर डिसचार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्युटीज में यह हुआ है, इसलिये पी० आई० साहब को चाराजोई करने के लिये मुकर्रर करता हूं। इस तरह से एक एस० पी० के केडर का आदमी कोर्ट में यह लिख कर देता है कि मैं पी० आई० को इनकी तरफ से वकालत करने का अधिकार देता हूं। चूंकि आज पी० आई० साहब नहीं हैं इसलिये इस मुकदमे को स्थगित कर दिया जाय। It amounts the Contempt of Court. इस तरह से वे कोर्ट की प्रोसीडिंग्ज़ में इन्टरफिअर नहीं कर सकते। नतीजा यह निकला कि एस० पी० ने जो लिख कर दिया उसको खारिज कर दिया गया, उस केस को प्रोसीड किया गया। आखिर उन थानेदार साहब ने ८० रुपया देकर कम्प्लेनेन्ट को राजी किया। चूंकि वह मामला कम्पाउन्डेबल था इसलिये उन्होंने ८० रुपया देकर राजीनामा कर लिया। इसमें देखने की बात यह है, इसमें दो बातें निकलती हैं। एक बात तो यह निकलती है कि एस० पी० को क्या जरूरत आई थी कि वे इस प्रकार से लिख कर देते कि सब इन्सपेक्टर ने ऑफिशियल ड्युटी डिस्चार्ज करते हुए यह कार्य किया और उसके मुकदमे के लिये पी० आई० को मुकर्रर करते हैं? उसमें ऑफिशियल ड्युटी क्या थी। क्या उसको किसी प्रकार का केस इनवेस्टीगेशन के लिये दिया था? दूसरी बात यह है कि ऑफिशियल ड्युटी के अन्दर वह कार्य करता है तो उसको फिर ८० रुपये देकर रजामन्द क्यों किया गया? एक सब इन्सपेक्टर को एस० पी० प्रोटेक्ट करते हैं; आगे उसको डी० आई० जी०, आई० जी० और

(श्री आबिदअली)

होम मिनिस्टर तक प्रोटेक्ट करते हैं तभी जाकर पुलिस की इस प्रकार की आलोचना होती है। इससे आखिर जाकर एडमिनि-स्ट्रेशन में बिगाड़ पैदा होता है। इसलिये यह जो करप्शन को बढ़ावा मिलता है इसी कारण से मिलता है। आज हमारी जो फेवरेटिज्म की पॉलिसी है उसमें सबसे बड़ी खराबी इस प्रोटेक्शन के कारण पैदा होती है। जहां जीनाइन मामले हों, जहां आपको यह तसल्ली हो जाये कि इसमें फलां ऑफिसर की गल्ती है तो उसको पनिशमेंट अवश्य मिलना चाहिये। आज जो पुलिस में फेवरेटिज्म चल रहा है उसी के कारण ये सब खराबियां पैदा हो रही हैं। आज पुलिस गलत इनवेस्टीगेशन करती है। इसका प्रमाण यह है कि केस जब अदालत में जाते हैं तो बहुत सारे एक्वीटल हो जाते हैं। यह सब-इन्सपेक्टर की ड्यूटी कि है जब वह केस अदालत में चालान करता है तो उसका फर्ज होता है कि तमाम प्रमाण इकट्ठे करके जो चालान किया गया है उसको सही साबित करे। लेकिन होता क्या है कि मुलजिम अदालत से बरी होकर चले जाते हैं। अगर उनके सुपीरियर ऑफिसर्स यह देखना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से इसमें काफी सुधार हो सकता है और पुलिस विभाग में सुधार आ सकता है।

मैं, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में हाउस के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि कोर्ट में जहां सब इन्सपेक्टर की क्लीअर पार्शियेलिटी सामने आ जाती है, कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया वह केस एक्वीटल हो जाता है तो वैसी हालत में यह देखने का है कि आखिर वह एक्वीटल किस कारण से हो गया है। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स इस बात की जांच करें कि कोर्ट में जो केसेज जाते हैं वे एक्विट क्यों होते हैं और यहां तक कि अदालत सब इन्सपेक्टर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास करती है वैसी हालत में किस बिना पर यह कहा जा सकता है कि मेलाफाइड इन्टेन्शन की वजह से चालान नहीं किया गया था। इस पर ध्यान रखा जाय तो इस विभाग में आसानी से सुधार हो सकता है। इसी तरह का एक केस मैं मिसाल के तौर पर रखूं। एक केस में चार-पांच आदमियों का सब-इन्सपेक्टर ने चालान पेश कर दिया। उसमें एफ. आई. आर. में यह दर्ज किया था, मेरे खेत से जुआर काट कर ले गये। वे खातेदार टीनेन्ट थे। जब इस बारे में इन्वेस्टीगेशन हुआ तो उनके खिलाफ रिपोर्ट आई कि ये सब-टीनेन्ट हैं और इनको गश्त गिरदावरी की स्लिप दी जाती है। इसके बावजूद भी चारों के खिलाफ केस बना कर चालान कर दिया गया। १५ रोज तक वे जेल में रहे। जब उनका इनवेस्टीगेशन हुआ, उनके बयान हुए; उस सब-इन्सपेक्टर के बयान के क्रोस एग्जामिनेशन में यह चीज़ आई कि पटवारी ने तफतीश की थी, मुलजिमान ने खुद ने खेत को काश्त किया था, जिसकी खसरा रिपोर्ट है। इस तरह से मुल्जिमान छूट गये और सब-इन्सपेक्टर साहब के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। आज कोई भी स्ट्रिक्चर पास कर देता है, उसको देखने वाला नहीं, सुपर्विज़न करने वाला नहीं। यह नहीं कि हमारे यहां रूल्स नहीं हैं, रूल्स की जानकारी नहीं हो, यह बात नहीं। रूल्स तो बने हुए हैं लेकिन उनको प्रेक्टिस

(श्री आबिदअली)

में कौन लाता है, फोलो कौन करता है ?

आज जितनी भी पुलिस के संबन्ध में कटु आलोचना होती है उसको यदि खत्म करना हो तो पुलिस विभाग में जो करप्शन है उसको खत्म करना है। उसके भी तरीके हैं। इस डिपार्टमैन्ट का मैथेमेटिकल केल्कुलेशन के आधार पर कोई केल्कुलेशन नहीं होना चाहिये। जो कुछ भी मामले जिस इलाके में होते हैं उनके लिये थानेदार जिम्मेदार हैं। केसेज़ की इन्क्वायरी किसने की, उसकी केस डायरी के अन्दर वह इन्सीडेन्ट लिया या नहीं, रोजनामचे की पाबन्दी होती है या नहीं ? रोजनामचा वक्त पर खुले और वक्त पर बन्द कर दे। इस प्रकार से यदि पाबन्दी हो जाती है तो काफी करप्शन की कमी हो सकती है। केस डायरीज़ को जाकर सुपीरियर ऑफिसर सडन चैक करे तो तमाम माल प्रेक्टिसेज़ जो होती हैं इमीजियेट ऑफिसर को मालूम हो सकती हैं दफा १५१ के तहत सब-इन्सपेक्टर इस बात का पाबन्द है कि हरएक केस के मिनिट्स, उसकी कार्यवाही उसे केस बुक में लिखनी पड़ती है; आज इस केस के अन्दर इसके बयानात हुए, आज मैं इस कारण इस केस को नहीं ले सका आदि इन सब बातों का केस डायरी में उल्लेख होना चाहिये। लेकिन वास्तविकता यह है कि सौ में से ९५ प्रतिशत केसेज़ ऐसे हैं जिनमें यह डायरी खाली पड़ी रहती है और सादे कागज़ पर तफतीश की जाती है। जब केस पूरी तरह से कम्पलीट हो जाता है तो उसके बाद उसकी कॉपी कर ली जाती है। जब तक चालान नहीं होता केस डायरी खाली रहती है। अगर सुपीरियर ऑफिसर्स इन केस डायरीज़ और रोजनामचे को चैक करें तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ठीक हो सकती है। करप्शन अपने आप समाप्त हो जायेगा। चैक करने का सवाल ही नहीं, यहां तो प्रोटेक्शन दिया जाता है। आज होता क्या है कि पुलिस के कॉन्सटेबल को सब इन्सपेक्टर और सब इन्सपेक्टर को एस० पी० और एस० पी० को डी० आई० जी० पी० द्वारा प्रोटेक्शन मिलता है तमाम रूल्स हमारे यहां बने हुए हैं लेकिन आज उनके अनुसार अमल नहीं होता।

ये दो-तीन मेरे सुझाव हैं जो मैंने पुलिस डिपाटमेंट के लिये दिये हैं। राजस्थान सरकार इस संबन्ध में जरूर विचार करेगी।

श्री नाथूलाल करोल (लालसोट-सु.): आज राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल, सन् १९६० हमारे सामने विचारार्थ है। इसके विषय में जो डिमान्ड सोशल वैलफेयर की है उस पर बहस नहीं हुई थी। मैं अपने विचार उस पर रखना चाहता हूं। वैसे तो इसमें काफी पैसा रखा है लेकिन मैं यह निवेदन करूं कि सोशल वेलफेयर दस साल से पुनर्वास का काम कर रहा है, रीहेबिलिटेशन का काम कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें सरकार ने क्या तरक्की की ? मैं यह देख रहा हूं कि सरकार ने जो पुनर्वास का काम किया उसमें कम्प्लीशन सर्टिफिकेट कितनी बस्तियों का हासिल किया, यह आप मुझे बता दें ? जयपुर जिले के विकास खण्ड सांगानेर में चार बस्तियां बनाई जा रही हैं। आज चार साल होने आये उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। सांगानेर ब्लॉक में चार बस्तियां निम्न हैं : निर्मलपुरा, कुन्दनपुरा, लखेसार और

(श्री नाथूलाल करोल)

सांगानेर प्रोपर; Before last year शिड्यूल ट्राइब्स एडवाइजरी कौंसिल ने यह निर्णय लिया था कि सरकार पुनर्वास की नई बस्तियों को तब तक हाथ में न ले जब तक कि पुरानी बस्तियां पूरी न कर दी जावें । कुन्दनपुरा बस्ती जो हरिजन कॉलोनी है, उसको पूर्ण करने के लिए २२ प्लॉटों को १५०), १५०) रु० सरकार ने सब्सिडी के रूप में दिया; बाकी २६ परिवारों को नहीं दिया। ऐसा क्यों? उनको देने में सरकार को क्या हिचकिचाहट थी? उनको भी दे देते तो यह ४८ प्लॉटों की बस्ती पूर्ण होती दिखाई देतीं।

विमलपुरा कॉलोनी जरूर पूरी हुई है पर लखेसरा भी अधूरी पड़ी है, सांगानेर की भी अधूरी पड़ी है। तो इस तरह से पहले का काम पहले पूरा कराया जाय, बाद में नया काम हाथ में लिया जावे। यही मेरा इस बारे में सरकार से निवेदन है।

दूसरी अर्ज यह है कि शिडयूल ट्राइब्स के लिये जो सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अपने को मिली है वह पोपुलेशन बेसिस पर इर्रिगेशन वैल्स, टैंक्स और डैम्स के लिये आप बांट रहे हैं; लेकिन मैं निवेदन करूं कि पश्चिमी राजस्थान में आपको पैसा देते हुए दस साल हो गया, अब तो आप पूर्वी राजस्थान के आदिवासियों के लिये भी कुछ ज्यादा देने की कृपा करें। क्योंकि इधर पूर्वी राजस्थान के आदिवासी पिछड़े हुए हैं; आपके भी पिछड़े हुए हैं, पर हमारे बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि आप उधर दस सालों से बहुत काफी पैसा देते रहे हैं अब इधर भी कुछ ज्यादा देने की कृपा करें।

दूसरी बात यह है कि कुन्दनपुरा कॉलोनी में एक टैनरी बनाई जा रही है। दो साल से चर्म उद्योग सहकारी समिति को ठेका दिया गया और इसके लिये वह समिति बराबर काम कर रही है पर उसके बिल्स ओवरसियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर की वजह से गड़बड़ हो रहे हैं और टैनरी आज तक भी पूरी नहीं हुई। इस टैनरी की यह हालत है। इसलिये निवेदन करता हूं कि जो काम सरकार पहले हाथ में ले उसको पहले पूरा करने की कोशिश करे और बाद में नया काम हाथ में लिया जावे।

अब मैं एक्साइज़ विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें बहुत भ्रष्टाचार चलता है, सरकार इसे रोके। आजकल नाजायज़ शराब इतनी ज्यादा तादाद में बनाई जा रही है कि जिसकी हद नहीं। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि शराब बन्द कर देनी चाहिये। मैं भी चाहता हूं कि बन्द होनी ही चाहिये। पर जब तक बन्द करें तब तक आप नाजायज़ शराब बनाने में प्रोत्साहन कतई न दें। आज इसको विभाग की तरफ से इतना प्रोत्साहन मिल रहा है कि जितना और किसी को भी नहीं मिल रहा है। जयपुर सिटी के चारों तरफ नाजायज़ शराब इतनी निकाली जाती है कि जिसकी हद नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें एक्साइज़ इन्सपेक्टर व सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि सभी मिले हुए हैं या क्या? समझ मे नहीं बैठ रही है बात कि दिन पर दिन यह नाजायज़ शराब क्यों निकल रही है? अगर एक्साइज डिपार्टमेंट इस नाजायज़ शराब को प्रोत्साहन

(श्री नाथूलाल करोल)

न देकर अपनी ही शराब को प्रोत्साहन दें तो उससे सरकार की आमदनी दुगुनी हो सकती है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : आज तो जायज़ को भी नाजायज़ करा कर बिकवाते हैं।

श्री नाथूलाल करोल : इतनी नाजायज़ शराब निकाली जाती है कि जिसकी हद नहीं। नाजायज़ शराब निकालनेवालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं जयपुर जिले की बात कह रहा हूं, और जगह का मुझे मालूम नहीं। यह स्पष्ट है कि इसमें एक्साइज़ इन्सपेक्टरों का हाथ है। वे सांठ-गांठ रखते हैं, भट्टियां चलवाते हैं और इस तरह इस विभागवालों का हिसाब-किताब उनसे बन्ध है। कभी एक्साइज़ इन्सपेक्टर्स किसी को पकड़ने भी जाते हैं तो क्या करते हैं; एक, एक महीने के बाद केस तैयार करते हैं और तीन-तीन फरदें बनाते हैं। इस तरह आखिर उनसे ही सांठ-गांठ करके केस को कमजोर बना कर मामूली सा जुर्माना करा कर उनको गड्ढे दिला देते हैं। इस तरह यह समाज गड्ढे में जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूं कि इतना होते हुए नाजायज़ शराब पर तो जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जावे और इसमें सख्त कार्यवाही की जावे।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : ज्यादा बढ़ाने के लिये या ज्यादा घटाने के लिये; किसके लिये ध्यान दिया जावे?

श्री नाथूलाल करोल : घटाने के लिये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अब पुलिस डिपार्टमेंट का क्या हाल है?

(हंसी)

श्री नाथूलाल करोल : अब मैं पुलिस विभाग के लिए कुछ निवेदन करूं। दिन पर दिन इस विभाग में भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया है। सरकार कहती है, सच्चा इन्तज़ाम है; यह झूठ है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं; इस विभाग में धर-पकड़ के सिवाय कुछ नहीं।

(हंसी)

धर-पकड़ का मतलब यह है कि किसी भी राह चलते को परेशान करना, पैसा एंठने के लिये किसी को भी परेशान करना और यह कह देना कि तुझ पर यह मामला है। बस उल्लू सीधा करना, उससे पैसा एंठना; बस यह ही इस पुलिस का धन्धा रह गया है। लोगों को परेशान करना, राह चलतों को पकड़ कर बैठा लेना और उन्हें लूटना। आज सरकार के लॉ और ऑर्डर का ढांचा इतना बिगड़ गया है कि मेरी चाकसू तहसील में १५-२० दिन पहले खेजड़ी गांव में डाका पड़ा। पुलिस को इत्तिला की गई तो १५ घंटे बाद वहां पहुँची।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : पहुँच तो गई?

श्री नाथूलाल करोल : पहुँचने से फिर क्या फायदा? बेकार। १५,२० हजार का माल ले गये। पांच-दस आदमी थे। पब्लिक को खूब परेशान किया और हरएक गांववाले को लूटा। किसी का जेवर उतार लिया, किसी से नकद पैसा लिया।

श्री अनूपसिंह : नये डाकू थे या पुराने डाकू ?

(हंसी)

श्री नाथूलाल करोल : नये थे या पुराने थे, यह तो भगवान् जाने । इतना ढांचा लॉ और आॅर्डर का बिगड़ता जा रहा है। केसेज का भी यही हाल है। मजिस्ट्रेट के यहां भी एक-एक केस में साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल निकल जाता है ; तारीख, तारीख, तारीख पर तारीख । गांव का काश्तकार तो क्या, सब ही लोग परेशान हो जाते हैं। गरीब किसान तारीख पर आता है, काश्त का नुकसान होता है। केसों को क्यों नहीं जल्दी फाइनल किया जाता ? क्रिमिनल केस में तो टाइम लगता ही है पर और केसेज़ को ३-४ महीने में निपटा देना चाहिये । मेरा निवेदन है कि राजस्व केसेज़ में लम्बा टाइम न लिया जावे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसी तरह पुलिस विभाग के कर्मचारियों को भी जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिये । मैं विनियोग बिल पर बोलता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नाजायज़ शराब पर पूरा अंकुश रखना चाहिये या फिर पब्लिक को छूट ही दे देनी चाहिये कि अपने आप निकालते रहें और पीते रहें ।

श्री सभापति : श्री राव नारायणसिंहजी ।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : Mr. Chairman, Sir, the Budget of 1960-61 has been put and the demands for grants discussed and voted and to-day the Appropriation Bill is before us. In the Budget it was indicated that there would be a deficit of 25.26 lacs. The total deficit expected is 74 lacs but by additional taxation this much is hoped to be covered.

श्री मोहरसिंह (चुरू) : आपसे तो उम्मीद थी कि आप हिन्दी में ही बोलते ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्यों बोलें हिन्दी में, अंग्रेजी में बोलेंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : आपको तो हिन्दी अच्छी आती है....

श्री श्रीभानसिंह : अंग्रेजी में बोलेंगे । आप समझिये, नहीं समझना है तो लॉबी में जाइये ।

राव श्री नारायणसिंह : Actually this deficit has been covered. Since quite a number of years, ever since 57-58, in the original estimate for that year, there was a deficit and later on in the actuals it was 155.92. lacs. In 58-59 a small surplus of 19.4 was indicated. That was also turned into a deficit. In 1959-60 a small surplus again of 12.86 lacs was indicated but actuals had not yet reached but draft position on 1st April, 59 is of 98.40 lacs and now on 31. 3.60 it might reach upto 1.1 crores. Democratic Decentralisation again, as has been stated by the Hon'ble Fnance Minister has brought its pressure of 80 to 90 lacs. This deficit declared has aroused a concern

(राव श्री नारायणसिंह)

in the House. But I would not be worried about this deficit in developing economy, which is so backward These deficits are so common but actually what I am concerned about is not whether the Budget is deficit Budget or not but whether the Budgetery trend leads to creating more potential along our raising potentialities. Whether it aims at reducing the inequalities of the country ? Whether it is establishing healthy trends of economy and whether it raises per capita income and per capita labour potential ? This is more important when we have to examine the Budget. Actually in plans, we have been habituated to think in terms of creating labour employment potential. We want to provide more & more employment. But along with it if we forget the resources side of it, if we forget raising the potential of our country, we give a dim side of the view which is more important. If we go on creating more and more employment without creating a real wealth for the nation, while there would be some day that actually the nation has to suffer. The very backbone of our planning, of our country is on the production side, food production, agricluture and in the agricultural sphere we have to take ever increasing interest. We have to take certain steps whereby our production would increase. By the end of the 3rd Five Year Plan, it is estimated that with the rising tempo of population 100 million tons of food grains will be required for the country. We will have to import quite a million tons of food grains according to the present trends. We are importing lacs and lacs of tons of foodgrains every year, and with the raising of food, population is rising more and more. We have to be more careful. What is needed is thought. Ofcourse, there are many plans with regard to Agriculture, irrigation is one and there are so many plans whereby the intensive type of cultivation can be encouraged. We have been provided improved seeds, fertilisers facilities, improved implements and taccavi loans and so many things; but all this has been done in a very routine course of things. Actually if we see per acre production of other countries, we would find that Rice in Japan per acre is 4 times of India. In Canada wheat is two times of India. In Jawa, Sugar cane is four times per acre and in Egypt Cotton is 5 times that of India per acre and in Argentina and Canada oil seeds are two times that of India. Even our Agricultural experts have clearly stated that we can raise our production 2,3 and even 4 times. But we have not actually studied the problem with that interest. It is course to be welcomed that there will be Fertiliser Factories in Rajsthan. There will be implements factory in Jaipur too. The improved variety of tools will be provided to the agriculturists and that will help in the agriculture

(राव श्री नारायणसिंह)

vocation but along with that we have to note the lacuna in the diffe.-rent machineries of our own development which provides seeds and other things. It has been complained that the seed which is being given is not of superior variety, and even when the improved seed is given to the cultivators it is ignored that actually they should be given the seed when the fertiliser should be provided. Due to that the agriculturist, who is expecting certain amount of improved seeds, he has to be disappointed when he finds that at the last moment he cannot get that much improved seed. We have enacted for compulsory supply of seeds to the agriculturists. When we come to the legislation we have to be very careful whether we have prepared the proper ground for it? Whether our machinery is quite upto the tune ? Whether the seed which we are obtaining from the outside is of the right type of variety ? Whether we will be able to provide the cultivator with the right type of Fertiliser and so on. Merely enacting compulsory supply of improved seeds is not enough. Weshould assure him that this seed will be available to him, at the proper time and the seed will be of such a variety as is expected. With this lacuna of course our efforts towards intensive cultivation are falling short of good variety. We are planning of course. For that would be a very good idea. That will be, so far as I can gather, there is a plan to provide one Pilot Project in Rajasthan. Not only one, something more would be neecssary in Rajasthan in intesive cultivation schemes.

It has been stated over and over and again it has been professed in Rajasthan that it is surplus area so far as foodgrains are concerned. But when I come to the slab, I find that taking the statement on the very face of it as it stated, we would be raising 12 lac tons foodgrains by the end of 2nd Five Year Plan i. e. 48 lac tons i. e. 12 lac more tons which would mean 48 lacs tons of entire foodgrain productivity in our State. With this we have to mark the increasing tempo of population. In 1950 our population was one crore, 75 lacs and 6 thousand and by 61 it is going to be one crore 96 thousand 301.

Now if we work out the percentages for these, we find that it is 11 percent increase on both sides: on the side of the food grains and on the side of our population. Even if we accept that whatever figures are given for additional food production are correct-which has been doubted by so many of our legislators and even by so many experts and economists-even if we accept these figures to be correct and think that we are going to have additional 48 lakh tons of foodgrains here, it will only mean 11 percent rise, with a corresponding 11 percent rise in the population. Then where is this surplus ? If the population increases and the rise in it is co terminus with the rise in food production, then

(राव श्री नारायणसिंह)

that is not a situation which would encourage us to say that our State is a surplus State. This situation brings us face to face with the problem of rising prices. When we are stating that ours' is a surplus State and we are trying to export foodgrains from here, it means necessarily that we are exporting the foodgrains at the cost of our own requirements, and if we export at the cost of our own requirments, then the prices will naturally rise. When this is the situation of a much professed surplus State, i. e. Rajasthan, I wonder what will be the situation all over India where such surplus has not been professed ? We have to realise the gravity of the problem and merely on the basis of statistics we cannot acquire an attitude of complacence and just gloat over a fact which cannot be true in ultimate analysis. That always leads to miscalculations and disappointments later on when we come near the end of the Plan.

In Agriculture we have to devote more attention towards the actual performance of things. We are not to be satisfied only with what we are spending in the Agriculture sector. Spending is not the main thing. What should concern us is that the money acquired by much difficulty, through international sources and through other sources by raising public debts, should be spent properly. Every penny of it should be well utilised and that should be our concern more than a deficit budget or anything else.

Apart from all other activities of development which directly affect agriculture, land policy and land legislation is one of the major factors. If our land policy and our land legislation aiming at land reforms is guided only by certain sentiments which are not allied to practicalities, to actual conditions, then we have to face certain disappointments when we see that a certain legislation is only exciting the sentiments of the people and affecting the production thereby. We have been confusing the Co-operative Movement with a legislation for the peasant proprietorship so much that before well establishing a regular Co-operative sector, before making Co-operatives popular amongst the peasants, before looking to all the enactments that would be necessary and the requirements of loans from the Reserve Bank and replenishing of the Apex banks and other things, we just harp over the necessity of Co-operatives. We are only telling the people that because we would be making large Co-operative Farms, therefore, the peasant proprietorship of even the smallest order should resign itself to that sort of system. It is easier to put it in words, but to do it has its own difficulties and we must have regard to these difficulties. If we have only promises of golden domain for the agriulturists, without providing it, then it is going to lead

Page No.75

(राव श्री नारायणसिंह)

them to much disappointment and apart from the fact that he will be dis-contented, apart trom the fact that what I had told before in my discussion on the Governor's speech, that we will be disturbing the essential backbone of our Democracy, apart from that we have to see whether it would also not affect the production side, whether it would not create a suspicion in the mind of the agriculturists, and when they go to their fields whether they will have enough security and enough psychological atmosphere to do their work. I don't want to say much on this land policy and land reforms because I have already said much about it before. But I would like to sound a note of warning on the vehemence of our reforms. We must not drive the pincers of reforms so deep in the body of the peasant that he may bleed.

After Agriculture comes the Industries. Certain Hon'ble Members, and specially the Hon'ble Member coming form Phulera, had raised certain questions. Our employment situation in Rajasthan, according to the figures provided in our Plan Frame is that in the third Five Year Plan 26,000 jobs would have to be created in the urban sector. The population is likely to increase by 4.5 lakhs in the urban areas and 9.6 lakhs in rural areas. Along with these 26,000 jobs in the urban sector, there will have to be created 1·26 lakhs of jobs in the rural sector. Now this should bring us to the reality of things. 1.26 lakh persons in the rural areas have to be provided with work and we cannot absorb all that population in agriculture. In our Plan itself we have kept it in view that some of the superfluous agriculture population has to be diverted towards some sort of industry. In America, a century back, 80 percent of the population were living on land and now the figures are 25.38 percent. This should give us an idea of how we should also divert certain amount of our agricultural population towards other vocations. There is already quite a lot of pressure over the land. It may not be in Rajashan, but definitely in U. P. and other places the pressure of population over land is a problem. Even in Rajasthan today, the growing problem of finding pasture land for grazing of cattle is a headache. There may be some arid and semi-arid areas of Jaisalmer, Bikaner and other places where the population may be sparse and the problem may not be so acute, but wherever it is, the pressure is increasing and, therefore, we are planning to divert a little by of our agricltural population towards some other vocations ? And here it would be very important to consider the Small Scale Industries and the Cottage Industries. In considering the Small Scale industries, the Hon'ble Member coming from Phulera had raised certain pertinent questions and he specially referred to

(राव श्री नारायणसिंह)

the Khadi industry and to the Handloom industry and the subsidy and Government help that is being given to them. He called them spoon-feeding and spoon where even in these industries certain amount of corruption is prevalent. Of course, we have to take note of these things, but along with it we cannot entirely disregard these industries. They do provide a certain amount of employment and before we can provide alternative employment for the people who are engaged in such industries, we would be very hard to them if we deprive them of those industries, though it is true that the method of spoon feeding would not always be good.

While speaking on the Small Industries again, certain Members and specially the Hon'ble Member from Phulera felt that we should introduce some mechanised processes, power looms and other things and that facilities for power should be secured for all. There is no denying the fact that facilities of power should be provided, but we have our limited resources. Bhakhra Project will give us a cerain amount of electricity and the Chambal Project will give us another amount ; then there will be some other project also. But even then the problem is huge and if we begin to calculate what amount of power would be requierd for the rural sector; we would probably be stunned to find that our shortage is quite a lot. I would have to admit here that there has not been a proper survey of the requirements of power as such because there has been no Economic Survey or other surveys which would be necessary to plan our future schemes. But apart from that, even if we just imagine the immensity of the problem, it is quite a big problem. The hydel Power will be impossible to be provided to rural sector. It is also contended that in villages steam engines and oil engines etc. can be put and power generated, but that itself has got its ownlimitaions. The foreign exchage difficulties and so many other difficulties are coming in the way. Of course, I completely agree that if we have to make these small Scale Industries very successful if we have to make them such that they would absorb most of the unemployed it would be necessary to go a little way out of our conservative thought. We will have to give them power, we will have to allow them some sort of mechanisation and all those things, but at the same time we cannot forget the diificulties which we would have to face in providing them these facilities; and in the interregnum we will have to depend upon industries which can do without power and without mechanisation. These industries have to be widespread and much of our education also has to be diverted towards that end.

Craft centres, technical schools and other things have to be started whereby the required personnel for these industries would be available. We

Page No.77

(राव श्री नारायणसिंह)

have to intensify our Co-operative movement for such industries and there would be so many allied things which will have to be done. In Japan these Small Scale Industries are spread ing all over the country. They have a tradition of many years which we don't have, or even if we had, it was broken when the British Government was here. The British broke all these local traditions and all the vocations were wiped out, and due to that wanton destruction all economic life was disturbed. Every person either rushed to the cities and the mills or to the agriculture side. That un-balanced our whole economy which we will have to set right again, and we will have to strengthen the Co-operative structure and other things. As I was saying, in Japan the cities are many, and because the population is intensive, at every 20th mile there would be a city of a population of the order of 80,000 or so. There are many such cities and around these cities all power is distributed. Every village is practically well equipped with the pre-requisites of starting a Small industry. That day will come in India after quite a long time and we shall have to think at present in the background of our own economy, of our own circumstances etc.

While discussing this, one thing comes to my mind and that is the Nationalisation of State Transpcrt. Our Road Nationalisation Policy has of course been accepted by all the legislators here and by practically the whole of the House and people have begun to think in terms of Nationalisation. We have to accept the necessity of it when we aim at a Socialistic Patterm of Society and a Socialistic Satructure of State. But saying nationalisation and approaching the problem are two distinct things. If we said that we are going to have nationalisation, we have also to consider what would be the difficulties facing us. We have experience that in the public sector due to the absence ot personal touch, things have been mis-managed and losses have been the order of the day. The personal factor still counts....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, समय के लिए निश्चित है या नहीं; और सदस्य भी बोलने वाले हैं ?

राव श्री नारायणसिंह : The personal factor still counts a lot in a country which is not yet fully National-Conscious and, therefore, giving full regard to that we have to admit that any trade or any business completely run by the State would not be as successful. Some sort of private sector should be attached with it, some sort of such personal factor must be brought into it, and in the Nationalisation of Transport also we have to keep regard to that. We should think more seriously about Corporation' idea, wtherein there would be 50 percent Government shares and

(राव श्री नारायणसिंह)

another 50 percent shares of the pliers of Road Transport and those who are in the business of running Transport etc. There are certain standards and these standards of people should be brought in and they should be worked on the lines of Corporation.

Even in Nationalising the Transport we are thinking in terms of certain routes, but certain other routes we are leaving out for the private sector. When we are evolving a policy, we not only have to consider the uniformity but also the social justice. The State is not entering into a sort of evil competition with the private sector. If it chooses the best routes and leaves the worse routes for the private sector, that is not social justice. So from that point of view, we have to see whether our policy stands the test of social justice and the test of uniformity. If we talk of uniformity, even there we are lacking. Certain routes would be in the private hands and certain routes will be in the public sector. Therefore, if we establish a Corporation and bring in that Corporation to control the State Transport on all the routes, that would be more uniform and more in the fitness of things. Gradually then the State should increase its share in the Corporation and that way a gradual system of Nationalisation could be adopted.

I would have much liked to talk about the taxation here, but I would like to refer to certain things to which we have been habituated.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सभापति महोदय, समय निश्चित है या नहीं, और सदस्य भी बोलने वाले हैं ?

श्री सभापति : But in brief please.

राव श्री नारायणसिंह : Yes, in very brief.

We have been increasing the burden of indirect taxes so much because we sometimes feel shy and we take recourse of indirect tax. Certain economist has stated as a graph indicates that in 1950-51 indirect taxes were of the order of 50 and a quarter of crores and today they are of the order of 350 crores and incidence of indirect taxation is essentially on the coffers of the poor. I would quote the statistics here as produced by the West Bengal and they have distributed that sector into 5 brackets. First is over 700 and incidence over it is of the order 3.40 percent. Then another bracket is from 3. 50 to 700 and the incidence is to 3.89 percent. Third, 201 to 300 and the incidence is 4. 29. Fourth is 101 to 200 incidence over that is 4.76, and from 1 to 100 incidence comes to 5.12 percent. Looking to these figures, we have to be over cautious that we don't increase the pressure of indirect taxes that it only affects the poor coffer, and for healthy trend of economy and distrib-

(राव श्री नारायणसिंह)

ution of wealth giving encouragement to certain vocations and trades we have to examine that every tax and specially in the Sales Tax whether certain item is trying to help that vocation and the economy through it or retard. So these factors have always to guide us while we are imposing taxation and

३. म. प.

in our State particularly we can take it item wise whether that tax has established healthy trends of economy ? That should be proper criteria. Agricultural income tax has been raised–Agricutlural income tax has been abolished and land Surcharge has been put. In the developing economy we cannot deny the taxation but even then we have to considert his Surcharge while imposing a Surcharge on land revene whether we can do away with land revenue itself? We have to examine this factor. We have to put up a special committee for this to examine what will be the results of abolishing land Revenue and of imposing of scientific Agricultural Income Tax right from lower level raising the slab as the income higher and higher? Ofcourse the ceiling, the problem is solved to a certain extent but we have to see whether we can adopt the Agricultural Income Tax. If we have exempted from the agricultural Income Tax the incomes below one thousand in the Revenue side, probably we would be more free to put Surcharge & other Development Gess. But otherwise it becomes a burden for which they will grumble.

I would have liked to say about Ajmer Plan but as I have taken a lot of time, with these words, I take my seat.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : बाकी रह गया ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : Thank you very much.

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के आंकड़ों को हमने देखा । उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि एक्साइज़ विभाग में जो आमदनी के आंकड़े बताये गये हैं यह स्पष्ट ही एक्साइज़ विभाग पर कलंक का टीका है । क्योंकि शराब को बेचने की प्रथा है जो सरकार की पॉलिसी है । इससे सरकार को फायदा जरूर होता है पर इससे सरकार व्यापारियों को भ्रष्टाचार का लाइसेंस देती है । सरकार खुद उनको कहती है कि तुम शराब में पानी मिलाओ, जनता को पानी मिला कर शराब पिलाओ और लूटो। एक तरफ तो हम चिल्लाते हैं भ्रष्टाचार; भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ सरकार खुद भ्रष्टाचार करवाती है इन ठेकेदारों से । राजस्थान के किसी भी शराब के ठेके के आंकड़ों को उठा कर देख लें कि किसी भी ठेकेदार को शराब बेचने से जितना कमिशन मिलने वाला है उससे कहीं ज्यादा सरकार को इन ठेकों से आमदनी

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है । ठेकेदार की उस आमदनी से कहीं अधिक कीमत पर ये ठेके नीलाम किये जाते हैं । तो यह मान कर चलना चाहिये कि उन ठेकेदारों को मुनाफा नहीं होता, यदि वे लोग बेईमानी नहीं करते हैं, शराब में पानी मिला कर नहीं बेचते हैं । कितने ही इल्लिसिट शराब मिला कर बेचते हैं, कइयों का सरकार चालान करती है । तो क्या सरकार देखती नहीं कि ठेका देते हैं उससे सरकार को कितनी आमदनी हो रही है और ठेकेदारों को क्या आमदनी हो रही है ? सील हुई बोतल में शराब कोई बेचता है;पानी नहीं मिलाता है तो उसे स्पष्टतया सरकार के आंकड़ों के अनुसार मुनाफा नहीं होगा और ऐसा कोई भी दुनिया में मूर्ख नहीं होगा कि साल भर तक परिश्रम करे, एक्साइज इन्सपेक्टरों और एक्साइज़ कमिश्नर का मोहताज रहे, उनके तलवे सहलाये और उसको मुनाफा कुछ भी नहीं हो । ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है । तो यह स्पष्ट है कि ऊंची कीमत पर ठेका खरीद कर ठेकेदार लोग शराब में पानी मिला कर बेचते हैं और इस तरह जनता को लूट कर बेईमानी से पैसा कमाते हैं और ऊंची कीमत पर ठेके नीलाम करके सरकार इनको पानी मिला कर बेचने के लिये, बेईमानी करने के लिये प्रोत्साहन देती है । यह सरकार के लिये कलंक का टीका है कि भ्रष्टाचार का लाइसेन्स देकर इसके जरिये ३ करोड़ रुपयों की आमदनी बताती है । यह सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है । इसलिये सरकार को इस प्रणाली में चैंज लाना चाहिये । भ्रष्टाचार के लिये सरकार सरकारी कर्मचारियों को कैसे दंड देती है जब कि सरकार खुद बेईमानी का लाइसेन्स इन ठेकेदारों को दे रही है ? इससे ३ करोड़ की आमदनी होती है । जनता ३ करोड़ का नुकसान भुगतने को तैयार है पर सरकार को यह कलंक का टीका नहीं रखना चाहिये ।

सरकार ६५ लाख के टैक्सेज़ लगा रही है । यदि इससे भी ज्यादा टैक्सेज़ सरकार लगाये तो उसको बुरा नहीं मानेंगे पर सरकार बेईमानी से आमदनी करके आमदनी बताये इससे तो अच्छा है कि सरकार डाकुओं को लाइसेंस दे दे । आपको यह सोचना चाहिये कि सरकार के लिये लोगों के दिलों में, दिमागों में क्या इम्प्रेशन पड़ता है ? आप सिर्फ आमदनी का जरिया ही चाहते हैं तो डाकुओं को लाइसेंस दे दें । आपको तो चौथ चाहिये, लेते रहिये उनसे चौथ । तो सरकार को इस प्रकार की प्रणाली को नहीं अपनाना चाहिये, चाहे कितना ही लौस, नुकसान सरकार को होता हो । सरकार को एक आदर्श जनता के सामने रखना चाहिये, हम 'सत्यमेव जयते' के नारे के नीचे बैठ कर कानून बनाते हैं तो इसमें इस प्रकार से बेईमानी हो ऐसा, नहीं बनाना चाहिये ।

दूसरे, ६५ लाख के टैक्सेज़ का बताया है । उसमें एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को हटा दिया है, उसकी जगह एडीशनल लैंड रेवेन्यू टैक्स होगा । यह डाइरेक्ट काश्तकारों पर इफेक्ट करेगा । पहले एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से छोटे छोटे काश्तकार बच जाते थे पर सरकार की पॉलिसी है कि सभी काश्तकारों को टैक्स देने के योग्य बना दे । तो एक तरफ तो तहसील पंचायत का टैक्स, फिर जिला परिषद ने भी यह निर्णय ले लिया है कि लैंड रेवेन्यू की आमदनी है उस पर टैक्स

(श्री लक्ष्मीचन्द)

लगा दे और इधर सरकार यह टैक्स लगा रही है तो इस तरह काश्तकारों पर कितने टैक्स हो जायेंगे ? क्या काश्तकारों के सिवाय और कोई जनता राजस्थान में नहीं रहती है ?

तीसरे, सैल्स टैक्स की दरों में चेंज किया है। इससे भी आमदनी बताई है। सरकार अपने खर्च को तो कम करती नहीं और दिन दिन टैक्सेज़ पर टैक्सेज़ बढ़ाती जा रही है। आप अपने डिपार्टमेंट्स पर होने वाले खर्च में कमी करिये, आपको टैक्सेज़ इम्पोज़ करने की जरूरत ही पेश नहीं आयेगी। टैक्सेज़ इम्पोज़ करने से पहले सरकार को अपने विभागों के खर्चे में कमी करनी चाहिये।

समाज कल्याण की बातें की जाती हैं पर वह सब कुछ कागजों में ही है। On the spot actual picture देखें तो समाज कल्याण कहीं नहीं होता, ठीक तरह से शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षा पर अनेक मदों पर पैसा खर्च करते हैं पर ठीक युटिलाइजेशन नहीं होता।

पहले आप जो खर्चा करते हैं उस पर पूरा कन्ट्रोल होना चाहिये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि पूर्णतया विचार करके इस पर सहमति प्रकट करें।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री सभापति : श्री........

(कुछ क्षण विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय,

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : हां, जरा भाषण होने दें साहब चन्द्रकलाजी का।

डॉ० चन्द्रकला : क्यों आज पहले पहल सुन रहे हैं क्या ?

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६० सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय को कह दें कि वे सदन की प्रतिष्ठा का ख्याल रखें....

श्री सभापति : आप बोलिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आप उनकी तरफ देखिये ही मत।

डॉ० चन्द्रकला : मैं तो सदन की प्रतिष्ठा के लिहाज़ से अर्ज करती हूँ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६० सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। मैं भी संक्षेप में इसके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं।

नये साल का नया बजट पेश होने को होता है तो जनता सशंकित, भयभीत सी इस बात की प्रतीक्षा करती है कि कौन से नये कर हम पर भार के रूप में आने वाले हैं।

(डॉ० चन्द्रकला)

साथ ही सर्व साधारण को यह आशा होती है कि कौनसी हमको राहत मिलने वाली है । हर बजट में हम देखते हैं कि किसी न किसी तरह सरकार कोई न कोई नया कर आमदनी के खयाल से ले आती है और उससे लाखों की आमदनी का साधन पैदा करती है । इस बजट में भी हमने एक कर को समाप्त करके दूसरे ३ कर लगाये हैं पर अब की बार किसी तरह की राहत किसी को भी नहीं दी है । कर के साथ किसी तरह की राहत दे सकें तो उसका असर जनता में अच्छा रह सकता है और आदान-प्रदान की भावना का अच्छी तरह से निर्वाह हो जाता है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): राहत के माने समझा दीजिये ।

डॉ० चन्द्रकला : जैसे पिछली बार मंहगाई अलाउन्स का ५ प्रतिशत बढ़ाया था, जो अल्प वेतन भोगी थे, २५०-३०० से कम पाने वाले कर्मचारी थे उनके बच्चों की फीस माफ की थी । तो आज तक कुछ न कुछ करते आये थे पर इस बजट में कोई राहत की घोषणा नहीं की गई है, पर कर कई लगाये हैं । हम कर किस पर लगायें ? उद्योगपति, व्यापारी आदि चाहें जिस पर कर लगायें । पर अन्त-पन्त ये कर सर्व-साधारण पर चले जाते हैं । इंजेक्शन शरीर में एक जगह लगता है लेकिन उसका असर शरीर के हर अंग पर पड़ता है, उसी तरह से टैक्स एक चीज़ पर लगता है तो वह एक वर्ग और श्रेणी पर न होकर जन-साधारण पर पड़ता है और उसका कुछ न कुछ बदला मिले, यह हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिये ।

हम योजनाओं से अपना काम कर रहे हैं । हमारी एक योजना पूरी हो चुकी है, दूसरी योजना पूरी होने वाली है और तीसरी योजना बन रही है । लेकिन हमने जो कार्य किये हैं उनके परिणामों को जनता को किस तरह बता सकते हैं, यह देखने की बात है । सभापति महोदय, मैं आंकड़ों और अंकों की बात नहीं कहती, वे संतोषजनक हो सकते हैं । लेकिन हम जयपुर शहर की मिसाल देखें तो साफ जाहिर होगा कि हमारी योजनाओं का प्रत्यक्ष परिणाम और फल जो मिलना चाहिये वह नहीं मिल पा रहा है । हमने सड़कें और अच्छे-अच्छे मकान बना दिये और जयपुर शहर में नई नई बस्तियें बसा दी हैं । लेकिन हमको यह देखना है कि सर्वसाधारण को कपड़े और भोजन, रोटी और जीवन की अन्य सुविधाएं दिन-प्रतिदिन की सुविधाएं कहां तक दे सकेंगे; यह देखने की बात है । मंहगाई की बात सब के सामने है । इसको दूर करने के लिए हम उत्पादन बढ़ाने की ओर बराबर प्रयत्नशील हैं । कुछ में हमने सुविधाएं दी हैं जैसे शक्कर और पत्थर के कोयले की ज्यादा सप्लाई करा कर जनता की यह कठिनाई दूर कर सकेंगे । लेकिन अफसोस के साथ कहना होगा कि ४० प्रतिशत जनता को पीने का पानी अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाता है । आपकी जयपुर शहर की जो योजना थी वह थोड़ी आबादी के लिये थी मगर अब आबादी तीन या चार गुणी बढ़ गई है ।

जहां तक जन-स्वास्थ्य की बात है, मुझे सरकार की ओर से यह जबाब सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था संतोषजनक है । मैं कहना चाहती हूं

Page No.83

(डॉ० चन्द्रकला)

कि जिनको यह व्यवस्था संतोषजनक दिखाई पड़ती है वे एक बार जयपुर शहर की किसी गली से निकल जावें तो वे उस गली में दुबारा जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। गलियें इतनी गंदी हैं कि वहां पर खड़ा रहना मुश्किल है। वहां पर आप खड़े नहीं रह सकते, जहां वहां की जनता चौबीसों घंटे रहती है। हमारे यहां पर सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका कारण क्या है? यह हमें सोचने की बात है। इसका कारण यही है कि जो सफाई की व्यवस्था आज से १० वर्ष पहले थी वही है, लेकिन जन-संख्या यहां की दिनों, दिन बढ़ती जा रही है।

(गणपूरक घंटी)

तो हमको यह देखना होगा कि पहले हमको कौन से काम करने चाहिये? पब्लिक की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसको पहले कहां उपयोग करना चाहिये? या तो जौहरी बाज़ार की सड़कों को जो पहले से ही बनी हुई हैं उनको तुड़वा कर और ज्यादा सुन्दर बनाई जावे उसमें खर्च करें या स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा खर्च किया जावे या बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ कर छोटे छोटे पेड़ों को वहां पर लगाया जावें या स्वास्थ्य के सम्बन्ध में लोगों को सुविधा देने पर पैसे खर्च किये जाएं...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : और सुन्दर बनाया जा रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : मैं कहती हूँ कि जयपुर शहर में जो राजस्थान की राजधानी है मेरा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें कुल एक डिस्पेन्सरी है। हम देखते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। यदि लोगों को कोई सुविधाएं न दी जावें तो हमारे बजट का क्या उपयोग है? हम इतनी बड़ी धन-राशि हर साल खर्च करते चले आ रहे हैं लेकिन जनता को इससे कितना फायदा होता है; यह देखने की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, थोड़ा सा समय मैं और लूंगी।

पुलिस के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसके साथ-साथ अनाधिकार मद्य प्रचार के बारे में भी बहुत कहा गया है। इनका एक दूसरे के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है। हमारी पुलिस को ठीक तरह से इस तरफ कार्य करना चाहिये। मगर इसमें गड़बड़ी होती है और जो गड़बड़ी होती है उसमें पुलिस मदद करती है। पुलिस जो हमारी रक्षक है वही आज भक्षक बनती है और जनता को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी कार्य होते हैं उनमें वह मदद करती है। जुआ और शराबखोरी आदि का बहुत अच्छा गठबन्धन है और पुलिस के द्वारा ठीक तरह से ध्यान नहीं दिये जाने से ये सारे काम होते हैं। पुलिस का उसमें गठबन्धन होता है। इस सदन में कई बार इस ओर माननीय गृह मंत्री का ध्यान दिलाया गया और प्रश्नोत्तर काल में यह बात आई कि बलात्कार के इतने सारे केसेज़ हो जाते हैं और माननीय मंत्री उनके अपराधियों को संरक्षण देते रहते हैं। जहां उनको पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये वहां वे उनको संरक्षण देते हैं, तो यह बात

(डॉ० चन्द्रकला)

मेरी समझ में नहीं आती कि किस तरह से उसमें सुधार हो सकता है !

अंत में मैं यही कहना चाहती हूं कि हम जो योजनाएं बनाते हैं और उनके अनुसार खर्च करते हैं तो हम उस खर्च के अधिकांश भाग को मार्च के महीने में खर्च करते हैं। हम साल भर सोते रहते हैं और उनको खर्च नहीं करते और जब मार्च का महीना आता है तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको खर्च नहीं करेंगे तो यह रकम लैप्स हो जावेगी। इसलिये ऊटपटांग खर्च करते हैं। उदाहरण के लिये मैं खुद आपको बताना चाहती हूं कि जयपुर शहर में कलेक्टर के यहां से खर्च करने के बारे में जो रकम मिलती है उसके सम्बन्ध में मुझे मालूम है। साल भर तक उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जब ३१ मार्च आने को होता है तो उनको यह चिन्ता होती है कि इस राशि को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिये। सभापति महोदय, यह केवल एक कार्यालय का हाल नहीं है, मैं समझती हूं कि हर कार्यालय का यही हाल है। जब रकम लैप्स होने को होती है तो उस रकम को लैप्स होने से बचाने के लिये उसे जल्दी जल्दी में खर्च करते हैं ताकि वह रकम लैप्स न हो जावे। उसका नतीजा यह होता है कि जो फायदा उस रकम से होना चाहिये वह नहीं होता।

यह तो ठीक है कि हम यहां बजट पास कर देते हैं और यह इसलिए पास हो जाता है कि हमारी सरकार और फाइनेन्स मिनिस्टर का यह ध्यान रहता है कि यह रकम भली भांति खर्च हो। हमारे सामने इसको खर्च करने का कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा यह लक्ष्य नहीं है कि रकम को खजाने से निकाल कर फैंक दें। मैं तो यह कहूंगी कि यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है और यह एक-एक पैसा है उससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस प्रकार खर्च किया जावे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है सरकार योजना बना कर धन को उचित रूप से खर्च करेगी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय, आपका ध्यान एग्रीकल्चर विभाग की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इस साल एग्रीकल्चर विभाग में बहुत कुछ रुपया खर्च होने वाला है। मैं दो-तीन सालों से देखता हूं कि यह रुपया अच्छी तरह से खर्च नहीं होता है। इससे रुपयों की प्रोपर युटीलिटी नहीं होती हैं और बड़ा भारी नुकसान होता है।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बहुत कमजोरी के साथ में काम कर रहा है। आप देखेंगे कि न तो लोगों को समय पर अच्छा सीड ही मिलता है और अगर मिलता भी है तो वह नगण्य होता है। तो पहले पहल यह देखना है कि एग्रीकल्चर स्टोर में बीज समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं और अगर मिलते हैं तो वे जम नहीं सकते; ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले यह बात देखनी चाहिये कि समय पर कृषकों को सीड मिल जावे तो उसके बाद में सब इन्तजाम हो जावेगा।

(श्री दलपतसिंह)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लान्ट्स में डिजीज़ इतनी बढ़ गई हैं कि उसका प्रोपर, टाइमली कन्ट्रोल नहीं होता। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें यह रूटिंग डिज़ीजेज़ हो जाती हैं जैसे पोटेटोज़ और यह बीमारी पौधों के लिये इतनी खराब होती है कि वह उनके लिए एक तरह की टी० बी० की बीमारी होती है और वे प्लान्ट्स खराब हो जाते हैं। अगर यह बीमारी महीनों तक लगी रहे तो पौधे खराब हो जाते हैं। अगर १० तरह की बीमारियें हों तो सरकार को चाहिये कि उन दसों बीमारियों को रोकने का प्रबन्ध करें। अगर १० में से दो बीमारियों के लिये प्रबन्ध कर दिया जाता है तो इससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जल्दी से जल्दी इस प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिये दवाई प्रोपर समय पर एप्लाई कर दी जावे।

तीसरी चीज़, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिये बहुत कम लोन मिलता है और बहुत कम रकम रखी जाती है। वह रकम जो रखी जाती है वह ५ पर्सेन्ट होगी। इसके लिए मैंने देखा कि लोगों को तकाबी बहुत कम मिलती है। अगर हम मैकेनाइज्ड फार्मिंग को ज्यादा तकाबी नहीं देंगे तो ज़्यादा उन्नति नहीं होगी और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि तकाबी समय पर मिलनी चाहिए। अगर उसको तकाबी समय पर मिलेगी तो वह ट्रैक्टर के जरिये टाइम पर प्रिपेरेशन ऑफ दी फील्ड करके खेत को तैयार कर सकेगा।

चौथी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि सोइल टेस्टिंग के सम्बन्ध में जयपुर में एक लेबोरेटरी है। इसलिये किस प्रकार का सीड किस प्रकार की सोइल के लिए अच्छा काम देता है, इसकी रिपोर्ट हमारे सामने होनी चाहिये। इसलिये सोइल और पानी का किस तरह मेल होता है, यह चीज उपयुक्त होनी बहुत जरूरी है।

इसके साथ साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट चीज़ है वह यह है कि काश्तकार को एग्रीकल्चरल-कर और शासन सत्ता से मुक्त रखा जाए। इसका असर प्रोडक्शन पर बहुत पड़ता है। जब उनको इधर-उधर भागना पड़ता है तो उनके कार्यों में बहुत बाधा पड़ती है। फाइनेन्स मिनिस्टर ने एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से एग्रीकल्चरिस्टों को हार्डशिप और हैरासमेंट होता था उसको देखते हुए यह एबोलिश कर दिया है। लेकिन इसके अलावा उनके लिये बहुत सारी हैरासमेंट की चीजें हैं जिनका असर उन काश्तकारों पर बहुत बुरा पड़ता है। सबसे ज्यादा हैरासमेंट उनको पुलिस के जरिये होती है। कुछ....

(घंटी)

इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँ...

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि चार बजे से गवर्नमेंट रिप्लाई होगा, अन्य माननीय सदस्यों को भी मौका मिले, इसलिए आप इसका ध्यान रखें।

एक माननीय सदस्य : ४॥ बजे हो जाय।

श्री दलपतसिंह : सभापति महोदय,

(श्री दलपतसिंह)

इसके अन्दर ऐसी चीज़ होती है कि शासन की ओर से जो कायदा होता है प्रोडक्शन करने वालों पर उससे हैरेसिंग होती है इसलिए प्रोडक्शन में कमी हो जाती है। कोई काश्तकार दूसरे काश्तकार की जमीन को खड़ देता है उससे आज पुलिस केस बन जाता है। दस, पन्द्रह आदमियों को पुलिसवाले लेकर पेशियों पर टहलाते रहते हैं। मैं क्रिमिनल केस के लिये नहीं कहता किन्तु ऐसे जो रेवेन्यू केसेज़ हो जाते हैं तो इसके लिए तहसीलदार को पॉवर्स होने चाहिये जिससे कि वह उनको सुन कर फैसला कर दे। पुलिस केस नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उन काश्तकारों को इससे काफी हार्डशिप होती है। दस, बारह दफा उनको पेशियों पर चक्कर काटना पड़ता है, खेती बाड़ी उनकी इससे छूट जाती है। ऐसे मामले तो तहसीलदार जमीन का खसरा वगैरह देख कर जैसी पोज़िशन है उसका फैसला कर दे तो काफी हद तक लोगों का हैरासमेंट बच जावेगा। आपने देखा कि एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स कितना खराब था और आखिर आपको उसे एबोलिश करना पड़ता। कई जगह तो पुलिसवाले पैसेवालों से मिल कर दूसरे के खेत को खड़वा देते हैं। पैसेवाले तो प्रोफिट में चले जाते हैं और गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं होता। उनका प्रेक्टिकल हैरासमेंट है इसलिए इसको आप बराबर देखिये। यदि इसके लिए तहसील-दार को पॉवर्स हो जायं तो मौके पर दो-चार दिन में ही उसका फैसला कर सकता है जब कि क्रिमिनल केस बन जाने से गरीबों को दस-बारह पेशियों पर घूमना पड़ता है।

टाइम सर सीड फर्टीलाइज़र के साधन हैं वे ठीक हो रहे हैं। लेकिन प्रोपर उपयोग होगा तो ठीक रहेगा।

अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेन्ट बात और कहना चाहता हूं। वह है एनिमल हस्बेन्ड्री के बारे में। एनिमल हस्बेन्ड्री एग्रीकल्चर की बैक-बोन है। मिक्स्ड फार्मिंग की तरह एनिमल हस्बेन्ड्री को भी इम्प्रूव करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि पाश्चर लैंड की प्रोब्लम है। खातेदारी राइट्स देने से दूसरे के पशुओं के खेतों में जाने की तो रोक हो गई है। पाश्चर लैंड जंगलात में हो सकता है। घास इतना ज्यादा पैदा करना चाहिये कि जिससे दो-चार गांव के बीच में स्टोरेज करके वितरण हो सके और तरीके से वितरण की व्यवस्था हो सके।

पशुओं में काफी बीमारी हो रही है। सरकार पैसा दे रही है लेकिन दवाओं का प्रोपर उपयोग टाइम सर नहीं होता है जिससे हजारों की तादाद में भेड़ियां मर गई हैं। अगर टाइम सर दवा डीज़ीज़ को रोकने के लिए नहीं दी जावेगी तो और भी मर जावेंगी, काफी नुकसान होगा, हो भी चुका है। इतना बजट में पैसा रखते हुए भी इन जानवरों को नहीं बचा सके।

पौल्ट्री फार्मिंग के लिये अर्ज करूं कि पौल्ट्री फार्मिंग्स को बर्ड्स दे देते हैं। दवा-इयों का प्रोपर युटिलाइजेशन न होने से पोल्ट्री फार्मिंग में बर्ड्स खराब हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट पल्टी फार्मिंग में रख देंगे तो बर्ड्स सप्लाई वहां हो जावेगी और जो मैनेजर होंगे वे फार्म्स भी देखते रहेंगे।

जो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चीज़ है वह है वित्त

(श्री दलपतसिंह)

मन्त्री महोदय जो फूड इन्सपेक्टर वगैरह रख देते हैं शुद्ध चीजें देखते रहने के लिए सो ये लोग हैरासमेंट करते हैं। शहरों में तो शुद्ध घी मिलता ही नहीं है। जो शुद्ध घी के बोर्ड लगे हुए होते हैं वे निरर्थक हैं और लोगों को धोखा देने के लिये होते हैं। जब तक डालडा में कलर इन्ट्रोड्युस नहीं करेंगे तब तक यह प्रश्न हल नहीं हो सकता। फूड इन्सपेक्टर के पास भी बैस्ट औजार, थर्मामीटर नहीं है कि जिससे असली और नकली घी की पहचान पूरी तौर से कर सकें। दूसरा, दूकानदार होते हैं वे या तो इन्सपेक्टर से मिले हुए रहते हैं या न जाने किस तरह से शहरों में चलता है लेकिन यह डेफिनिट बात है कि शुद्ध घी शहरों में नहीं मिलता है।

(घंटी)

दो मिनट में ही समाप्त करता हूँ।

इसलिए इस बीमारी को मिटाने के लिये जल्दी से जल्दी डालडा में कलर दे दें।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह तो सेन्टर करता है।

श्री दलपतसिंह : All the Ministers here are repesenting Rajasthan and it is their duty to advise to the Central people. कलर इन्ट्रोड्यूस करने से क्या होगा कि आज जो डालडा और दूसरा घी कलर कर दिया जाता है तो कलर एक हो जाने से पता नहीं चल सकता। डालडा में कलर दे देने से यह बीमारी मिट जावेगी। जब डालडा से इस तरह हो जाता है, दूसरी तरफ यह हो गया है कि लोग पशुओं को दाना नहीं देते। जब तक यह कॉमर्शियल बेसिस पर नहीं होगा दूध बेचने का साधन जो है वह ठीक ढंग से नहीं होगा। लोगों के पास उसका मक्खन बना कर भी शहरों में, उनके साधन नहीं होने से भेजने में मजबूर होते हैं। इसलिए डालडा के अन्दर कोई न कोई कलर या कोई न कोई साइन्टिफिक तरीका हो जाय जिससे शुद्ध घी और डालडा में पता चल सके। इससे पशु-धन की भी हालत खराब होने से रुकेगी।

अब मैं, सभापति महोदय, दो मिनट के लिये सोशियल वैलफेयर के ऊपर कह देना चाहता हूं।

कल सुबह ही सोशियल वैलफेयर पर क्वेश्चन था। पिछड़े आदमियों को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेन्ट पैसा भी खर्च करती है। मेरे जिले में, कहता हूँ कि ७० प्रतिशत आदिवासी हैं। वहां देखते हैं कि रेनदत्त तहसील में तो शिड्युल्ड कास्ट के किसी भी विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं दी गई। बैकवर्ड एरिया है। पोटेन्शियल साधन सब मौजूद हैं। आप उस बैकवर्ड क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास फोरेस्ट्स हैं। फोरेस्ट की सम्पत्ति से छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज़ बनाई जा सकती हैं, साबुन, माचिस आदि के कारखाने बनाये जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेन्टर खोलने से क्या होगा कि एक आदिवासी ट्रेन्ड होता है फिर वह अहमदाबाद की तरफ शरण लेता है क्योंकि उसके एम्प्लॉयमेन्ट के लिए आपके पास साधन नहीं हैं। सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट के कार्यकर्त्ता हैं, पैसा भी काफी लगाते हैं लेकिन

(श्री दलपतसिंह)

उसका उपयोग होता नहीं है। जो कोई भी ट्रेन्ड होगा उसके खपने के साधन नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए छोटी छोटी कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को बना देना चाहिये। आबू की तलहटी फुल ऑफ टमाटोज़ है। मैं तीन साल से अर्ज कर रहा हूँ कि वहां पर इसका छोटा सा कारखाना खोल दीजिये। जैसलमेर, बीकानेर के पार्ट को तो सप्लाई होते ही हैं लेकिन इनका प्रिज़र्वेशन होने से बॉम्बे आदि जगहों को भेजे जा सकते हैं जिससे कि मजदूरों को एम्प्लॉयमेन्ट मिलेगा।

तो इसलिये राजस्थान के अन्दर जन-कल्याण के लिये आप बहुत धन रखिये और उसके साथ-साथ उनके एम्प्लॉयमेन्ट के लिये भी साधन जुटायें। चार आदमियों को कार्पेन्टरी में ट्रेन्ड किया उसके लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से इस प्रकार का इन्तजाम होना चाहिये कि वे अच्छे अच्छे स्टूल्स बनावें, चेयर्स बनावें और उनको बेचा जा सके। नहीं तो क्या होता है कि सीधे अहमदाबाद की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वापिस अहमदाबाद भाग जाते हैं। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि उनके लिये वहीं कोई इन्तजाम हो जाता है तो वे इस तरह से नहीं भागेंगे। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ): माननीय सभापति महोदय, जो विनियोग विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं और उसके साथ साथ मैं अपने सुझाव भी अर्पित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, बजट के आपके जो साधन होते हैं वे सब करों से पूरित किये जाते हैं। यह सभी राज्यों के बजट में होता है। राज्य के पास अपनी आय को बढ़ाने के सिवाय करों के और कोई साधन नहीं होते हैं। अब देखना यह जरूरी हो जाता है कि उन करों से जो धन एकत्र होता है उसका खर्चा किस तरह से होता है ? उसके खर्च के लिये चार साधन हैं। प्रजातंत्र व समाजवाद को मजबूत करने व जीवन-स्तर और नैतिक-स्तर को ऊंचा उठाने की, इन चारों बातों पर खर्च करना पड़ता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करने के लिये जो खर्चा बजट में रखा है वह हमने डीसेन्ट्रलाइजेशन का जो काम किया है, उसके लिये जो खर्चा रखा है वह प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करने के लिये है। समाजवादी समाज की स्थापना के लिये इस बजट में हमने जागीरदारी, जमींदारी और बिचोलिया सीलिंग इत्यादि पर जो रुपया खर्च करना होगा वह हमारी समाजवादी समाज की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : यह बिचोलियां क्या है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : बिचोलिया आप जैसे लोग, जो बीच में किसानों से कुछ लेते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, बांध बनाने के लिये, दीगर योजनाओं को कार्य-रूप देने के लिये जो हम खर्चा कर रहे हैं वह लोगों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये है। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस देश का नैतिक-स्तर गिरता है वहां

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

का जीवन स्तर चाहे कितना ही ऊंचा हो वह उन्नत नहीं कहा जा सकता। जीवन स्तर के और नैतिक स्तर के ऊंचा किये बिना देश कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता। आप जर्मन देश को ही ले लीजिये। सन् ४५ में द्वितीय महायुद्ध के समय वह तहस-नहस हो गया था। लेकिन आज वह एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कार्य कर रहा है। आज वह दूसरे देशों को सहायता पहुँचाने के लिये किस कदर मदद दे रहा है। जहां उन्होंने अपना जीवन-स्तर ऊंचा किया वहां उनका नैतिक-स्तर भी बहुत ऊंचा रखा है। नैतिक-स्तर को ऊंचा उठाने के लिये ईमानदारो और मेहनत की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नैतिक स्तर के ऊंचा उठाये बिना हमारा देश उन्नत नहीं हो सकता। इसलिये हमें यह सोचना होगा। भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि की बातें जो हमारे यहां सदन में हो रही हैं आज उसके लिये हम देखते हैं कि आज जिस जनता के लेबल से अधिकारी वर्ग आता है, जिस प्रजा से सदन के सदस्य आते हैं वही से सारा कर्मचारी वर्ग आता है जब तक हम जनता का नैतिक-स्तर ऊंचा नहीं उठायेंगे तो हम देश को अच्छे अधिकारी व कर्मचारी वर्ग नहीं दे सकेंगे। सबसे पहले यह होना चाहिये। नैतिक-स्तर को उठाने के लिये शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाना चाहिये। जो विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हैं, जिनका नैतिक-स्तर-ऊंचा है, जिनके बारे में प्रिन्सिपल्स और हैड मास्टर्स की अच्छी रिपोर्ट हो उनको विद्याध्ययन के लिये ज्यादा से ज्यादा सहायता देकर प्रोत्साहन देना चाहिये। क्वान्टिटी पर नजर न देते हुए हमें क्वालिटी पर ज्यादा नजर रखनी चाहिये। जहां क्वालिटी ठीक है तो वहां का नैतिक स्तर भी ऊंचा उठ जाता है। इस पर हमारा पूरा जोर के साथ खर्च होना चाहिये।

पुलिस के बारे में जो बताया गया व भ्रष्टाचार और व्यभिचार की बातें कही गईं इसमें हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी भारी गलत चीज यह है कि इनवेस्टीगेशन और लॉ एन्ड ऑर्डर और प्रोसीक्यूटिंग डिपार्टमेंट एक ही पुलिस विभाग के अधीन है। इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट अलग होना चाहिये, लॉ एन्ड ऑर्डर का विभाग अलग होना चाहिये, प्रोसीक्यूटिंग डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट के अन्डर में होना चाहिये। आज होता क्या है कि एक कॉन्सटेबल को या हैड कॉन्सटेबल को पी० आई० बना दिया जाता है। जब वह अदालत में हाजिर होता है तो सरकार की तरफ से उसके खिलाफ हजारों रुपये लेनेवाला एक योग्य वकील खड़ा हो जाता है तो इस तरह से पी० आई० इतना योग्य न होने से मुकदमा खारिज हो जाता है। आप पी० आई० योग्यतावाले व ईमानदार व्यक्ति को नहीं रखते कॉन्सटेबल और हैड कॉन्सटेबल उस पद पर खड़े हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में पुलिस के केस फैल हो जाते हैं और इस तरह से सरकार को जनता में बदनामी उठानी पड़ती है। इसी तरह से इन्वेस्टीगेशन और लॉ एन्ड ऑर्डर का विभाग एक साथ रखते हैं तो उसमें इनवेस्टीगेशन में ज्यादा सफलता नहीं मिलती और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। इसलिये इन्वेस्टीगेशन और लॉ एन्ड ऑर्डर का विभाग पुलिस में अलग अलग रखना चाहिये, इसके अलग अलग सेक्शन्स होने

Page No.90

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

चाहिये । इससे क्या होगा कि व्यभिचार आदि के जो झगडे हैं वे हमारे सामने उपस्थित नहीं होंगे ।

इसके साथ साथ नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये उन मादक वस्तुओं की बिक्री पर बाकायदा नियन्त्रण रखना होगा जिससे देश का नैतिक स्तर न गिरे । आज हम देखते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर सब-इन्सपेक्टर के पास सब कुछ काम रहता है । डी० एस० पी० के पास कोई काम नहीं, डी० एस० पी० को कोई अधिकार नहीं । वह कॉन्सटेबल का भी इधर से उधर ट्रान्सफर नहीं कर सकता । डी० एस० पी० की जो पोस्ट रहती है, जिसको हम सैकड़ों रुपया वेतन भी देते हैं उस पर कोई भरोसा नहीं करते, सारा भार सुपरिन्टेन्डेन्ट के जिम्मे रहता है । आज पुलिस में कई सुपरिन्टेन्डेन्ट्स ऐसे हैं जो पुराने ढर्रे के हैं, जिनको आई० पी० एस० में ले लिया । उनके थाने बंधे हुए हैं और इस तरह से एक एक सब-इन्सपेक्टर कोई ५०० देता है, कोई ४०० देता है; उसी के अनुसार उनके तबादले भी किये जाते हैं । आखिर यह क्या है ? डी० एस० पी० जो बीच का अधिकारी है उसके हाथ में अनुशासन कायम रखने के किसी प्रकार के पॉवर्स नहीं, वह कॉन्सटेबल को या हैड कॉन्सटेबल को, किसी को कुछ नहीं कह सकता । इस तरह से जहां आपने अधिकारों को जनता में डीसेन्ट्रलाइज़ करने का कदम उठाया है वहां ये बड़े अधिकारी इस तरह से अपने अधिकारों का केन्द्रीयकरण करते जा रहे हैं ।

हम देखते हैं, एस० डी० ओ० के हाथ में स्टाफ के लिए कोई पॉवर नहीं । एक क्लर्क या पटवारी यदि उसके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में गड़बड़ करता है तो उसको एक तहसील से दूसरी तहसील में ट्रान्सफर नहीं कर सकता, वह भी कलेक्टर करता है । उसको किसी प्रकार के ट्रान्सफर के अधिकार नहीं । डिप्टी इन्सपेक्टर एजुकेशन है जिसके अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट की मिडिल स्कूलें रहती हैं वह भी एक मास्टर को इधर से उधर ट्रान्सफर नहीं कर सकता । एक तरफ तो आप जनता में सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके अधिकारी सत्ता का केन्द्रीकरण करने में लगे हुए हैं । कलेक्टर नायब तहसीलदार को इधर से उधर नहीं कर सकता ।

हमारा मंत्रि-मंडल जिलों जिलों में घूमता है । वहां अपनी केबिनेट का फंक्शन करता है । यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन केवल एक दिन वहां रहने से वहां की जनता के अभाव-अभियोगों से जानकारी नहीं मिल सकती । उनको सरप्राइज़ विजीट करनी चाहिये । वे जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है । आप जहां कहीं जाते हैं पहले से प्रोग्राम भेज देते हैं । प्रोग्राम के साथ साथ ही वहां पर उद्घाटन-चाटन आदि का कार्यक्रम बन जाता है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : भीखाभाई की तरह स्टडी करनी चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : इसके साथ साथ सर्प्राइज़ विज़ीट के जरिये ऑफिसेज़ को जाकर देखना चाहिये-वहां क्या क्या कागज़ात पेन्डिग हैं, किस तरह से वर्क होता है, कर्मचारी टाइम पर आते हैं या नहीं । इस प्रकार से काम नहीं करेंगे तो

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

कभी भी सुधार नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जिस जिले में आप जाते हैं वहां आप अधिक ठहरते नहीं और एक दिन में आपका कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता है कि कोई आपसे जनता का व्यक्ति मिल नहीं सकता। वहां पूछताछ आपको करनी चाहिये कि कौनसा कर्मचारी काम कैसे, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है ? वहां सरकारी विभागों के लोग किस तरह से पब्लिक के साथ वर्त्ताव कर रहे हैं, किसकी क्या शिकायत है, कौन किस तरह का है ? अगर किसी अफसर या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अपना नैतिक स्तर गिराने की या अनुशासनहीनता की रिपोर्ट आपके पास आवे तो आप उस पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिये और तुरन्त लीजिये। अगर आप इस तरह काम करते जावेंगे तो आज जो रात-दिन सदन में भ्रष्टाचार और व्यभिचार की शिकायतें अफसरों के खिलाफ आती जा रही हैं वे नहीं आयेंगी।

इसलिये नम्रतापूर्वक मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी इस प्रकार की आपके पास शिकायत आवे उस पर पूरी पूरी कार्यवाही आप करें और उन पर पूरा ध्यान दें।

इसके साथ ही उद्योग के बारे में कह देना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र के स्वार्थ की बात है। किशनगढ़ मिल इतने साल हुए बन्द है। मैंने सुना है कि बन्द मिलों को चलाने का पूरा प्रयत्न सरकार कर रही है पर मैंने साथ ही यह भी सुना है कि जो इस मिल के लूम्स का कोटा किशनगढ़ का था वह किसी और जगह पर दिया जा रहा है कहीं हनुमानगढ़, उदयपुर इत्यादि जगहों पर। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ का कोटा किशनगढ़ में ही लगावें और वहां के बन्द पड़े इस उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न आपको करना चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Mr. Chairman, I rise to speak on the Appropriation Bill presented to the House yesterday and I would like to draw the attention of the House where the amount is misappropriated-atleast it ismis-utilised.

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी....

श्री श्रीभानसिंह : Why ? If you don't understand, you may retire to the lobbies.

I said mis-utilised, and in that among all the Departments, ofcourse I must congratulate the Agriculture Minister, that according to me he tops the list. Any amount of expenditure right form 51 till 60 has not been able to generate what is due, unfortunately the Agriculture Department presents a picture of mismanagement of our mis-utilised expenditure and being devoid of any results. It is unfortunate that Agriculture on which

(श्री श्रीमानसिंह)

the progress and prosperity of this State depends should continue to be in the hands of non-technical man, should be managed by such advisers who have no knowledge of Agriculture and unfortunately if I say that in this Agriculture Department ignorance is bliss and I am fortified by the remarks made by the Hon'ble Agriculture Minister that agricultural production has been increasing. Not only as regards pulses, but he came up in this House that the production of Cotton, Sugar Cane and Oil Seeds is also increasing. If I draw the attention of the House, it will be seen from the Budget Study that the production of 58-59 of Oil Seeds is 265 while the production in 60 is 264 and it is just equivalent to our production of 1954-55. Regarding Sugar Cane in 55 it is 675 while in 57 it is 434. Similarly Cotton in 57-58 it was 216, in 58-59 it was 147. These are the figures supplied and on this basis the Hon'ble Minister was over-emphasising that our production on Cotton etc. is increasing. I am afraid the figures are not so optimistic as the Hon'ble Minister says. If I take the figures of Rabi and also of pulses in 1953, it is 418, while in 58-59 it is 358. And if we compare these figures with the amount of land utilsed in Rajasthan then we will come to this conclusion that all the consideration's not due to the efforts of the Agriculture Department but because of the increasing population and its pressure and utilisation of the land so much so that the Agriculture Department gave out figure that all the land brought out under cultivation was merged and sub-merged. I am sure, in Rajasthan in certain areas pressure is not so much to justify that the land is exhausted. Rajasthan has got well culturable land which is more than that which is under flood today.

With regatd to planning, Agriculture Department has not helped our own progress and if we continue, if these figur es continue in our Agriculture Department, then I am afraid I don't visualise very good view for this State. We have problems of unemployment and other problems. We have to realise particular increase in the production then for this if all this has to be achieved then agriculture will have to be improved. It is not a question as sometimes we sidetrack, it is not a question of just achieving 12 tons of target. Whether that 12 tons can be achieved within the second plan; this is the question. Whether the maximum production that we can get out, are we getting it ? My reply is that we cannot get. Rajasthan could have been able during the second plan if the expenditure was utilised in a better way. Rajasthan should have achieved 24 tons and it is a possible target. Improved fertilisers should go to the fields. Atleast in Bharatpur, improved fertilisers are sold in the market. Improved seed, of which the Hon'ble Minister is so proud,are not available.

(श्री श्रीमानसिंह)

Seed is deteriorating in 99 percent. There is an annual deterioration in the Agricultural seed. Rains have failed in Eastern Rajasthan. Where were those fertilisers utilised ? And the people due to the high cost don't utilise water in the hope of rains. Improved seed is not there and as regards implements, greater loan was given to the tractors. I don't want to bring the dismal game and the scandalous amount wasted in the purchase of tractors. Since the Leader is here, I must say that around him the picture of Agriculture is not a happy one. We also encouraged that Co-operative Farming which means Socialism. But when we go to the actual figures, out of 200 Co-operative Societies 150 societies did not possess land. They are registered by the Department but they don't have land. Is it not a 'make belief' picture of the Co-operative Farming? It means that Officers give us figures but these figures are not achieved. Rules are there that Societies must be registered but they are violated and the Societies are there and the Governor has been made to utter about it. But nobody knows what Co-operative Farming is. This is the picture that the Agriculture Department presents.

I will take just two three minutes. Of course, I need not say about the State Trading Scheme because it appears that the Government has probably abondoned State Trading every Hon'ble Member knows that the market price could not be brought down.

And what did the Co-operative purchasing Societies do ? The first thing that it they purchased a new jeep; not to purchase grain, but for Extra-Curricular Activities. This was the State Trading Scheme that resulted in failure because we trusted Co-operative Purchasing Societies; the Societies formed by those people who did not believe in the principle of Co-operation. These are our Co-operative Farms and these are our Co-operative Societies which have brought about a failure of State Trading.

Now I will take a few minutes on Police problem, since Police has been left out in the grants. I must say that the Hon'ble Home Minister who was said to possess the qualities as a lover of Peace and Poetry, I am afraid he has not been able to inspire his Department with such high ideals and aims. Why the Police is criticized ? Of course, there may be 3,000 or 4,000 persons in the Police Department but there are certain officials, certain subordinates who are not living upto the standards. Iti s very well that they have been able to curb the dacoit menace, but this is not our major problem. The major problem is to safeguard the liberties of the people and the freedom that is guaranteed under the Constitution. I am afraid

(श्री श्रीमानसिंह)

I will not be much wrong if I say that this very Police has turned into fiends. In the Police custody people are killed and beaten and thrown into wells. A case recently happend in Bayana where with the connivance of a lawyer and a Head Constable or Constable a man was killed in the Police custody and thrown in the well and then a report of suicide was given out. So these doings of the Police have taken away the confidence of the people. The Government is criticised and the Hon'ble Minister has to bear the brunt of such criticism because of such people of the Police. The whole Bayana town knows that the man has been killed in Police custody but there is just one man who does not know, and that is the Police Department. The murderer does not know that he has murdered that man. If I go and say that the people must have confidence in the Police in Bayana, then the people will not believe me. They will probably tear me to pieces.

If we want to improve this situation, if we want that people should have confidence in the Police, then such personnel of the Police should be tackled with a strong hand. So these are the things that are taking place though you may not admit them in your replies given here.

In a democracy, the Police must be democratised. Their attitude must be reorientated for service to the people and not to curb the liberties of the people. It is their duty to protect the people, and from tackling the dacoit problem, they must now come down to safeguard the freedom of the People and not themselves violate freedom and liberties.

४.०५ म. प.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में एप्रोप्रियेशन बिल के सिलसिले में जो बहस माननीय सदस्यों ने की उसके बारे में कुछ थोड़े से जो मुद्दे उठाये गये उनके विषय में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सदस्य जो कि श्रीमाधोपुर से आने वाले हैं उन्होंने खास तौर से नेशनलाइज्ड ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में जो बसेज़ सरकार ने खरीदीं और जो उनके ऊपर बोडीज़ बनवाई गई उनके बारे में कुछ जिक्र किया। उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि इन बसेज़ की जो ऑल स्टील बॉडी बनाई गई है वह राजस्थान के उपयुक्त नहीं है और मिक्स्ड बॉडी जिनके बारे में वह कह रहे थे कि उसके कोटेशन भी लॉ थे करीब १०।। हज़ार के और ऑल स्टील बॉडी जिसके कोटेशन करीब १३ हज़ार के थे उनको क्यों मंजूर किया गया और वह राजस्थान के लिए उपयुक्त भी नहीं पड़ती हैं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि बसेज़ के परचजेज़ के सिलसिले में और इनकी बॉडी बनाने के सिलसिले में सरकार ने एक टैक्निकल कमेटी का निर्माण किया था जिसके कि मेम्बर हमारे चीफ इन्जीनियर थे, गैरेज के चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट थे और भी दो-एक इन्जीनियर्स उसमें थे और उन्होंने टैक्निकली इन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सारी बातों पर विचार करके जो हाई पॉवर कमेटी बनी हुई है, जो कि टैक्निकल कमेटी ने सिफारिशें की थीं उनको हाई पॉवर कमेटी ने देखा और उनकी टैक्निकल राय से सहमत होते हुए राजस्थान के लिए ऑल स्टील बॉडी देश के बहुत बड़े कारखाने में जिसका कि स्पेसिफिकेशन इतना अच्छा है कि वह कई दिनों तक चलने वाला है और उनकी लाइफ बहुत लास्टिंग है; उसके द्वारा यह बॉडी का काम करवाया गया है। उन्होंने इनकी उपयोगिता इसलिए नहीं बताई कि राजस्थान की सड़कों के दोनों तरफ पेड़ होते हुए भी बॉडी उनकी गर्म रहेगी और लोगों को गर्मी के दिनों में कठिनाई होगी। सभापति महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि उस बॉडी में इस तरह की व्यवस्था है और रूफ में और दूसरी जगह ऐसी चीजें लगी हुई हैं कि जो बाहर की गर्मी का असर है वह अन्दर नहीं होगा और वह मिक्स्ड बॉडी जिसका कि वह जिक्र कर रहे थे और उन्होंने फोटो का जिक्र किया, कई गाड़ियां कई दफा अच्छी बना कर लाते हैं तो उसको देखने से ही यह कह देना कि यही सबसे अच्छी है, यह सारांश नहीं निकलता। मैं आपको बताऊं कि जो बैस्ट टाइप की गाड़ियां हैं वे खरीदी गईं, लाइफ ऑफ ड्युरेशन, युटीलिटी, कम्पेरेटिव कॉस्ट, राजस्थान के लिए उपयोगिता इन सारी बातों को देखते हुए ही वह निर्णय लिया गया था कि राजस्थान के लिए ऐसी गाड़ियां हों। वे मज़बूत हैं, खूबसूरत हैं और सारे सीज़न को देखते हुए टीक हैं और जो सबसे लॉएस्ट कोटेशन ऐसी बॉडी का था ऐसे कोटेशन को एक्सैप्ट किया गया था। इसलिए वे एक्सपर्ट बॉडी के बाद वह स्वयं अपना विचार रखें कि इस तरह की बॉडी ठीक थीं, और वह ठीक नहीं थीं तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह कहना माकूल नहीं है।

कुछ चर्चायें जो मेरे विभाग से संबंधित हैं उनके बारे में—एनिमल हस्बेन्डरी, एग्रीकल्चर और सहकारी समितियों के बारे में कही गईं और खास तौर से सिरोही से आने वाले और माउन्ट आबू से आने वाले माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट में कुछ कमियां हैं और डिज़ीज़ कन्ट्रोल नहीं है, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पालू के अन्दर कुछ कॉप्स में बीमारी हो गई और उनका कन्ट्रोल नहीं हो पाया। जानवरों के बारे में कहा कि वे मर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कुछ कमियों की ओर जिक्र किया कि हमें प्रोपर टाइम पर सीड देने की व्यवस्था करनी चाहिये, फर्टीलाइज़र देने की व्यवस्था करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह नहीं कहता कि कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं रही। कहीं पर डिज़ीज़ हो गई है उसका कन्ट्रोल भी जैसा होना चाहिए था, वैसा शायद नहीं हुआ है। इन सारी बातों में और भी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है और उसके बारे में विभाग से सूचना मिलती है तो उसके लिए बराबर कदम उठाये जाते हैं और अगर कहीं पर नहीं उठाये गये हैं तो विशेष कोई बात आप बतायें तो आगे से उसके ऊपर हिदायत की जा सकती है कि ज्यादा सतर्कता उसके लिए बरती जाये और उस काम-काज को ठीक तरह से चलाया जाये।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

खास तौर से बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में कुछ जिक्र छेड़ा ! मैंने पहले इस बजट की बहस का उत्तर देते हुए काफी डिटेल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के किस तरह से हमारे राजस्थान के सेकिन्ड फाइव इअर प्लान के टार्गेट थे और किस तरह से वह टार्गेट हम सेकिन्ड फाइव इअर प्लान के एण्ड तक कितने एचीव कर पायेंगे, इसके विस्तृत आंकड़े, मैंने सदन के समक्ष रखे थे । १२ लाख टन एडीशनल फूड प्रोडक्शन के करीब करीब हम कर पायेंगे जब कि हमको ८.१२ लाख टन प्रोडक्शन एचीव करना था । हमारे टार्गेट निश्चित तौर से बनेंगे । कुछ सेक्टर में किसी तरह की कमी रहेगी उसके डिटेल का जिक्र किया था । उसके बाद में एडीशनल ज्यादा बढ़ाने का क्या फेक्टर है ? खास तौर से लैण्ड ज्यादा कल्टीवेशन में आई है । ५१ लाख एकड़ में एडीशनल लैण्ड कल्टीवेशन में आई है । उसका पहले कन्सीडरेशन नहीं रखा था और जिसको कि हमने पिछले साल से सोचना शुरू किया है और उसी वजह से प्रोडक्शन बढ़ गया । ५१ लाख में सब का नहीं कहा था कि सारी लैण्ड रहेगी । मार्जिनल टाइप की जो लैण्ड है वह शायद कल्टीवेशन में नहीं रहे अगर प्राइसेज़ में फाल आ जाता है । मैंने यह नहीं कहा था कि ५१ लाख को ही पोटेन्शियल मान सकते हैं । ५१ लाख में से ४१ लाख एकड़ ज्यादा जमीन तो बराबर कल्टीवेशन में रहेगी । इसलिए जो फीगर्स सदन के सामने प्रस्तुत किये थे १२ लाख एडीशनल फूड ग्रेन्स के बारे में, वे आज भी बराबर स्टेण्ड करते हैं । इस बारे में राजस्थान का एचीवमेंट जो सेकिण्ड फाइव इअर प्लान का था उससे ज्यादा एचीव किया है ।

उसके बाद में उन्होंने यह जिक्र किया था, शुगर केन, ऑइल सीड और दूसरे प्रोडक्शन के जो फिगर्स रखे हैं उस बुकलेट में जो कि बजट के साथ में सक्युलेट की गई है उसके आफ पेज ३५ में दिये हुए आंकड़ों का जिक्र किया । उन आंकड़ों को अगर हम देखें तो निश्चित तौर से किस इअर में ५८-५९ के साल का कुछ मिलता है कि शुगर केन्स का ७,२५,००० टन था ५७-५८ में और ५८-५९ में ४३४ हुआ शूगर केन का प्रोटक्शन । इसकी एक वजह है । इसका मतलब यह है कि पोटेन्शियल शुगर केन का फॉल नहीं हुआ है । पोटेन्शियल शुगर केन का वही रहता है । शुगर केन कम हो गया उसका कारण यह था कि उस समय अच्छा सीड जो उस एरिया में मिलना चाहिए था वह समय पर नहीं पहुँचा और शूगर केन में कुछ बीमारी भी हो गई थी । उसके साथ साथ शूगर केन के लिए कम एरिया में कल्टीवेशन था । इसलिए प्रोडक्शन उस साल में कम हुआ । इसी तरह से शूगर केन ऑइल सीड और कॉटन इनके प्रोडक्शन का एरिया साल-टू-साल वेरी करता रहता है । किसी साल में एरिया कपास के अन्दर कम आता है उस साल प्रोडक्शन कम रहता है दूसरे साल से जो कि पहले साल में पहुँच चुका है । प्रोडक्शन पोटेन्शियल जो है वह कम हो जाता है, और किसी साल में थोड़े से एरिये में कल्टीवेशन बढ़ जाता है तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है । किसी साल में अलग अलग वजूहात से, रेनफॉल टाइम पर नहीं होने की वजह से कल्टीवेशन के एरिया के अन्दर दिक्कत आती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है। परन्तु मेग्ज़िमम प्रोडक्शन, किसी भी एरिया के अन्दर उठा कर देखेंगे तो इतना पोटेन्शल हमारे राजस्थान में इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में है। ये प्रोडक्शन के फीगर्स उन प्रोडक्शन के फीगर्स से जो कि टार्गेट में लिये हुए हैं ज्यादा हैं। इसलिए मैं यह कहता हूं इन चीजों पर हमारा प्रोडक्शन टार्गेट पोटेन्शियल है, ज्यादा एकड़ में हो रहा है और वह प्रोडक्शन हो रहा है।

जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, फार्मिंग सोसाइटी के बारे में जिक्र किया है। यह ठीक बात है कि फार्मिंग सोसाइटी बनी और उनमें ज्यादा-तर फार्मिंग सोसाइटीज़ को लैण्ड भी एलॉट हो गया है बहुत सों को और उन्होंने इस लैण्ड पर इस क्रॉप की काश्त भी कर ली है। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लैण्ड एलॉट करने में दिक्कत है। उनमें कुछ झगड़े पड़ गये हैं गांव वालों के बीच में और सहकारी समितियों के बीच में। उन चीजों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट देख रहा है। जहां पर एलॉटमेंट नहीं हुआ है वहां पर किसी झगड़े की वजह से है। उनके बारे में जितनी सतर्कता और प्रयत्न की आवश्यकता हैं उसके बारे में राजस्व विभाग और सहकारी विभाग दोनों मिल कर देख रहे हैं कि उन लोगों को एलॉट हो लैण्ड और इनका काम-काज चले। दोनों विभाग काफी प्रयत्नशील रहे हैं इन मामलों को ठीक तरह से देखने के लिए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए और जो सुझाव के रूप में बातें आई कि कुछ चीजों में कमियां हैं उनको किसी तरह से पूरा किया जाना चाहिए; इसका बराबर ध्यान दिया जायेगा और पूरा किया जायेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय चेअरमैन महोदय, मुझे अधिक समय, इनमें जो आज चर्चा हुई, कुछ नहीं कहना है और जो मुझसे जानना चाहते थे वह भी सदन में उपस्थित नहीं है; इसलिए क्या कहा जाय और क्या नहीं कहा जाय, यह एक प्रश्न है। लेकिन फिर भी कुछ बातें जो यहां उठाई गई हैं उनके संबंध में सदन की जानकारी के लिए बता दूं तो उचित होगा।

सबसे पहले तो मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि टैक्सटाइल इन्डस्ट्री के लिए यह कहा गया कि सरकार की तरफ से जिन दो टैक्सटाइल मिल्स को लिया जा रहा है उनके संबंध में सरकार लेकर जो कुछ खर्च करेगी उसके मुकाबले में उन्हें उद्योगपतियों को वह सहायता दी जाती तो आगे भी सदन को पता है बन्द नहीं होते और मिल चलते रहते। मैं समझता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों की जानकारी में यह होगा कि यह मिल बन्द हुए हैं उसके कई कारण हैं और सरकार जो कुछ भी कदम उठा रही है उसको उठाने के लिए एक प्रकार से उसे विवश होना पड़ा है।

सबसे पहले किसी भी कार्यवाही को अन्तिम रूप से तय करने के लिए हमने एक सोमाणी कमेटी नाम की कमेटी बैठाई थी। उसमें कुछ टैक्निकल एक्सपर्ट्स भी थे। उन लोगों ने राजस्थान में अलग अलग मिलों की जांच की और जांच करने के बाद में एक रिपोर्ट दी। उसके साथ साथ इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से टैक्स्टाइल कमिश्नर ने कुछ मिलों के बारे में राजस्थान की जानकारी की थी कि वहां पर अलग अलग क्या स्थिति है। उन सारी जानकारियों के एकत्रित होने के बाद में दिल्ली में एक मीटिंग रखी गई कि जिसमें जितने भी टैक्स्टाइल मिल्स के एक तरह से प्रोप्राइटर्स या मेनेजिंग डाइरेक्टर्स हैं उन सब को बुलाया गया और बुलाने के बाद इस बात के लिए उनसे स्पष्ट रूप से कहा गया कि राजस्थान के अधिकांश मिलों के अन्दर जो स्थिति अब तक पहुंच चुकी है उसको देखते हुए जो पुरानी मशीनें हैं उनको बदल कर. इन्नोवेट करके नई मशीनें लगाना बहुत जरूरी है और वह नहीं किया जाता है तो इस बात की संभावना है कि ये कारखाने बिल्कुल बन्द हो जायेंगे।

अब इस काम के लिए एन. आई. डी सी. की तरफ से जो लोन मिल सकता है उसके लिए पहले आवश्यकता है कि जो भी ब्लॉक एसेट्स कंपनी के हैं उन ब्लॉक एसेट्स कन्सर्न्स के ऊपर और दूसरों के एनकम्ब्रेन्सेज़ नहीं हों और कुछ उसके पास में अलावा उस ब्लॉक के कीमत के एसेट्स हों जिससे कि एन. आई. डी. सी. लोन दे सके। ऐसी स्थिति जिन मिलों की थी उनके बारे में यह निर्णय लिया गया कि वे एन. आई. डी. सी. को एप्लाई करें और एप्लाई करने पर एन. आई. डी. सी. लोन देंगे। उसके अनुसार मैं समझता हूं कि ब्यावर की कृष्णा मिल्स ने एप्लाई किया है और उसको शायद जल्दी ही लोन मिल जायेगा। दूसरों ने भी इसके अनुसार इस संबंध में कार्यवाही की है लेकिन जहां तक एडवर्ड मिल, ब्यावर और मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा का सवाल था, उनके ब्लॉक्स जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए उन ब्लॉक्स को एसेट्स की तरह नहीं कह सकते बल्कि उनके ऊपर कर्जा इतना अधिक है कि सारे ब्लॉक्स की कीमत दी जाये तब भी कर्जा बाकी निकलेगा और उन पर एन.आई. डी. सी. लोन नहीं दे सकता। यहां तक बात है कि वह इम्प्रुवमेन्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने उनको इसलिये लेने का निर्णय किया कि यदि गवर्नमेंट उनको न लेकर रुपया देती या लोन देती तो उन पर जो प्राइवेट कर्जा है वे लोग इन पर दावा करके लिक्विडेशन में ले जाते और काफी उलझन पैदा हो सकती थी। इसलिये इस पर काफी सोच विचार किया गया और आखिर में यही उपयुक्त मालूम हुआ कि इन्डस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक इन मिल्स को लेने के बारे में भारत सरकार को कहा गया जिससे कि इस मिल को लेने के बाद रिन्नोवेट करने के लिये भी एन. आई. डी. सी. से लोन मिल सके और जो पोटेन्शियेलिटी प्रोडेक्शन की है वह सफर नहीं करे। इस दृष्टि से ब्यावर की एडवर्ड मिल को और भीलवाड़े की मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के बारे में इस निर्णय पर पहुँचना हुआ।

दूसरी, जो तीन मिल्स हैं : महादेव कॉटन मिल, विजयनगर मिल और किशनगढ़ मिल, इनके बारे में जो एक्सपर्ट्स कमेटी थी उनकी राय थी कि करीब करीब इनकी मशीनरी जंग खा चुकी है। किशनगढ़ मिल ऑलरेडी कोर्ट में अंडर प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन है और कई उलझनें सारे के सारे कारखानों के बारे में पेश थीं। जो चर्चा हुई

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

उसमें राजस्थान के हित में भी और हर दृष्टि से यही उचित मालूम हुआ और मैं समझता हूं उद्योग मंत्रालय का यह अच्छा निर्णय था जो उन्होंने कहा कि जो स्पिन्डल्स और लूम्स अवेलेबल हैं वे राजस्थान को नये दे दिये जायेंगे। ये स्क्रेप्ड डिक्लेअर होते हैं तो राजस्थान की प्रोडक्शन केपेसिटी खराब होती। वह खराब न हो, बल्कि नया प्रोडेक्शन शुरू हो, इसलिये मैं समझता हूं आप सब इसका स्वागत करेंगे कि जो इन्डस्ट्री खत्म हो जाती इसके फलस्वरूप तीन उद्योग और पनपेंगे। पहले राजस्थान को १० हजार स्पिन्डल्स का लाइसेन्स मिला था; शायद रानीवाला नाम था; वह लैप्स हो चुका। काफी अर्सा हो जाने के बाद भी हमने यह भी प्रयत्न किया कि यह जो लैप्स हो चुका है उसको भी वापिस लें। इस तरह से ४७,४८ हजार स्पिन्डल्स नये तौर से मशीनरी ठीक करने को मिल सकते हैं और इन्डस्ट्री को वापिस स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो वे खत्म हो गये थे और उनकी पूर्ति नहीं हो सकती थी।

यह कहा जा सकता है कि भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड मिल, ब्यावर की तरह इनको भी क्यों नहीं टेक ओवर कर लिया जाय? लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इनको टेक ओवर किया जाय, ऐसी स्थिति नहीं थी। नया मिल बनाने के बारे में इकोनोमिक आउट-स्टेडिंग के हिसाब से और दूसरे हिसाब से देखना होगा। इस तरह से अण्डर-स्टेडिंग किया गया। जो नोटिफिकेशन निकाला है वह भी इसी तरह से निकाला है। तीनों स्थानों की जो इकोनोमी है वह एक सी नहीं है और लग सकती हैं तो गवर्नमेंट आर्थिक स्थिति में सहायता देने के बारे में सोच सकती है, जैसे आम लोगों को रोजगार मिल सकता है। नोटिफिकेशन के बाद लोगों को पता लग जायेगा और जो लोग आगे आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। यह स्पष्ट हो जायेगा।

भीलवाड़ा टैक्सटाइल मिल और एडवर्ड मिल, ब्यावर को लेकर चलाना चाहते हैं तो इसमें पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट के टेक ओवर करने से एन. आई. डी. सी. से लोन मिल सकता है और नये रूप में बदल सकते हैं। साल, डेढ़ साल बाद इनको पर्मनिन्टली ठीक किया जा सकता है। हम टेक ओवर न करके उनको लोन देते तो हमारा लोन देना सेफ नहीं कहा जाता और आप ही लोग कहते कि लोन देने का खतरा कैसे लिया? इसलिये हमने यह स्टेप उठाया है। जहां तक कंट्रोल का सवाल है, दोनों स्थानों पर अलग अलग ऑफिसर्स लगाये जा रहे हैं जो उनके कंट्रोलर होंगे और उनको एडवाइस करने के लिये एडवाइज़री कमेटीज़ अलग अलग होंगी और उसके बाद जोइन्ट स्टेट लेवल की कमेटी और होगी जो टाइम-टाइम से देखती रहेगी कि किस तरह से काम चल रहा है।

इसी दोहरान में सभापति महोदय; मैं जानकारी के लिये यह भी निवेदन करूंगा कि टेक्सटाइल इन्डस्ट्री, राजस्थान में जो इन्डस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा अदा करती है और जब वार टाइम में प्रोफिट्स काफी थे तब और जगह लोगों ने अपने प्रोफिट का काफी हिस्सा इन्डस्ट्री को इम्प्रूव करने में लगाया जब कि राजस्थान में सेट बैक यह हुआ कि प्रोफिट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

का हिस्सा इन्डस्ट्री को इम्प्रूव करने में नहीं लगाया गया। इसी वजह से ये इन्डस्ट्रीज़ यहां पर क्राइसिस में से गुजर रही थीं। इसको रोकने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है जिससे वापिस री-हेबिलिटेट हो सके। इनके बन्द रहने की वजह से प्रोडक्शन पर खराब असर पड़ा है। अब मैं आशा करता हूँ कि १०,१५ रोज में वापिस चालू होंगी और प्रोडक्शन नहीं रुकेगा।

दूसरी बात, भवानी मंडी के बारे में कही गई कि वहां के लिये लाइसेन्स कैसे दिया गया ? जैसा कि मैंने निवेदन किया, कुल ४८,००० स्पिन्डल्स और लूम्स होंगे, उनको नये तौर से एलॉट करना है। उनके अगेन्स्ट में शायद १४,००० स्पिन्डल्स के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की टेक्सटाइल कमेटी को रिकमन्डेशन की गई है। हम आशा करते हैं कि जल्दी ही भवानी मंडी के लिये मिल की स्वीकृति हो जायेगी। इसी तरह से और जगह की एप्लीकेशन्स भी आई हैं। हमने जो नोटिस दिया है उसके अनुसार और जगहों से एप्लीकेशन्स आती हैं या नहीं, इनको देखते हुए मैं समझता हूं जल्दी ही निर्णय होगा। इस तरह से हम प्रयत्न कर रहे हैं और जहां पर इन्डस्ट्री को पनपाया जा सकता है वहां इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं। कोई प्रयत्न न करके वैसे ही वेस्ट होने देते उसके बजाय राजस्थान में कहां कहां पर लोगों को एम्पलॉयमेंट मिल सकता है और काम चल सकता है, यह देखना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : गजाधरजी सोमानी को और स्पिन्डल्स के लिये इजाजत दी गई है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले उनका इकोनोमिक युनिट नहीं था। उनके पास पहले ७,००० स्पिन्डल्स थे, अब १२ हजार की टोटल स्ट्रेन्थ पर लाये हैं। बात यह है कि जिसके पास पहले से ही ७-८ हजार स्पिन्डल्स का लाइसेन्स हो और वह इकोनोमिक युनिट पर न हो तो उसको इकोनोमिक युनिट पर लाते हैं और इकोनोमिक युनिट पर लाने के लिये उनका कोटा भी एक्सटेन्ड करेंगे। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, कोटा में जल्दी ही शुरू होगा यह आशा करनी चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): जिनको इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से लोन दिया जाता है उनके लिये यह कंडीशन क्यों नहीं रखी जाय कि they have to rationalise their industry and they should switch on to automatic looms? इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन से लोन देने से पहले यह कंडीशन क्यों नहीं रखी जाय कि रिनोवेशन के साथ रेशनलाइजेशन भी हो जावे ! Wherever possible, I would prefer that some 'automatic loom' clause should also be incorporated.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, इसके खुद के कई इम्पलीकेशन्स हैं। आटोमेटिक लूम्स के बिना, मशीनरी के के बिना दिक्कत है उसके साथ साथ फोरिन एक्सचेन्ज वगैरह so many question are involved इस क्वेश्चन में जाने से इतना लाभ नहीं होगा।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दूसरी बात, चेयरमैन महोदय, इस सदन में यह भी कही गई कि जो वहां पर अन-एम्पलायड हैं भीलवाड़ा में, उनसे कहा जाता है कि सड़क कूटो और निर्वाह करो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कि कानूनी तौर से वह मिल नहीं ली जा सकती है, एक आदमी कोई न कोई काम करे; उस काम को करने के लिए अगर कोई आदमी तैयार है तो बेकार बैठने के बजाय कुछ काम करने में कोई बुराई की बात नहीं है। आज मिल चालू नहीं की जाती है, उसके लिए प्रयत्न नहीं किये जाते हैं, तब कह सकते हैं कि मिल चालू करने के लिए कोई प्रयत्न न करके हम कहते हैं तुम चले जाओ, तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन मैं निवेदन करूं कि हमें कानूनी पूर्तियां करनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के जरिये नोटीफिकेशन होता है, नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद नेसेसरी इन्क्वायरी करनी पड़ती है एक्ट के अन्डर में, उसमें नेसेसरिली कुछ टाइम लगता है। वह टाइम लगता है उसके बीच में कहा जा सकता है कि कुछ काम मत करो, जब मिल चालू होगी तब काम शुरू होगा। यह कहा जाय कि कुछ न कुछ करो। मुझे पता नहीं किस दृष्टि से आपने कहा, लेकिन मैं मानता हूं कि एक आदमी कुछ न कुछ करता है तो वह सराहनीय हो सकता है। हम स्वयं प्रयत्नशील हैं कि वह मिल जल्दी से जल्दी चालू हो। तो रात-दिन माननीय सदस्य चिन्तित हैं उतने ही हमें चिन्तित मान कर चलें कि मिल जल्दी से जल्दी चालू होकर उन्हें काम मिले। हमें भी कम चिन्ता नहीं है और रात-दिन जितना प्रयत्न हो सकता है उतना प्रयत्न करने की कोशिश में लगे हुए हैं।

माइन्स के बारे में कहा गया है कि इसमें आमदनी बढ़ सकती है। यह ठीक बात है कि माइन्स के जरिये आमदनी बढ़नी चाहिए। उसके लिए हर वर्ष हम प्रयत्न में हैं कि आमदनी बढ़ाई जाय, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स का प्रोस्पेक्ट करके साथ साथ ज्यादा प्रोडक्शन करके और जो कुछ इन्कम ऑक्शन से होती है उसमें भी ज्यादा इन्कम हो सके उसके जरिये भी आमदनी बढ़ाई जाय। इस बारे में श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से जो प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स दिये जाते हैं उस पीरियड में उन्होंने जो कुछ वहां पर मिनरल पैदा किया एक सीमा से ज्यादा ले जाकर उसको वे बेच नहीं सकते लेकिन ऐसा हुआ है। मैं निवेदन करूं कि ऐसे रजिस्टर वगैरह रख कर इस बात की कोशिश की जा रही है कि गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो रहा है वह न हो। जो आपने जानकारी दी कि कुछ फाइलें नहीं हैं व दूसरी चीजों के बारे में कहा उसके सम्बन्ध में मैं जल्दी से जल्दी जानकारी करूंगा और आपके पास जो भी डिटेल्स होंगी, निश्चित मान कर चलें कि उनका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश करेंगे।

उसके साथ साथ यह भी है कि बहुत सी जगह जहां प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स दिये गये उसके बाद ट्रोस्पेक्टिवली उनको लीज़ पीरियड मान लिया गया है। एक साल के प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स को एक रेट्रोस्पेक्टिव ढंग से लीज़ पीरियड बना देते हैं तो कुल मिला कर गवर्नमेंट को घाटा नहीं होता, क्यों

Page No.102

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

कि प्रोस्पेक्टिंग पीरियड में लीकेज कम होता है। उसकी वजह यह है कि सेल करने की इजाजत नहीं होती है, माइनिंग लीज़ हो जाती है तो कितना माल निकला, कितना नहीं निकला उसमें जो लीकेज के चान्सेज़ होते हैं वे कम हो जाते हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिंग पीरियड ज्यादा नहीं हो, उसको कम से कम कर दिया जाय और उस बीच में जिन और बातों की ओर ध्यान दिलाया है, मैं निवेदन करूं कि हमें प्रयत्न करना चाहिए कि लीकेज नहीं हो और जितनी इन्कम बढ़ सकती है उसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाय।

एक बात आपने कही कि भीलवाड़ा में राजगढ़िया की, अलग अलग नाम से कई कम्पनियें हैं। मैं समझता हूं, वे अलग अलग हो सकती हैं, भाइयों के नाम से हो सकती हैं, दूसरे नाम से हो सकती हैं और लीगली वे स्टेन्ड हो सकती हैं पर्टीक्युलर एरिया के लिए। एक-आध प्रश्न खड़ा हुआ था तब हमने एग्जामिन किया था और लीगल इन्टरप्रिटेशन के जरिये जिसके लिए हक है उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते अगर उसकी एप्लीकेशन पहले से है। एप्लीकेशन पहले से हो तो उस काम को करने के लिए हक रखता है, उसको रिफ्यूज करना लीगली उचित नहीं होगा। इस दृष्टि से कुछ कम्पनीज़ हैं जो अलग अलग नाम से हैं। जिनके नाम अलग अलग हैं उनको कहें कि सारी कम्पनी को जोड़ कर एक कर देंगे तो मैं निवेदन करूं कि सारी कम्पनी को जोड़ कर एक नहीं किया जा सकता। आपने तो सिर्फ एक के बारे में बताया, मैं निवेदन करूं कि और भी हैं जो अलग अलग नाम से काम करती हैं और वे अलग अलग काम कर सकती हैं और उनको अलग अलग नाम की वजह से नहीं रोक सकते। अगर अलग अलग भाई के नाम से अलग अलग रिश्तेदार के नाम कम्पनियें चलती हैं तो उनको कहें कि उनको एक में होना पड़ेगा, मैं समझता हूं यह जोर हम नहीं डाल सकते।

श्री भैरोंसिंह : बिज़नेस एक जगह से चलता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): आने ए पाइन्ट आफ ऑर्डर, सर, ये फाइलें कुछ एप्रोप्रियेशन बिल्स से कन्सर्निंग हैं या वैसे ही दस्तखत किये जा रहे हैं आपके सहारे?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : सैंक्शन्स से सम्बन्ध रखती हैं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : End of the Financ yearial की हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेअरमैन महोदय, यहां जुडिशियरी के बारे में जोर दिया गया कि जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट रहना चाहिए और यह प्रश्न उठा कि एक्ज़ीक्युटिव और जुडिशियरी के सेपरेसन के लिए गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जो इस सम्बन्ध में नीति है वह इस सदन में मैं पहले भी कह चुका हूं। इसके साथ ही निवेदन कर दूं कि अभी रिपोर्ट आई है उसके बारे में गवर्नमेंट द्वारा विचार किया जा रहा है और मोटे तौर से मैं कह सकता हूं कि

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

ग्रेजुअली धीरे धीरे सेपरेशन हो; इस बात के लिए हमने पहले भी कहा है और अब भी वह नीति है जिसके अनुसार हम धीरे धीरे सेपरेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

एक प्रश्न और उठा कि हाई कोर्ट के जजेज़ के लड़के प्रेक्टिस करें, यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लिए शायद किसी विशेष बात को दृष्टि में रखते हुए आपका विशेष सुझाव प्रतीत होता है। वैसे कहीं भी इसके लिए रोक-टोक नहीं होती है। जो कानूनी परम्पराएं बनी हुई हैं वे हमारे सामने हैं। उन परम्पराओं के अनुसार काम-काज होता है। इसके साथ ही जुडिशियरी के बारे में, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य से जुडिशियरी के इन्डिपेन्डेन्स के बारे में सुन कर और साथ ही साथ उनको जुडिशियरी में ज्यादा से ज्यादा विश्वास है, यह बात उन्होंने कही, उससे मैं समझता हूं कि सबको खुशी हुई होगी, मुझे भी हुई कि वे इस बात में विश्वास रखते हैं....

श्री भैरोंसिंह : In comparision to Executive.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम्पेरिज़न की बात नहीं कहता; आपने जो बात कही थी, अच्छी कही थी, उसे मैं बुरा नहीं कहता हूं, जिसके लिए आपको संकोच की बात हो।

(हंसी)

जो बात आपने कही, मैं उसकी ताईद कर रहा था। जैसा आपने कहा, सेशन जज का, रिप्रेजेन्टेशन की वजह से ट्रान्सफर हो गया और इनमें पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स वर्क करता है, वगैरह वगैरह; मैं नहीं जानता कि पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स वर्क करता है या नहीं, लेकिन यह ट्रान्सफर इस वजह से नहीं किया गया है। मुझे जानकारी मिली है कि जब रिप्रेजेन्टेशन पेश हुआ उसके काफी अर्से के बाद ट्रान्सफर हुआ है। मैं निश्चित तौर से यह मानता हूं कि इन चीजों के अन्दर पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स नहीं होना चाहिए, जुडिशियरी में पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स नहीं होना चाहिए। यह मान कर चलना चाहिए कि हमने पूरी तौर पर सतर्कता से काम किया है और इस तरह की बात नहीं आने दी है जिससे पोलिटिकल रीजन्स, पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स की वजह से जुडिशियल ऑफिसर्स के ट्रान्सफर इत्यादि के प्रश्न खड़े हुए हों। ट्रान्सफर आदि का प्रश्न चीफ जस्टिस के हाथ में है, वे सजेस्ट करते हैं और कहीं की हालत की वजह से उनका विचार होता हो कि फलां का वहां रहना उचित नहीं है तो अलग प्रश्न हो जाता है। इसलिए जो इस तरह की बातें आई हैं, मैं समझता हूं, उनको मानने का कारण नहीं होना चाहिए....

श्री भैरोंसिंह : पोलिटिक्स आप लोग ले आते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेअरमैन महोदय, और जो यहां पर बहुत सी बातें कही गईं, कुछ तो पहले वे कह चुके हैं उनको दोहराया है परचेजेज़ वगैरह के सम्बन्ध में। इसके साथ ही उन्होंने बाद में स्वयं कह दिया कि डिटेल्स वे बाद में बतायेंगे। मैं समझता हूं कि बाद में आप और हम कुछ चर्चा कर सकेंगे....

एक माननीय सदस्य : मिलने का मौका मिलेगा ?

Page No.104

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक बात और कही पुलिस के सम्बन्ध में। मैं समझता हूं कि ऐसी चर्चायें हुई हैं और पुलिस के बारे में ऐसा समझा जाता है कि क्राइम्स और दूसरी चीजें हो रही हैं जो चारों तरफ फैल रही हैं, उनकी रोक-टोक नहीं हो रही हैं और बढ़ रही हैं राजस्थान के अन्दर बहुत ज्यादा, इस तरह की बातें कही जाती हैं। मैं समझता हूं कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो इस सम्बन्ध में बातें कहीं उसके जवाब में माननीय गृह मंत्रीजी ने बताया कि आॅल इंडिया के अन्दर भी इस वक्त में क्राइम्स और दूसरी चीजों का नम्बर बढ़ा है और यह हालत होते हुए भी वर्ड के फिगर्स से इंडिया के फिगर्स की तुलना करते हैं तो इंडिया के फिगर्स वन-सिक्स्थ हैं। आज हम इस चीज को इतना ज्यादा समझते हैं कि बहुत बढ़ गई है, इस तरफ हमारा ध्यान ज्यादा हो गया है। एक तो काॅन्शियसनैस बढ़ती है तो उससे रिपोर्टिंग व दूसरी चीजें बढ़ती जाती हैं। दूसरे, माननीय चेअरमैन, डकैतियों वगैरह के कम हो जाने की वजह से चर्चा ज्यादा करते हैं, इन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान देकर करी जाती हैं। जिन चीजों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हैं उनके सम्बन्ध में मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन यह समझना कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, यह कहना उचित नहीं है। मेरा तात्पर्य यह भी नहीं है कि जिन चीजों की तरफ ध्यान आकर्षित किया उनकी तरफ ध्यान आकर्षित न कराया जाय और सुधार न किया जाय। मैं यह भी नहीं कहता कि इस तरह की बातें न कही जायं। जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जो सुधार कर सकते हैं, वे सुधार हों, यह आवश्यक है। उसकी तरफ हमारा ध्यान रहा है और रहेगा; यह मानकर चलें। इसके स्पष्ट रूप से परिणाम मालूम होते हैं। जहां राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति थी, जहां डकैतियां की वजह से लाॅ एन्ड आॅर्डर खराब था, इतना ज्यादा डिसआॅर्डर था राजस्थान के अन्दर उस सब को पुलिस के जरिये समाप्त किया गया है और पुलिस ने इसमें अपना हिस्सा बड़ी बहादुरी के साथ पूरा किया है। यह कहना जैसे पुलिस डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है; यह हो सकता है कि कुछ केसेज ऐसे हों लेकिन उनकी वजह से सारे डिपार्टमेंट के लिए रिफ्लेक्शन करना उचित नहीं होगा। आज हजारों आदमी पुलिस में हैं। उनमें से अगर कुछ-५,१०, २० आदमी गलती करते हैं तो उनकी वजह से सारे डिपार्टमेंट के सारे पर्सनल इस मामले में इनवाॅल्व्ड हो गये हों और सारा डिपार्टमेंट खराब हो, मैं समझता हूँ कि जो मोरल और दूसरी चीजें हम बढ़ाना चाहते हैं उस दृष्टि से भी यह कहना उचित नहीं कहा सकता। इस सम्बन्ध में श्रीमाधोपुर से आने-वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हम यहां प्रिविलेज्ड सदस्य हैं और जो कुछ हम यहां कहते हैं उसका महत्व है, पर हमारे दिल में यह रहता है कि पता नहीं बाहर उससे कोई क्या राय लें और हमारे खिलाफ क्या कार्यवाही करें। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों का यहां प्रिविलेज्ड स्थान है, पर मैं आशा करता हूँ कि जो प्रिविलेज्ड स्थान डेमोक्रेसी में रखा जाता है इस लिहाज़ से रखा जाता है कि हर मेम्बर को यहां कहने का प्रिविलेज रहना चाहिये, पर जिस व्यक्ति को यहां जवाब देने का मौका

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नहीं, जैसे यहां बहुत से ऑफिसर्स पर अटेक करते हैं तो वे यहां जवाब नहीं दे सकते, माननीय सदस्यों के बारे में कहा जाय तो वे तो जवाब दे सकते हैं; पर वे लोग यहां जवाब नहीं दे सकते तो आखिर उनकी प्रेस्टिज का खयाल नहीं करके कुछ कहें तो वह उचित नहीं होगा। जिनके बारे में सदन में कहना चाहते हैं वे व्यक्ति सदन में नहीं हैं; उनको सदन में जवाब देने का मौका नहीं है इसलिये और कन्सीडरेट होना पड़ेगा कि जिनके बारे में कहना चाहते हैं वे यहां नहीं हैं तो कहें कि नहीं कहें। इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाय तो उचित होगा।

दो–चार सदस्यों ने कहा, पंचों–सरपंचों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से कार्यवाही की गई। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जब विकेन्द्रीकरण की योजना को चालू किया है तो पंच-सरपंच जगह जगह काम करते हैं; उनकी प्रतिष्ठा का खयाल करना है पर कहीं ऐसी बातें होती हैं, जहां कार्यवाही करनी पड़े; जैसे कि उदाहरण हैं, तो उस जगह कार्यवाही करने को यह समझ कर नहीं चलें कि किसी जगह कोई है तो कोई कार्यवाही ही नहीं की जाय। पर उनके काम-काज में जो कार्यवाही वे उचित तरीके से कर रहे हैं उसमें उनकी प्रतिष्ठा पर धक्का नहीं पहुंचे, इसका ख्याल करके सरकार चलेगी, ऐसा मान कर चला जाय।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कहा कि जो हमने कन्सेशन दिया है इन्डस्ट्रीज़ के लिये वहां स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को २ आना और बड़ी इन्डस्ट्रीज़ को ६ पैसे किया है। इसकी वजह यह है कि हमारे राजस्थान में पुराने एंजिन होने से कॉस्ट ऑफ जेनरेशन ज्यादा है, यहां इन्डस्ट्रीज़ को हैल्प मिले और तेजी से उद्योगीकरण हो, इसलिये रखा है। छोटी इन्डस्ट्रीज़ में लोड फैक्टर कम होता है, बीच बीच में ब्रेक्स कम होते हैं, जितनी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज़ हैं उनमें ६५ परसेंन्ट, ६६ परसेंन्ट तक हो जाता है और टोटल इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा हो जाता है और ऐसी दशा में २ आना रखते हुए भी जो रिटर्न होती है वह पावर फैक्टर, लोड फैक्टर स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ में कम होता है; इस चीज़ को देखते हुए बराबर होता है। इसलिये २ आना रखा है। लोड फैक्टर को जोड़ दिया जाय तो बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के मुकाबले में ज्यादा मंहगा नहीं पड़ेगा। जो छोटी इन्डस्ट्रीज़ हैं उनके लिये इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से स्पेशल सब्सिडी दी जाती है। इससे वे इसके करीब आसपास पहुँच जाती हैं; उन पर ज्यादा बोझा नहीं पड़ेगा।

यह भी रखा गया कि ऑक्ट्रॉय के लिये कन्सेशन दिया है, उसके एक्सपेन्ड के लिये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। इसके बारे में मैं यह निवेदन कर दूं कि जो नोटिस दिया है उस पर विचार कर रहे हैं, कोई इन्डस्ट्री एक्सपेन्ड करती है........

श्री पी० के० चौधरी : Expansion and replacement both.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारा, इस पर हम ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा....

Page No.106

श्री पी० के० चौधरी : Future Policy, after Hydel Power is received.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हां, हाइडल पॉवर आने पर क्या चार्ज किया जाय, फाइनल डिसीज़न क्या होगा, यह सब इस समय बताने की स्थिति में मैं नहीं हूं। पर बाद में इसको किस प्रकार एडजस्ट किया जाय, क्या किया जाय, किया जाय या नहीं किया जाय, इस पर विचार किया जा रहा है। माननीय सदस्य और दूसरे सदस्यों द्वारा विचार आ रहे हैं, उन पर विचार किया जायेगा।

बस, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, अभी जो विनियोग विधेयक पर बहस हुई उसके उत्तर में माननीय कृषि मंत्रीजी ने और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत स्पष्टीकरण कर दिया है। उसके बाद, मैं समझता हूँ अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मांगें मंजूर हुई हैं उनको खर्च करने के लिये यह रह जाता है कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिस चीज़ के लिये जो रुपया मंजूर हुआ उसी पर वह रुपया ठीक ढंग से खर्च किया जाय; इसकी ओर ध्यान दिलाया है। मैं आशा दिलाता हूँ कि इसका सदैव ध्यान रखा गया है और रखा जायेगा। करोड़ों रुपया स्वीकार किया जाता है....

(हंसी)

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): 'अरब' कहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने 'करोड़ों' कहा है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : कितने करोड़ हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सौ करोड़ से ऊपर हैं।

श्री भैरोंसिंह : कितना!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक अरब, ४१ करोड़, ४ लाख, ३३ हजार....

श्री भैरोंसिंह : आपका बजट तो कुछ करोड़ का ही था न? इतना बढ़ा कैसे दिया?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने मांगें की हैं न, उनसे बढ़ गया है।

तो अन्त में मैं यही आशा रखता हूँ कि इस बजट के अनुसार भिन्न भिन्न विभागों में खर्चा करने के लिये और विकास की योजना में खर्च करने के लिये इस हाउस में ही नहीं हाउस के बाहर भी सदन के माननीय सदस्यों का सहयोग रहेगा। इसी आशा से मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि यह विधेयक रखा गया है उसे स्वीकार किया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : On a point of clarification, Sir...

श्री सभापति : Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व

(श्री दामोदरलाल व्यास

मंत्री) : There is no clarification after the debate is closed.

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ, मुख्य मंत्रीजी ने पुलिस के जवाब में....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : पुलिस से आपको इतना है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : प्रिविलेज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह था, मैंने कहा था कि यहां पुलिस के खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं तो बाहर भय रहता है कि हमारे खिलाफ यहां पर कुछ कहने के कारण कोई कार्यवाही बाहर की जाय । इसका उत्तर मुख्य मन्त्रीजी ने दिया कि उनके बारे में इल्जाम लगाते समय इस बात का ख्याल रखा जाय कि वे यहां डिफेन्ड नहीं कर सकते । इससे अन्डरस्टेन्डिंग यह रहती है कि यहां ऐसे लोगों पर इल्जाम लगाया जाय तो उसकी वजह से उसका परिणाम बाहर भुगतना पड़ सकता है, इसका माननीय मुख्य मन्त्री जरा खुलासा कर दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी तो यह इच्छा नहीं थी । यह तो माननीय सदस्य के दिमाग की सूझ है। जनरली मैंने कहा है कि जिन लोगों को यहां जवाब देने का मौका नहीं उनके बारे में सोच-समझ कर कहा जाय ।

मैंने कहा कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और जो लोग यहां पर नहीं हैं, बाहर हैं और जो जवाब नहीं दे सकते उनके सम्बन्ध में क्रिटिसिज्म करते समय ध्यान रखेंगे ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६६० को विचारार्थ लिया जाए ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६६० पारित किया जाए ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, विधेयक का पूरा नाम नहीं लिया है, जिस फोर्म में सदन में पेश होना चाहिये ; नहीं हुआ है ।

श्री सभापति : He has already moved it. I will put the question now.

श्री भैरोंसिंह : The Chair cannot move.

श्री सभापति : He has already moved.

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि राजस्थान एप्रोप्रिएशन (संख्या २) बिल, १९६० को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

We now adjourn to meet at 11 A. M. on 30th March.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४.५२ बजे, दिनांक ३० मार्च, १९६० के म. पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, २६ मार्च, १९६०)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
पाली तहसील में गुढ़ाएन्दला नदी पर बांध का निर्माण ।	५१७७	अजमेर में अधिकारियों के बंगलों में लकड़ी की जगह सीमेन्ट की चौखटें ।	
पाली जिले में काश्तकारों को एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के अन्तर्गत नोटिसेज़ ।		प्रान्त के पत्रों को विज्ञापन ।	
जयपुर के एस० पी०, श्री शीशाराम शर्मा की शैक्षणिक योग्यता।		राजस्थान इन्डियन मेडीसिन बोर्ड ।	
चूरू जिले में ठेकेदारों तथा दूकानदारों में बकाया सरकारी रकम की वसूली ।		झुंझुनूं नगर में हुई चोरियां व ठगी ।	
गुप्तचर विभाग का महिला-संगठन ।		हरिजन गन्दी बस्तियों के सुधार हेतु योजना ।	
पेय-जल समस्या सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही ।		कोटा जिले में गांधी सागर बांध से कृषि तथा औद्योगिक कार्य हेतु विद्युत ।	
सवाईमाधोपुर जिले में कैला देवी के मेले में मुअत्तिल पुलिस कर्मचारी ।		गांव पंवालिया (सांगानेर) के श्री भूरा नामक व्यक्ति को मारने की चेष्टा ।	
तहसील अनूपगढ़ के राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमिहीनों को अलॉट हुई भूमि ।		सार्वजनिक निर्माण विभाग के मोअत्तिल ओवरसियर ।	
जोधपुर की आयुर्वेदिक रसायनशाला ।		भरतपुर नगर में कम्पनी बाग से सूरजपोल होती हुई केतन दरवाजे जाने वाली सड़क का निर्माण ।	
		अनुसूचित जाति के घोषित क्षेत्र फलौदी तथा शेरगढ़ में	

स्कम्भ

जन-जातियों की जन संख्या।

जोधपुर नगर में पीने के पानी की व्यवस्था।

रिज़र्व्ड एवं प्रोटेक्टेड फोरेस्ट्स में गायों की चराई दर।

नीम का थाना तहसील में सड़कों का अभाव।

प्रान्त की नगरपालिकाएं।

भाखरा योजना के अन्तर्गत नीम का थाना को बिजली।

उदयपुर जिले के साप्ताहिक समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन।

खेडली (अलवर) में बिजली-घर की योजना।

विधाई कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६० ५२३३

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री के इस प्रस्ताव पर कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६० को विचारार्थ लिया जाय, निम्नांकित सदस्यों ने अपने २ विचार व्यक्त किये :-

(१) श्री भैरोंसिंह (१४)

स्कम्भ

(२) श्री पी. के. चौधरी

(३) श्री रघुवीरसिंह

(४) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(५) श्री आबिदअली

(६) श्री नाथूलाल करोल

(७) राव श्री नारायणसिंह मसूदा

(८) श्री लक्ष्मीचन्द

(९) डॉ० चन्द्रकला

(१०) श्री दलपतसिंह

(११) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(१२) श्री श्रीभानसिंह

सरकार की ओर से श्री नाथूराम मिर्धा कृषि मन्त्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्य मन्त्री एवं श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मन्त्री के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तदुपरान्त विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सदन की बैठक ४ बज कर ५२ मिनट पर बुधवार, दिनांक ३० मार्च, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई गई।

Page No.111

बुधवार, ३० मार्च, १९६० की कार्य-सूची

(१) राज्य कर्मचारियों के वेतन स्तर में असमानता सम्बन्धी श्री जगदीशप्रसाद माथुर का संकल्प।

(२) नगरपालिका क्षेत्र के रिक्शा चालकों सम्बन्धी श्री भोगजी भाई का संकल्प।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ का उत्तर देखिये)

प्रपत्र

क्र. सं.	नाम तहसील	वर्ष १६५८–५६ संख्या नोटिसेज	वर्ष १६५८–५६ संख्या कर–दाता जिनका कर निर्धारण किया गया	वर्ष १६५६–६० संख्या नोटिसेज	वर्ष १६५६–६० संख्या कर–दाता जिनका कर निर्धारण किया गया
१.	२.	३.	४.	५.	६.
१.	पाली	११८	वर्ष १६५८–५६ में कोई कर निर्धारण नहीं किया गया।	२८१	वर्ष १६५६–६० में ५१० केसेज में कर निर्धारित किया गया उनमें से ६६ केसेज
२.	बाली	२०२		२३५	में कर लगाया
३.	देसूरी	१३५		१७०	गया।
४.	सोजत	६२		७४	
५.	खारची	४४		५०	
६.	जेतारण	६२		६७	
७.	रामपुर	४५		६६	
		६६८		९४३	

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६७ का उत्तर देखिये)

	रसायन शाला	प्रभारी	ए० प्रभारी	लेखक	चतुर्थ श्रेणी	स्थायी श्रमिक	अस्थायी श्रमिक
१.	उदयपुर	१	१	३	३	१२	६५
२.	अजमेर	२	२	६	३	६	८१
३.	जोधपुर	०	१	१	३	६	२३
४.	भरतपुर	०	१	०	०	१०	०

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७०० का उत्तर देखिये)

TOTAL AMOUNT FOR THE ADVERTISEMENTS GIVEN TO VARIOUS NEWS PAPERS IN THE YEAR 1956.

(FROM APRIL, 1955 TO MARCH, 1956)

Sl. No.	Name of paper	No. of Advts. issued	No. of bills verified.	Amount of bills verified Rs.	As.
1.	Rashtradoot, Jaipur	59	54	4,276	8
2.	Lokvani, Jaipur	373	361	38,978	12
3.	Navyug, Jaipur	377	362	38,753	2
4.	Amar Jyoti, Jaipur	125	125	15,391	0
5.	Congress Sandesh, Jaipur	74	56	6,678	8
6.	Mashal, Jaipur	11	11	1,167	0
7.	Rajasthan Herald, Jaipur	27	27	1,363	8
8.	Swatantra Bharat, Alwar	46	41	1,876	-
9.	Alwar Patrika, Alwar	27	27	1,577	-
10.	Navyug Sandesh, Bharatpur	69	69	4,092	-
11.	Awaz, „	15	15	818	-
12.	Praja Bandhu, Sikar	6	6	150	-
13.	Nav Jeewan Sandesh, Jaipur	7	2	82	-
14.	Navyug Sandesh, Gangapur	14	12	1,072	-
15.	Jai Bhoomi, Jaipur	1	1	48	-
16.	Praja Sewak, Jodhpur	135	123	11,891	-
17.	Jwala, Jodhpur	115	112	10,233	12
18.	Lokraj, Jodhpur	13	12	738	8
19.	Lok Jeewan, Jodhpur	20	17	594	-
20.	Lalkar, Jodhpur	62	59	4,969	8

1	2	3	4	5	6
21.	Senani, Bikaner	81	81	4,301	14
22.	Gan Rajya, Bikaner	28	19	978	-
23.	Lok Jeewan, Bikaner	64	64	2,416	8
24.	Nav Jeewan, Udaipur	204	193	25,045	4
25.	Arawali, Udaipur	162	154	7,511	-
26.	15th August, Udaipur	86	75	7,737	8
27.	Lok Jeewan, Bhilwara	45	45	3,052	-
28.	Kisan Sandesh, Kota	65	64	3,095	4
29.	Janvani, Kota	51	51	4,378	-
30.	Rajasthan, Bundi	81	80	9,072	8
31.	Dharati-ke-lal, Kota	2	1	11	-
32.	Gramvani, Hindaun	3	3	307	-
33.	Vertaman; Bikaner	9	9	421	-
34.	Lokmat, Bikaner	26	26	1,534	-
35.	Niryam, Ratangarh	3	3	150	-
36.	Seema Sandesh, Ganganagar	5	5	197	8
37.	Nav Jyoti, Ajmer	42	42	3,922	-
38.	Mira, Ajmer	31	31	1,981	10

STATEMENT SHOWING NUMBER OF ADVERTISEMENTS AND BILLS VERIFIED DURING 1956-57

(From April, 1956 to March, 1957)

Sl. No.	Name of Newspaper	No. of Adverti-sements released	Number of bills verified	Amount of bills verified Rs.	
1	2	3	4	5	6
1.	Lokvani, Jaipur	325	311	26,392	-
2.	Navyug, Jaipur	375	341	31,831	4
3,	Rahtradoot, Jaipur	200	189	14,916	4
4.	Rajasthan Patrika, Jaipur	105	88	6,687	8
5.	Navjyoti, Ajmer	77	72	4,561	-
6.	Amar Jyoti, Jaipur	87	87	7,140	-
7.	Congress Sandesh, Jaipur	56	36	2,212	-
8.	Rajasthan Herald, Jaipur	22	17	1,802	-
9.	Mashal, Jaipur	22	21	900	-
10.	Adhikar, Jaipur	28	23	912	8
11.	Alwar Patrika, Alwar	28	27	988	8
12.	Swatantra Bharat, Alwar	29	14	499	8
13.	Navyug Sandesh, Bharatpur	46	35	1,815	4
14.	Awaz, ,,	36	35	982	8
15.	Navyug Sandesh, Gangapur	6	5	243	-
16.	Gram Vani, Hindaun	5	5	204	-
17.	Praja Bandhu, Sikar	11	4	76	8
18.	Ayojan, Jaipur	1	1	200	-
19.	Praja Sewak, Jodhpur	72	64	4,080	-
20.	Jwala, Jodhpur	66	66	4,720	-
21.	Lalkar, Jodhpur	51	43	3,133	-
22.	Lokjeewan, Jodhpur	36	32	1,443	8
23.	Lokraj, Jodhpur	9	4	150	-

Page No.117

1	2	3	4	5	6
24.	Prerana, Jodhpur	2	2	350	-
25.	Senani, Bikaner	50	50	2,138	8
26.	Gan Rajya, Bikaner	18	15	718	12
27.	Lokjeewan "	20	16	636	-
28.	Vertaman "	7	7	176	-
29.	Lokmat "	28	28	1,524	-
30.	Niryam, Ratangarh	2	2	50	-
31.	Seema Sandesh, Ganganagar	14	14	478	8
32.	Navjeewan, Udaipur	173	165	15,622	8
33.	Aravali, Udaipur	115	112	3,604	-
34.	Pandrah August, Udaipur	106	97	6,293	-
35.	Lokjeewan, Bhilwara	51	50	1,949	-
36.	Kolahal, Udaipur	57	52	1,790	-
37.	Lalkar, Chittorgarh	35	33	1,281	8
38.	Kisan Sandesh, Kota	66	66	2,955	-
39.	Janvani, Kota	71	67	4,650	-
40.	Rajasthan, Bundi	64	60	4,916	8
41.	Mira, Ajmer	39	38	1,330	8

——————

LIST SHOWING THE NUMBER OF ADVERTISEMENTS RELEASED TO NEWS PAPERS AND THE AMOUNT OF VERIFIED BILLS DURING 1958-58

(From April, 1957 to March, 1958)

S.N	Name of Newspaper	No. of Adverti-sements released	Bills verified	Amount of verified Bills Rs.	N.P.
1	2	3	4	5	6
1.	Lokvani, Jaipur	263	236	12,893	00
2.	Navyug	368	324	25,055	75
3.	Rashtradoot	269	227	14,089	50
4.	Rajasthan Patrika	224	212	11,333	75
5.	Navjyoti	120	114	5,676	00
6.	Amar Jyoti	76	74	6,857	50
7.	Mashal	20	16	957	00
8.	Adhikar	30	29	875	00
9.	Rajasthan Affairs	3	2	315	00
10.	Nai Shiksha	4	4	452	50
11.	Rajasthan Chamber Patrika	1	1	142	12
12.	Alwar Patrika	26	23	840	00
13.	Rajasthan Times	18	18	514	75
14.	Navyug Sandesh, Bharatpur	42	39	1,627	00
15.	Awaz, Bharatpur	19	18	647	50
16.	Gramvani, Hindaun	6	6	264	00
17.	Ayojan	55	42	7,212	00
18.	Mira, Ajmer	37	35	1,612	50
19.	Jwala, Ajmer	7	5	186	00
20.	Azad, Ajmer	19	18	684	00
21.	Hindwani, Ajmer	5	3	90	50
22.	Hindu, Ajmer	12		82	00
23.	Na-Bharat, Ajmer	1	1		00

1	2	3	4	5	6
24.	Darbar, Ajmer	8	8	177	00
25.	Rashtravani, Ajmer	2	2	159	00
26.	Hindustan, Ajmer	1	-	-	-
17.	Praja Sewak, Jodhpur	5	5	245	00
18.	Jawala	95	91	5,829	00
29.	Lalkar, Jodhpur	74	73	4,083	20
30.	Lokjeewan, Jodhpur	57	54	1,864	00
31.	Prerna	2	1	250	00
32.	Marwar Times, Jodhpur	1	1	960	00
33.	Rajasthan Directory, Jodhpur	8	8	2,200	00
34.	Senani, Bikaner	79	74	3,277	37
35.	Gan Rajya, Bikaner	2[illegible]	13	486	00
36.	Lokmat, Bikaner	42	35	1,444	00
37.	Vartaman, Bikaner	17	15	445	50
38.	Lok Jeewan, Bikaner	6	6	183	00
39.	Seema Sandesh, Sriganganagar	24	19	839	00
40.	Gram Sandesh, ,,	7	6	153	50
41.	Nav Jeewan	137	124	9,578	50
42.	Arawali, Udaipur	100	90	2,820	00
43.	Pandrah August, Udaipur	59	55	1,469	00
44.	Kolahal, Udaipur	71	65	2,055	00
45.	Lok Jeewan, Bhilwara	53	48	2,426	50
46.	Lalkar, Chittor	60	55	2,646	15
47.	Pragati Udaipur	90	80	3,117	00
48.	Pratap ,,	51	46	1,719	00
49.	Rajasthan ,,	11	6	171	68
50.	Kisan Sandesh, Kota	99	93	4,314	50
51.	Janvani, Kota	74	69	5,002	50
52.	Rajasthan, Bundi	68	66	4,725	00
53.	Dharati-ke-lal, Kota	17	14	533	00

1	2	3	4	5	6
54.	Janta ki Awaz, Kota	11	9	395	50
55.	Swadesh, Kota	17	15	431	47
56.	Rajasthan Chronical, Jaipur	3	3	78	75
57.	Marwar Times, Jodhpur	6	6	219	00
58.	Ahuti Shri Ganganagar	9	6	175	74
59.	Karamchari Sandesh, Bikaner.	3	2	74	25

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७०८ का उत्तर देखिये)

LIST OF OVERSEERS UNDER SUSPENSION.

		Date of suspension
1.	Shri Damodar Prasad, Overseer, Bundi Sub-Division.	5.10.1955
2.	Shri K. B. Sinha, Overseer.	10.11.1955
3.	Shri Kharati Lal, Overseer (Retired and Re-employed') City Division, Jaipur.	4.11.1959.
4.	Shri Ram Prasad Manaria, Overseer, National High Ways-Sub-Division, Kherwara.	29.2.1960.
5.	Shri Gyan Swaroop Bhatnagar, Overseer, Panchayat Samiti, Sagwada.	29.2.1960.

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१३ का उत्तर देखिये)

रिज़र्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स में चराने पर गायों की चराई की शरह सूची

नाम युनिटः—	गायों के लिए चराई की शरह :
१–फॉर्मर राजस्थान	फोर्मर राजस्थान की गायों की चराई माफ। किन्तु बीड कमानी में चरने पर चार आना प्रति गाय।
	फॉर्मर राजस्थान में बाहर से आने वाली गायों के लिए ६ आना प्रति गाय।
	उदयपुर डिविज़न की भीम रेंज में ६ पाई प्रति गाय हकदारों से तथा ३ आने प्रति गाय गैर हकदारों से।
२–जोधपुर	**बन ब्लॉक्स में चराने पर :**
	भवाल्ड़ा (सांचोर) तथा कूड़ी (जसवन्तपुरा) ब्लाक्स में १॥) प्रति गाय।
	जू जांगा ब्लॉक में मीणों की गायों से २)रु० प्रति गाय और गांव की दूसरी गायों से २॥) प्रति गाय।
	हातमताई ब्लॉक (जसवन्तपुरा) में १)रु० प्रति गाय।
	देवडूंगरी (सोजत) ब्लॉक में ।॥) व्यास की बावड़ी में ६) जोधपुर रेंज के दूसरे ब्लाक्स में ३) तथा दीगर जंगलों में ।॥) प्रति गाय।
	जोड़ों में चराने पर :
	कालू जोड़ में २॥) नादन भाटन में १।) तीसी मांडपुर पाली सांपा हरियाडा, खारी खुर्द में १) मुरडावा, दूढ़ाड़ जाडन केसूली, बाता में १० आना, बासना व गुडा एंदला में ॥) और मुटेलाव में ६ आना प्रति गाय।
३–सिरोही	राजपुत, मीणा, भील, गरासिया, मुसलमान और ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य जातियों से चार आना प्रतिगाय देज तथा सिरोही में होकर

	निलकने वाली गायों पर १ आना प्रति गाय प्रतिपक्ष (१५ दिन) पान चराई ।
४-भरतपुर	बयाना तहसील के रिज़र्व्ड जंगल में १) और प्रोटेक्टेड में ।।) प्रति गाय बाहर से आने वाली गायों से अन्य बीडों में २) प्रतिगाय ।
५-धौलपुर	बालेटा व सोमनाथ में १) और गदराई काला, गजपुरा, गडाइच, राजीर और रामसागर गैर में २) प्रतिगाय घास कटने के बाद ।।) प्रति गाय ।
६-करौली	मुकुन्दपुरा सालीहार, मैकला बीड़ों में ।।।) दूधवाली ।।) व अन्य बीडों में १) रु० प्रतिगाय ।
	सपोटरा करौली तहसील के रिज़र्व्डेत जंगलों में १) और प्रोटेक्टेड में ।।) प्रतिगाय केवल बाहर से आने वाली गायों से ।

७-अलवर

	साल भर	सब्ज (जुलाई से अक्टूबर)	खुश्क (अक्टूबर से जून)
गुवाडा	१३)	१।।)	२)
नं० १	२।।)	१।)	१।।)
नं० २	३)	१)	१।)
नं० ३	१)	।।)	।।=)

८-अजमेर	अजमेर, ब्यावर और टाडगढ़ रेंज में ७ पैसा प्रतिगाय मासिक काबरिया, बीड में १) और बंवाल में १ रु० २ आना प्रति गाय ।
	बन क्षेत्र में चराने पर ।
९-जयपुर	**बन क्षेत्रमें चराने पर शरह**
सवाई माधोपुर	कुकरा कंवलधार में ।।) चिडीखोह दराफूटाकोट में ६ आना खेडा में ५ आना टटवाडा व बाढ को टेढी में ३ आना २ पैसा फतहपुरा नानणवास।बीड में ३ आना भगवतगढ़ में १ आना तथा अन्य स्थानों पर ४ आना प्रति गाय ।
खंडार	दूध भात बीड में २ आना बगरू बीड में ६ पाई तथा अन्य बीड स्थानों पर ४ आना प्रतिगाय ।

बैराठ	सभी स्थानों पर ८ आना प्रतिगाय।
रामगढ़	४ आना प्रतिगाय।
टोडारायसिंह	चोर बावड़ी में बगडी ३ आना तथा अन्य स्थानों पर ४ आना प्रतिगाय।
लालसोट	बनी योरा में ५ आना तथा अन्य स्थानों पर ४ आना प्रतिगाय।
टोडाभीम	जगरामपुरा बंध में १) तथा अन्य स्थानों पर ४ आना
जयपुर	मोतीडूंगरी ४॥) लालडूंगरी ३॥) रु०; घाट, नाहरगढ़, परसरामद्वारा, घाटीगोविन्दजी, घाटीगुजरान कर्माजवाड़ा देवीखोल खेडीदरवाजा, सागर बीड़ा भायलां बागवेरिया आमेर व पाहक में २॥) राजराजेश्वरी व मूंगाणा में २) जठवाडा में १) रित्यासित्या तथा में १० आना तथा अन्य स्थानों पर॥) प्रतिगाय।
आसफार्म व शिकारखाना:	मोतीडूंगरी में ४) जामडोली में ३ बनीपार्क, झोठवाडा, पाटी, पालाखाना, लालवास में व झराणा, बासडा, गोकुलपुरा व गोविन्दपुरा, में १॥) आमेर १।) खातीपुरा पार्क में २॥) बगराना में २।) रानीका बाड, पडवासोलीपडवा, पाटन, मोरडा रोटोलाव, मंडाना, लूनेरा, खिजूरिया, विजेसागर, रामचन्द्रपुरा, व गटवाडा सराय में १) बदनपुरा, गोनेर चंदलाई, श्योडूंगरी, बदनी मुहाना में ।॥) तथा ओदी खेडा में ॥) प्रतिगाय।

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७१७ का उत्तर देखिये)

	Name of the Periodicals		Date of 1st Publication.	Date of taking on approved list.
1.	Navjeewan	Weekly	August, 1944	Since formation of the 'Rajasthan'.
2.	Aravali	,,	2.8.51	15.6.53
3.	Pandrah August	,,	26.1.49 & 15.8.54	26.11.55
4.	Kolahal	,,	1954	26.11.55
5.	Pragati	,,	1956	10.4.57
6.	Pratap	,,	15.8.56	22.5.57
7.	Rajasthan	,,	811.55	2.12.57
8.	Jan Shakti	,,	14.10.56	24.9.59
9.	Pukar	,,	25.12.56	19.11.59
10.	Hamara Hindustan	,,	26.1.57	9.2.60

Name of the periodicals			Rates	Circulation
1.	Navjeewan	Weekly	5.00 7.00	4,000
2.	Aravali	,,	2-8-0	1,500
3.	Pandrah August	,,	5-0-0	Not available
4.	Kolahal	,,	3-0-0	3,000
5.	Pragati	,,	3-0-0	1,500
6.	Pratap	,,	3-0-0	1,500
7.	Rajasthan	,,	2-5-0	1,000
8.	Jan Shakti	,,	2-12-0	2,000
9.	Pukar	,,	Not yet decided	3,600
10.	Hamara Hindustan.	,,	,,	9,584

परिशिष्ट

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF VERIFIED BILLS DURING THE YEARS IN QUESTION

Name of the periodicals		55-56	56-57	57-58	58-59
1.	Navjeewan Weekly	25,045-4-	15,622-8-0	9,578-8-0	7,352-0-0
2.	Aravali ,,	7,511-00	3,504-0-0	2,890-0-0	2,480-50
3.	Pandrah August ,,	7,737-8-0	6,293-0-0	1,469-0-0	1,775-00
4.	Kolahal ,,	—	1,790-0-0	2,055-0-0	2,983-25
5.	Pragati ,,	—	—	3,117-0-0	2,696-52
6.	Pratap ,,	—	—	1,719-0-0	2,107-00
7.	Rajasthan ,,	—	—	277-72	1,571-51

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ का उत्तर देखिए)

STATEMENT SHOWING OUTSTANDING OF SALES TAX IN CHURU DISTRICT

Sl. No.	Name of the Firm	Outstand for the year 56-57	57-58	58-59	Actien taken by the office
1.	M/S Loon Karan Nath Mal of Ratangarh.	200.70	—	—	P. D. R.
2.	M/S Jetha Mal Lallshand of Ratangarh	601.02	—	—	P. D. R.
3.	M/S Moharnia Trading Co. Ratangarh.	203.34	—	—	P. D. R.
4.	M/S Bilasrai Rajjankumar Rajgarh.	56.65	—	—	P. D. R.
5.	M/S Dedraj Duli Chand. Rajgarh.	56.94	—	—	P. D. R.
6.	M/S Sukhadeo Magilal, Sujangarh.	131.13	316.60	—	P. D. R.
7.	M/S Maliram Ghanshyamdass Sujangarh.	200.88	—	—	P. D. R.
8.	M/S Abdullah Culam Ratangarh.	—	843.35	—	P. D. R.
9.	M/S Akbar Abdullah Ratangarh.	—	504.20	—	P. D. R.
10.	M/S Chandu Fatu Chiapa, Ratangarh.	—	28.00	—	P. D. R.
11.	M/S Peru Ismail, Ratangarh	—	272.44	—	P. D. R.
12.	M/S Caneshram Ghanshyam-dass, Sujangarh	36.00	—	—	P. D. R.

1	2	3	4	5	6
13.	M/S Laxminarain Budhmal. Sujangarh	65.75	—	—	P. D. R.
14.	M/S Kalashmal Bhanuli, Sujangarh	40.25	—	—	P. D. R.
15.	M/S Shiva Kumar Sarda Sujangarh.	37.56	—	—	P. D. R.

परिशिष्ट ८

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ का उत्तर देखिये)

CHAPTER IV.

SUMMARY OF RECOMMENDATIONS.

A. Chapter II Urban Areas.

Para 12 to 15:-Total requirements of Urban Area:-

The total funds required to meet the demands for water supply in Urban Areas as recommended come to be Rs. 450 Lacs. A sum of Rs. 298. 52 lacs, say Rs. 300 Lacs, is required for taking up new schemes to cover all towns with a population of 8,000 and above and another sum of Rs. 150 Lacs for completing the schemes already in hand.

In the Third Plan towns having a population of 10,000 and above should be covered under Urban Water Supply Schemes. It will entail an expenditure of Rs. 260 Lacs. A balance of Rs. 40 Lacs may the provided in the 4th Plan.

16. GENERAL RECOMMENDATIONS.

Strict adherence to 10,000 population criterian should not be resorted to. But priority should be given for schemes for towns with Sub-Divisional and Block Head-Quarters, places of pilgrimage and fairs of all India or all Rajasthan importance Municipal Towns which are prepared to spend a part of the estimated cost out of their own funds, and other towns having development potentialities.

17. PATTERN OF THE PLAN.

No change in the present pattern of the plan, as envisaged by the Government of India, is necessary. Water Works should be run on Commercial lines and water rates should be fixed so as to enable the ratio of the capital and interest in 30 years.

18. STANDARDS TO BE ADOPTED.

As regards the standards to be adopted for schemes, the recommendations made by the Engironmental Hygienie Committee, 1949, Government of India, should be adopted till now standards are finalised by the Ministry of Health, Government of India.

21-22 MANAGEMENT OF WATER WORKS.

21. The management of the Head Works i. e., the production of water should be retained with the department for three years and the distribution of water for two years. The management of distribution should be handed over to the Municipal Boards after two years and the question of transfer of Head Works should be re-examined after 3 years. The Municipal Boards should fix the rate of water with the approval of the Government.

22. There should not be more than one Public Stand post per 500 of population. The cost of water supplied through Public Stand Posts should be realised by the Minicipal Boards by levying a Water Tax or House Tax.

ORGANISATION.

23. Strong independent Departmental Organisation sjould be provided for the formulation, executicn and management of piped water supply schemes in Urban as well as Rural Areas. The organisation should be available at district level and should carry out all the works and maintain and run them at the cost of Local Bodies. In Rural Areas this Departmental Organisation will work in collaboration with the technical staff of the Zila Parishads and Panchayat Samitis.

24. The recommendations of Environmental Hygiene Committee, 1949 (an extract of which is given in Appendix 'E') regarding the creation of a separate and independent Public Health Engineering Organisation in each State should be accepted.

25. Public Health Engineering Department consisting of Civil Mechanical and Electrical personnel should be granted under Local Self Government Department. It should be suitably so organised as to enable it to look after all Urban and Rural Schemes.

A Local Self Government Engineering Services should also be created to man the staff on various Water Works.

Workshop facilities should be provided with each big scheme in towns and these facilities should be made available to the Rural Areas. Mobile workshops units should be attached to bigger schemes and they should be run on commercial lines.

TRAINING OF STAFF.

28. Full advantage of the facilities provided by the Ministry of Health, Government of India, for training of Junior staff for water works should be utilised.

Substitute staff should be provided to the Department so that more persons can be sent for this training.

2. Special classes in the existing Technical Institutes should be opened immediately for training of fitter, attendants, mechanics, pump drivers etc. The Director of Technical Training, Rajasthan should be directed to make such arrangements.

'B'—Chapter III.

Rural Areas.

Paras 11—12. OBSERVATIONS.

All works left ever incomplete by the Jal Board and which are shown in Appendix 'H' should be completed early. Details of incomplete works from other districts not covered under Appendix 'H' should be also obtained. Total amount required for completing these works is given in para 21.

13 to 15. PROBLEMS AND THE SOLUTIONS.

In under-ground brackish water areas, constructions of wells along side rain water tanks should be encouraged in order to discourage the unhygenic practice of drinking untreated rain water of the tanks.

Where sweet water is available one well but for want of funds or initiative or exorbitant cost of wells no wells exist, one well for every 600 to 800 of population should be so constructed that it is not located beyond a radius of one and half miles.

Areas where number of wells is inadequate, one well after every 800 of population should be constructed.

Villages where sweet water is not available locally but at a distance of 1 to 1½ miles, piped water supply scheme should be considered for each village or group of villages if they form a good economic unit.

Areas where sweet water is not available, within a radius of 5 to 7

miles or more, should be provided with tanks and 'tankas' for conservation of rain-water or should be provided with piped water supply schemes.

The Zila Parishads should be directed to collect comprehensive information of the problems of the areas before the recommendations of the Committee for solutions of the problems are acted upon.

Roughly the funds required for proving wells or Kunds for each village as per recommendations of the Committee, will be about Rs. 400 lacs.

17. Priorities and principles on which piped water supply schemes should be undertaken are as under :—

(a) Places where sweet water is not available within a radious of 1½ to 2 miles and supply from a place outside this is possible.

(b) Places of Sub-Divisional or Block Head-Quarters.

(c) Villages be grouped in the following priorities :—

(1) Having population between 6,000 to 8,000.

(2) Having population between 4,000 to 6,000.

(3) Having population between 3,000 to 4,000.

(4) Having population between 2,500 to 3,000.

(d) Such Schemes may be considered even for villages having less than 2,500 population if the water-table is more than 100 ft.

18. Piped Water Supply Schemes should be taken up at places where Panchayats show a keen interest for it.

19. Funds required for Piped Water Supply Schemes.

Total funds required for covering villages having population between 2,500 and 8,000 have bee nrecommended and approximately at Rs.548 Lacs details of which have been given in Appendix 'I' and 'J'

21-22. TOTAL FUNDS RECOMMNEDED FOR RURAL WATER SUPPLY PROGRAMME.

Total requirement for Rural Water Supply Schemes is estimated at Rs. 1,000 lacs (1) 50 Lacs for completing the incomplete works. (2) 400 lacs for wells etc. and (3) 548 lacs for Piped Water Supply Schemes.

23-24. PATTERN OF THE PLAN.

The present pattern of plan for construction of new wells and repairs of old ones should be retained as such but for wells costing more than Rs. 10,000 public contribution may be reduced to 20%. In special hard cases where there is no scope for public contribution more relaxation be permitted as regards to public contribution.

The Kor Piped Water Supply Schemes the present pattern of 5% public contribution should be retained and in special cases even 5% contribution may not be insisted upon.

The Panchayats must maintain the schemes on completion by levying Water Tax or any other tax to meet cost of maintenance.

If so requested by Panchayats the Govt. should maintain such schemes at the cost of the Panchayats.

The Panchayats should be permitted to give house connection.

25-26. WIND MILL PUMPING SETS

Wind Mill Pumping Sets should be liberally installed where water table is not more than 120 ft. and the population not more than 400 where constructions of new wells is necessary for installing wind mill pumping sets, tube-wells of 4" to 6" diameter should be constructed in place of an open well. Before any large scale installation programme is taken up, experimental sets in various districts should first be installed in order to judge the results.

27. STANDARDS TO ADOPTED.

As regards standards for piped schemes, the schemes should be so framed as to supply 10 gallons of water per head per day.

Rise in population should be also kept in view. One Public Stand Post should be provided for every 200 souls.

28-29. MANAGEMENT OF THE SCHEMES.

The management of Piped Water Supply schemes should be entrusted to the Department if so requested by the Panchayats as it is not possible for the latter to run and maintain them successfully.

The Machinery used for these schemes should be standarised and if necessary rate contract should be entered into for its purchase.

The organisation required for formulation, execution and managements of Piped Water Schemes in Rural areas should be the same as recommended for Urban Areas.

30-31. MANAGEMENT OF WATER SUPPLY TANKS AND FEEDER-CHANNELS.

Mangagement of such tanks and feeders should normally form the part of the Panchayats. Repairs may be done under Famine Relief Works. Heavy repairs should once be made by Government as other development works. After this Panchayats must maintain them.

32-34. DEEPING OF OLD WELLS.

1. Facilities from Rajasthan Undsr-Ground Water Board should be made available at every District Head Quarter.

2. The Board should survey, examine and implement all demands for deepening etc. within 18 months.

3. Private parties undertaking such jobs may be encouraged.

35-39 UNDER GROUND WATER INVESTIGATION

(1) The Government should undertake extensive exploratory works in brackish water belts to find out sweet water at levels of 1,000 to 1,200 ft.

(2) Investigations should also be done in areas where yield of water in wells is poor.

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, २६ मार्च, १६६०)

स्कम्भसंख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
५१७८	८	नन्दी को	नदी को
५१७६	१६	निर्धाण किया	निर्धारण किया
५१८३	शीर्ष	(श्री भैरोंहिं)	(श्री भैरोंसिंह)
,,	अन्तिम से ५	श्री श्रीमानमिंह	श्री श्रीमानसिंह
५१८७	१८	जो मैडकील	जो मैडिकल
५१६०	१५	I what	I want
५१६१	२०	भी फिर	फिर भी
५१६८	शीर्ष	तरांकित	तारांकित
५२०१	अन्तिम से २	सार्वजमिक	सार्वजनिक
५२०२	१०	७७५८	५७-५८
५२०३	१६	इतन इवेलिव	इतना इवेजित
५२०४	१४	श्री जनार्दराय	श्री जनार्दनराय
५२०६	२४	श्री दामोरदलाल	श्री दामोदरलाल
५२३२	१६	कब तथा कब	कब कब तथा
५२३४	शीर्ष	विमियोग	विनियोग
५२३६	२३	करने हड़ते	करने पड़ते
५२३८	अन्तिम से २	विमागों को	विभागों को
५२४०	प्रथम	सविसेज़	सर्विसेज़
५२४३-४६ व ५३२३	शीर्ष	-२६ माच	-२६ मार्च
५२४७	शीर्ष	स्थान	राजस्थान
,,	२२	कन्पोज़िट बॉडी	कम्पोजिट बॉडी
५२५१	२०	श्री मोनहलाल	श्री मोहनलाल
५२५२	१०	आकर्षिक करना	आकर्षित करना
५२५३	१०-११	sdfficient	sufficient
५२५५	२५	मचिव मुख्य	मुख्य सचिव
५२६४	२८	लेब्रोरेटटी	लैब्रोरेटरी
५२७४	१७	violatance and	violance and
५२८१	अन्तिम से ५	इन्डस्ड्रीज़	इन्डस्ट्रीज़
५२८१	अन्तिम से ६	इन्डट्रियै लिस्ट्रस	इण्डस्ट्रियलिस्ट्स
५२८६	शीर्ष	विधेकय, १६६०	विधेयक, १६६०
५२८७	१०	करेंगे	करेंगे

१	२	३	४
५२८८	२६	छोड़ेगें	छोड़ेंगे
५३०२	शीर्ष	विवेयक	विधेयक
५३०३	३–४	भी संखिया भी	: संखिया भी·
,,	, १४	होता है	होती है
५३०४	अन्तिम से ४	किहै	है कि
५३०६	१८	,, ,,	,, ,,
५३११	२	जितनी ी	जितनी भी
५३१५	१५	बन्ध	बंधा
५३१८	अन्तिमसे ३	Fnance Minister	Finance Minister
५३२०	३५	is Course	is of course
५३२२	२४	both side	both sides
५३२७	अन्तिमसे ३	be requierd	be required
५३२८	१५	ownlimitaions	own limitations
,,	२६	dificulties	difficulties
५३३४	शीर्ष	५५३४	५३३४
,,	२	Gess	cess
५३३६	१२	लोगा के दिला मै	लोगों के दिलों में
,,	२२	हो ऐसा	हो, ऐसा
५३४८	अन्तिम से४	पलैटी फार्मिंग	पॉल्ट्री फार्मिंग
५३४६	२४	are repesenting	are representing
५३५६	६	का प्रद्धन	का प्रयत्न
,,	१६	ismis-	is mis-
५३५६	अन्तिमसे ४	land uitlsed	land utilised
५३६०	७	Certa in	Certain
,,	१२	with regatd	with regard
,,	१५	figur es	figures
५३६२	२	Trading every.	Trading. Every
,,	६–७	Thiug that it they	thing is that they
५३६६	शीर्ष	यिधेयक	विधेयक
५३६८	१४	का प्रोन्कशन	का प्रोडक्शन
५३६६	२६	उसक बारे	उसके बारे
५३७३	अन्तिम से३	स्टेन्डिग	स्टेन्डिग
५३७४	२७	दोहरान में	दौरान में
५३७६	अन्तिम से३	Question, are	Questions are
५३७८	,, ,, ५	बाद ट्रोस्पेक्टिवली	बाद रिट्रोस्पेक्टिवली

(३)

१	२	३	४
५३८०	७	नाम कम्पनियें	नाम से कम्पनियें
,,	१३	आने ए	ओन ए
,,	२०	Financ yearial	Financial year
,,	२५	सेप्रेसन	सेपरेशन
५३८१	३	,,	,,
,,	११	कानूनी परम्परंए	कानूनी परम्पराएं
५४०१	सीरियल १ कॉलम ३	59	57
५४०६	३	फ.रिस्ट्स	फोरेम्ट्स
,,	१३	भवाल्डा	भवातड़ा
,,	अन्तिम से २	राजपूत	राजपूत
५४१०	३	रिजर्वड	रिज़र्वड
,,	११	रिजर्वडित	रिज़र्वड
,,	२१-२३	खेड़ा में........नानणवास बास	खेड़ा नामनवास में ....बास
५४११	१०	रित्यासित्या तथा में	रित्यासित्या में
५४१५	५	out staud for the years	Out standing for the year
,,	सीरियल २ कॉलम २	Jetha Mal Lallshaad	Jeth Mall Lalchand
,,	सीरियल ८ कॉलम २	Abdullah Culam	Abdulloh Galam
,,	सीरियल ११ कॉलम ४	272.44	227.44
,,	सीरियल १२ कॉलम २	M/s Caneshram	M/s Ganesh Ram